सत्यमेव जयते

दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु
योजनाओं का सार-संग्रह
2019

स्वावलम्बन
Swavlamban
सशक्तिकरण... EMPOWERMENT...

भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली–110003
www.disabilityaffairs.gov.in

दिव्य कला शक्ति ''दिव्यांगता में क्षमता का दर्शन''

विषय-सूची

1.	विभाग की प्रस्तावना, विजन, मिशन तथा सिंहावलोकन		7
2.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016		11
3.	विभाग के अधीन सांविधिक निकाय, संस्थान तथा संगठन		15
	3.1	सांविधिक निकाय	15
		3.1.1 भारतीय पुनर्वास परिषद	15
		3.1.2 दिव्यांगजन, मुख्य आयुक्त	15
		3.1.3 ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता तथा बहु–दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास	15
	3.2	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई)	16
		3.2.1 भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)	16
		3.2.2 नेशनल हैंडिकेप्ड फाईनेन्स एंड डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन (एनएचएफडीसी)	16
	3.3	राष्ट्रीय संस्थान	16
4.	विभाग की योजनाएं		21
	4.1	दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)	21
	4.2	सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)	24
	4.3	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा)	29
		4.3.1 दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का सृजन	31
		4.3.2 कौशल विकास का घटक	31
		4.3.3 सुगम्य भारत अभियान	40
		4.3.4 जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी)	42
		4.3.5 जागरूकता सृजन और प्रचार योजना	45
		4.3.6 दिव्यांगता से संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पादों तथा मामलों पर अनुसंधान	49
		4.3.7 विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र	49
		4.3.8 निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन योजना	50
		4.3.9 केंद्रीय तथा राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदात्ताओं के प्रमुख पदाधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं जागरूकता	50
		4.3.10 समेकित क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी)	51

	4.4	छात्रवृत्ति योजना	52
	4.5	दिव्यांगजन हेतु राष्ट्रीय कोष (फंड)	63
	4.6	''ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन हेतु सहायता'' की योजना	65
	4.7	भारतीय स्पाइनल इंजुरी सेंटर	66
	4.8	राज्य स्पाइनल इंजुरी सेंटर	66
	4.9	देश के पांच क्षेत्रों में बधिर छात्रों के लिए कॉलेज	66
5.		विभाग के रिपोर्टिंग कार्यालयों की योजनाएं	69
	5.1	ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता तथा बहु–दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास	69
	5.2	नेशनल हैंडिकेप्ड फाईनेन्स एंड डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन (एनएचएफडीसी)	76
6.		दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार	87
7.		विभाग की टेलीफोन निर्देशिका (डायरेक्टरी)	95

अध्याय-1

प्रस्तावना

ब्रेल

अध्याय
1

प्रस्तावना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को दिव्यांगता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से देखने हेतु नीतिगत मामलों पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने हेतु और स्टेकहोल्डरों, संगठनों, राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच और अधिक समन्वय करने हेतु एक नोडल विभाग के तौर पर कार्य करने हेतु 12.05.2012 को, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में से बनाया गया था। दिनांक 14.05.2016 की अधिसूचना के अनुसार, विभाग का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नाम से पुनः नामकरण किया गया है।

1.1 विभाग का विजन तथा मिशन

विजन: एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना जिसमें उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने हेतु दिव्यांगजनों को उन्नति और विकास हेतु समान अवसर उपलब्ध हो।

मिशन: दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और विकास हेतु विधायन/नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं के माध्यम से अपने दिव्यांगजन को सशक्त बनाना।

दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण:

- शारीरिक पुनर्वास : शीघ्र पहचान और उपाय, काउंसलिंग और चिकित्सा पुनर्वासन जैसी सेवाएं। दिव्यांगजनों की प्रौद्योगिकीय प्रगति हेतु अनुसंधान और विकास। यंत्रों और सहायक उपकरणों की आपूर्ति के तहत सुगम्यता बढाना।
- शैक्षणिक सशक्तिकरण
- कौशल विकास और वित्तीय सहायता के माध्यम से आर्थिक विकास।
- सामाजिक सशक्तिकरण।
- पुनर्वास व्यावसायिकों/कार्मिकों का विकास।
- समर्थन एवं जागरूकता पैदा करना।

दिव्यांगता की परिभाषा:

''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम) 'दिव्यांगजन' का अर्थ दीर्घावधि से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदना से बाधित व्यक्ति से है जो समाज में समान रूप से अन्य लोगों के साथ उसकी पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी में बाधाएं एवं रूकावटें उत्पन्न करती हैं (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016, अध्याय I, खंड 2, उपखंड (ध) के साथ–साथ उपखंड (ग) का अवलोकन करें।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अनुसार ''बैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति'' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी विनिर्दिष्ट दिव्यांगता 40% से कम नहीं है जहां विनिर्दिष्ट दिव्यांगता मापन–योग्य के विषय में परिभाषित नहीं की गई है और दिव्यांगता वाले एक ऐसे व्यक्ति को शामिल करती है जिसकी विर्निदिष्ट दिव्यांगता प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किए अनुसार मापन–योग्य संदर्भ में परिभाषित की गई है (आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016, अध्याय I, खंड 2, उपखंड (द) का अवलोकन करें)।

1.2 सिंहावलोकन

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड दिव्यांग व्यक्ति हैं (जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है)। दिव्यांग व्यक्तियों की कुल संख्या में 1.50 करोड पुरूष हैं और 1.18 करोड महिलायें हैं। इनमें से 0.82 करोड़ शहरी क्षेत्रों में रहते हैं और 1.86 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है।

दिव्यांगजनों के लिये राष्ट्रीय नीति (2006) में यह स्वीकार किया गया है कि दिव्यांगजन देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन हैं और इसमें एक ऐसा वातावरण सृजित करने के लिए प्रयास किया जाता है जिसमें उन्हें समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और समाज में पूर्ण सहभागिता उपलब्ध हो। राष्ट्रीय नीति में इस तथ्य को भी स्वीकार किया गया है कि यदि उनकी समान अवसरों और पुनर्वासन उपायों तक प्रभावी पहुंच उपलब्ध हो, तो वे एक गुणवत्तापरक जीवन जी सकते हैं।

अध्याय-2

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन

अध्याय
2

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

2.1 मुख्य विशेषताएं

- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 दिनांक 28.12.2016 को अधिसूचित किया गया था।
- केंद्रीय सरकार ने दिनांक 19.04.2017 से उपरोक्त अधिनियम को लागू करने के लिए दिनांक 19.04.2017 के कानूनी आदेश 1215 द्वारा एक अधिसूचना जारी की।
- केंद्रीय सरकार ने अधिनियम के तहत 15.06.2017 को नियमावली अधिसूचित की।
- अब तक 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य नियमावली अधिसूचित की हैं।
- विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्रीय सरकार ने 04.01.2018 को किसी व्यक्ति में विभिन्न निर्दिष्ट दिव्यांगताओं (स्वपरायणता को छोड़कर) के आकलन के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया। स्वपरायणता के आकलन के संबंध में, 25.04.2016 को अधिसूचित दिशानिर्देश लागू होंगे।
- बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश 29.08.2018 को जारी किए गए थे।
- केंद्रीय सरकार ने मूल्यांकन बोर्ड की संरचना और बेंचमार्क दिव्यांगजनों की उच्च सहायता आवश्यकताओं के मूल्यांकन के तरीके को निर्दिष्ट करते हुए 08.03.2019 को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2019 अधिसूचित की।
- केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन 08.11.2017 को किया गया है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड पहले से ही तीन बैठकें कर चुका है।
- विभाग ने बेंचमार्क दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। उक्त विशेषज्ञ समिति के तहत पांच उप–समितियों का गठन किया गया था। सभी पांच उप–समितियों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसे अधिसूचित किया जाएगा।

अध्याय-3

विभाग के अधीन सांविधिक निकाय, संस्थान तथा संगठन

बौद्धिक दिव्यांगताओं के लिए सुगम्यता

अध्याय
3

विभाग के अधीन सांविधिक निकाय, संस्थान तथा संगठन

विभाग की गतिविधियों का कार्यान्वयन सरल बनाने के विषय में तीन सांविधिक निकाय हैं, इसकी सीधी मॉनीटरिंग के तहत कार्यरत दो केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम और नौ राष्ट्रीय संस्थान हैं।

3.1 सांविधिक निकाय

3.1.1 भारतीय पुनर्वास परिषद

भारतीय पुनर्वास परिषद, जिसे भारतीय पुनर्वास अधिनियम, 1992 के तहत स्थापित किया गया था, पुनर्वास व्यावसायिकों और कार्मिकों के प्रशिक्षण का नियमन और इसकी मॉनीटरिंग करती है; पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा में अनुसंधान का संवर्धन करती है और केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर (सीआरआर) का रखरखाव करती है।

3.1.2 मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त को, अपना कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए दिव्यांगजनों के कल्याण तथा अधिकारों के संरक्षण हेतु बनाये गये कानूनों, नियमावली आदि को लागू न करने और दिव्यांगजन के अधिकारों को मना करने से संबंधित शिकायतों को देखने के लिए, एक सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान करता है।

3.1.3 ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास

(i) आटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत वर्ष 2000 में राष्ट्रीय न्यास की स्थापना की गई थी। यह स्वैच्छिक संगठनों, दिव्यांग व्यक्तियों की एसोसिएशनों और उनके अभिभावकों की एसोसिएशन के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। इसके अंतर्गत देश भर में, जहां कही आवश्यक हो, दिव्यांग व्यक्तियों हेतु कानूनी संरक्षक नियुक्त करने हेतु 3 सदस्यीय स्थानीय स्तरीय समितियां स्थापित करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय न्यास 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिये प्रारंभिक उपाय से लेकर गंभीर दिव्यांगता से ग्रस्त व्यस्कों हेतु आवासीय केन्द्रों के लिए अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन करता है।

(ii) राष्ट्रीय न्यास को बजटीय सहायता : स्कीम वर्ष 2015–16 में प्रारंभ की गई थी। 12 वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद आगे मई, 2017 में स्कीम 3 वर्ष की अवधि अर्थात 2017–18, 2018–19 और 2019–20 के लिए स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा अनुमोदित की गई।

3.2 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

3.2.1 भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को)

एलिम्को, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत बनाई गई विभाग के अधीन, एक नोट फॉर प्रॉफिट (गैर–लाभ) मिनी रत्न कंपनी है। निगम भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अनुमोदित बड़े स्तर पर अत्यधिक किफायती विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा एलिम्को सारे देश में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और उनके आत्मसम्मान को वापस लौटाने के लिये अस्थि बाधिता, श्रवण बाधिता, दृष्टि बाधिता और विलंबित बौद्धिक विकास की आवश्यकता को पूरा करने के लिये इन सहायक उपकरणों का वितरण करता रहा है।

3.2.2 नेशनल हैंडिकेप्ड फाईनेन्स एंड डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन (एनएचएफडीसी)

दिव्यांग व्यक्तियों के लाभ हेतु आर्थिक विकास कार्यकलापों और स्व–रोजगार के संवर्धन हेतु 24 जनवरी, 1997 को नेशनल हैंडिकेप्ड फाईनेन्स एंड डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन (एनएचएफडीसी) की स्थापना की गई थी। यह दिव्यांगजनों को स्व–रोजगार उद्यमों और व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण प्रदान करता है। यह दिव्यांगता से ग्रस्त स्व–रोजगार प्राप्त व्यक्तियों को उनके उत्पादों और वस्तुओं के विपणन में सहायता भी करता है।

3.3 राष्ट्रीय संस्थान/केन्द्र

इस मंत्रालय के अधीन दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में नौ राष्ट्रीय संस्थान कार्यरत हैं। राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित किए गए स्वायत निकाय हैं। ये संस्थान दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास में लगे हुए हैं, दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं और अनुसंधान और विकास के लिए प्रयास करते हैं।

3.3.1 क्षेत्रीय केंद्र/क्षेत्रीय चेप्टर :

दिव्यांगजनों के लिए सेवाओं की क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कुछ संस्थानों ने क्षेत्रीय केंद्र/ चेप्टर स्थापित किए हैं।

3.3.2 समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी)

सीआरसी, जिन्हें अब कौशल विकास, पुनर्वास और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए समेकित क्षेत्रीय केंद्र के रूप में पुनः नामांकित किया गया है, राष्ट्रीय संस्थानों की विस्तारित शाखाएं हैं। वे दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रमों का संचालन करते हैं और पुनर्वास व्यावसायिकों को प्रशिक्षित करते हैं।

9 राष्ट्रीय संस्थानों, 20 सीआरसी और 11 क्षेत्रीय केंद्रों/ 2 क्षेत्रीय चेप्टर का विवरण निम्नलिखित है:

क्रम संख्या	राष्ट्रीय संस्थान	क्षेत्रीय केन्द्र/क्षेत्रीय चेप्टर, यदि कोई हो	राष्ट्रीय संस्थान के अधीन समेकित क्षेत्रीय केन्द्र, यदि कोई हो,
1.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (पीडीयूएनआईपीपीडी), नई दिल्ली (स्थापना : 1960)	एक क्षेत्रीय केन्द्र (सिकन्दराबाद)	दो (लखनऊ और श्रीनगर)
2.	स्वामी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एसवीएनआईआरटीएआर), कटक (स्थापना : 1975)	कोई नहीं	चार (गुवाहटी एवं रांची, राजनंदगांव, बालनगीर)
3.	राष्ट्रीय गतिविषयक दिव्यांगजन संस्थान, (एनआईएलडी), कोलकाता (स्थापना : 1978)	दो क्षेत्रीय केन्द्र (देहरादून, आइजोल)	तीन (पटना, नाहारलागून एवं अगरतला)
4.	राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून (स्थापना : 1979)	एक क्षेत्रीय केन्द्र (चेन्नई), दो क्षेत्रीय चेप्टर (कोलकाता एवं सिकन्दराबाद)	एक {सुन्दरनगर (हिमाचल प्रदेश)}
5.	अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई (स्थापना : 1983)	चार क्षेत्रीय केन्द्र (कोलकाता, सिकन्दराबाद, नोएडा और जानला)	दो (भोपाल एवं अहमदाबाद)
6.	राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीआईडी), सिकन्दराबाद (स्थापना : 1984)	तीन क्षेत्रीय केन्द्र (नोएडा, नवी मुंबई और कोलकाता)	दो (नेल्लोर और देवानगेरे)
7.	राष्ट्रीय बहु–दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान (एनआईईपीएमडी), चेन्नई (स्थापना : 2005)	कोई नहीं	छः (कोझीकोड, नागपुर, गोरखपुर, सिक्किम, अंडमान और निकोबार एवं शिलांग)
8.	भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आईएसएलआरटीसी) (स्थापना : 2015)	कोई नहीं	–
9.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर) (स्थापना : 2019)	कोई नहीं	–

अध्याय-4

विभाग की योजनायें

टेलीफोन टाइपराईटर (टीटीवाई)

अध्याय
4

विभाग की योजनायें

4.1 दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

4.1.1 योजना का सारांश और उद्देश्य

(i) डीडीआरएस (दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना) दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए विभाग की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओं) को उनके इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनो–सामाजिक या सामाजिक–कार्यात्मक स्तर तक पहुँचने और उन्हें बनाए रखने में समर्थ बनाना है।

(ii) समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिये सुगम वातावरण सृजित करना।

(iii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।

(iv) डीडीआरएस के तहत 09 मॉडल परियोजनाएं शामिल हैं जिनमें बौद्धिक दिव्यांगता, दृष्टि दिव्यांगता, वाक और श्रवण दिव्यांगता के लिए विशेष विद्यालय, हाफ–वे–होम, समुदाय आधारित पुनर्वास आदि शामिल हैं।

4.1.2 डीडीआरएस के तहत अनुदान के लिए स्वीकार्य गतिविधियाँ/घटक

(i) आवर्ती अनुदान
- स्टाफ को मानदेय
- लाभार्थियों को लाना– ले जाना (परिवहन)
- लाभार्थियों/छात्रावास रखरखाव हेतु स्टाईपेंड
- कच्चे माल की लागत
- कार्यालय व्यय, बिजली और पानी प्रभार को पूरा करने हेतु आकस्मिक व्यय,
- किराया

(ii) गैर–आवर्ती अनुदान

4.1.3 योजना के तहत प्रावधान

(i) योजना में निम्नलिखित नौ मॉडल परियोजनाएं शामिल हैं :–
(क) प्री–स्कूल और शीघ्र उपाय और प्रशिक्षण के लिए परियोजना

(ख) निम्नलिखित दिव्यांगताओं से ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल –

i. बौद्धिक दिव्यांगता
ii. वाक् और श्रवण दिव्यांगता
iii. दृष्टि दिव्यांगता

(ग) प्रमस्तिष्कघातग्रस्त बच्चों के लिए परियोजना

(घ) कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों (एलसीपी) के पुनर्वास के लिए परियोजना

(ङ) उपचारित और नियंत्रित मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक–सामाजिक पुनर्वास हेतु हाफ वे होम

(च) गृह आधारित पुनर्वास कार्यक्रम/गृह प्रबंधन कार्यक्रम

(छ) समुदाय आधारित पुनर्वास के लिए परियोजना

(ज) कम दृष्टि केन्द्रों के लिए परियोजना

(झ) मानव संसाधन विकास के लिए परियोजनाएं

(यह परियोजना विशेष शिक्षा में प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती हैं, दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में संसाधन केंद्रों और संसाधनों के नेटवर्किंग को विकसित करती हैं।)

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी परियोजनाएं अनुमोदित किए जाने के बाद, पात्र परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (एनजीओ), इस संशोधित योजना के तहत निर्धारित लागत–मानदंडों के आधार पर परिकलित की गई राशि के 90% की हकदार होंगी। विशेष क्षेत्रों में स्थित परियोजनाओं के मामले में संशोधित लागत मानदंडों के आधार पर परिकलित की गई राशि का 100% अनुमत किया जाएगा।

विशेष क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

(क) 8 उत्तर–पूर्वी राज्य,

(ख) हिमालयी क्षेत्र के राज्य (जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश),

(ग) वाम अतिवाद प्रभावित जिले (गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार) – 106 जिले, और

(घ) अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिले– 34 जिले।

(iii) लाभार्थियों की संख्या : निरीक्षण की तारीख से पहले पिछले 30 दिनों में से कम से कम 15 दिनों के लिए संस्था में उपस्थित रहने वाले पात्र लाभार्थियों की संख्या के लिए सहायता अनुदान की गणना की जाएगी।

(iv) संगठन को मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल (ई–अनुदान) पर अनुदान के लिए आवेदन करना होगा और जिला समाज कल्याण अधिकारी को पूरा प्रस्ताव भेजना होगा। ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट के निरीक्षण और प्रस्तुत करने पर, जिला समाज कल्याण अधिकारी संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। यदि राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन 60 दिनों के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लेता है, तो भारत सरकार योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले गैर–सरकारी संगठनों के लिए निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती है।

4.1.4 डीडीआरएस के तहत अनुदान के लिए पात्रता की शर्तें

(i) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत एक गैर–लाभकारी कंपनी के तहत पंजीकृत संगठन;

(ii) न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए अस्तित्व में।

(iii) निःशक्तजन अधिनियम, 1995/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत।

(iv) नीति आयोग पोर्टल पर पंजीकृत, एनजीओ – दर्पण।

(v) ऐसी परियोजना को शुरू करने के लिए उचित रूप से गठित प्रबंधन निकाय, सुविधाएं और अनुभव, जो किसी व्यक्तिगत या किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के लाभार्थ नहीं चलाई जाती है।

4.1.5 आवेदन कैसे करें

(i) विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की सहायता से मंत्रालय की वेबसाइट www.grants-msje.gov.in पर एक केंद्रीकृत ऑन–लाइन एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किया है। डीडीआरएस के तहत सहायता–अनुदान (जीआईए) मांगने वाले गैर–सरकारी संगठनों द्वारा सभी आवेदन मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑन–लाईन प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। सभी एनजीओ को यूनीक आईडी जनरेशन के लिए नीति आयोग पोर्टल www.ngodarpan.gov.in पर अपना पंजीकरण कराना होगा। तत्पश्चात, सहायता अनुदान के लिए आवेदन एनजीओ दर्पण पर तैयार की गई विशिष्ट आईडी के साथ–साथ ई–अनुदान पोर्टल www.grants-msje.gov.in पर प्रस्तुत किया जाना होता है।

(ii) संगठन सबसे पहले अपना प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकार (एसजी) के संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) को प्रस्तुत करेगा।

(iii) डीएसडब्ल्यूओ अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, संबंधित एसजी को निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर) आदि के साथ प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा।

(iv) संबंधित एसजी अपनी संबंधित राज्य स्तरीय बहु–विषयक सहायता अनुदान समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने पर संगठन के प्रस्ताव को भारत सरकार (जीओआई) को अग्रेषित करेंगे।

4.1.6 स्वीकृति प्रक्रिया और निधियाँ जारी करना

(i) विभाग समय–समय पर एसजी द्वारा अग्रेषित संगठन के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए गठित स्क्रीनिंग समिति (एससी) की बैठक आयोजित करता है।

(ii) स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसा किए गए प्रस्तावों पर, जो योजना के मानदंडों को पूरा करते हैं और सभी अनिवार्य आवश्यक दस्तावेज आदि होने पर, सहायता–अनुदान (जीआईए) जारी करने के लिए एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) के अनुमोदन और सहमति की प्रक्रिया शुरू की जाती है।

(iii) एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) द्वारा सहमत की गई राशि के लिए सहायता–अनुदान जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया/लिया जाता है।

(iv) सक्षम प्राधिकारी के प्रशासनिक अनुमोदन के बाद, स्वीकृति जारी की जाती है और इसका बिल संगठन के बैंक खाते में स्वीकृति राशि जारी करने के लिए विभाग के भुगतान और लेखा कार्यालय को भेजा जाता है।

(v) संगठन को स्वीकृत/जारी किए गए पिछले सहायता–अनुदान का उपयोग प्रमाण पत्र और किसी भी अन्य आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद अगले सहायता–अनुदान पर विचार किया जाता है।

4.2 सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु दिव्यांगजनों को सहायता की योजना (एडिप)

योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद दिव्यांग व्यक्तियों की दिव्यांगताओं को कम करके और उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि करके और साथ ही उनकी शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पुनवार्सन के संवर्धन हेतु अपेक्षित दिव्यांगजनों की टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक ढंग से निर्मित, आधुनिक, सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद में सहायता करना है। दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र उनकी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की क्षमता में सुधार करने और दिव्यांगता की मात्रा और दूसरी दिव्यांगता होने के रोकने के लिये प्रदान किये जाते हैं। योजना के अंतर्गत आपूर्तिकृत यंत्र और उपकरण विधिवत प्रमाणित होने चाहियें। स्कीम के तहत वितरण हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा खरीद किए जाने वाले अलग–अलग अंग सहित बाह्य स्रोत से प्राप्त किए गए सहायक यंत्रों एवं सहायक उपकरणों की गुणवत्ता दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार सरकारी प्रमाणन एजेंसियों के माध्यम से सुनिश्चित की जानी होती है।

योजना का कार्यान्वयन विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। विभाग की ओर से योजना को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित एजेंसियां पात्र हैं, जिनके द्वारा निम्नलिखित निबंधन और शर्तों का पूरा करना आवश्यक है :–

(i) समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं और अलग से पंजीकृत उनकी शाखायें, यदि कोई हो तो,।

(ii) पंजीकृत चेरिटेबल ट्रस्ट।

(iii) जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में भारतीय रेडक्रास समितियां और अन्य स्वायत्त निकाय।

(iv) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय/शीर्ष संस्थान, समेकित क्षेत्रीय केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्र (आरसी), जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्र, राष्ट्रीय न्यास और एलिम्को।

(v) राष्ट्रीय/राज्य दिव्यांग विकास निगम और निजी क्षेत्र की धारा 25 की कंपनियां।

(vi) स्थानीय निकाय–जिला परिषद, नगर पालिकायें, जिला स्वायत्त विकास परिषदें और पंचायतें आदि।

(vii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्र सरकार द्वारा यथासंस्तुत अलग संस्था के तौर पर पंजीकृत अस्पताल।

(viii) नेहरू युवक केन्द्र।

(ix) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उचित समझा गया कोई अन्य संगठन।

4.2.1 अनुदान हेतु स्वीकार्य कार्यकलाप/घटक

कार्यान्वयन एजेसिंयों को योजना के उद्देश्यों के अनुरूप मानक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद, निर्माण तथा वितरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना में यंत्रों तथा उपकरणों को फिट करने से पूर्व, आवश्यक चिकित्सा/सर्जिकल सुधार तथा उपाय भी शामिल होगा।

4.2.2 योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय सहायता हेतु विभाग द्वारा अधिसूचित आधुनिक यंत्रों तथा सहायक उपकरणों की दिव्यांगता–वार सूचीः

(i) दृष्टि बाधिता

(क) दृष्टि बाधितों हेतु संकेतक कीमत, विशिष्टताएं, और खरीद का स्रोत दर्शाते हुए 51 सहायक उपकरणों की सूची; (ii) सांकेतिक मूल्य और खरीद का स्रोत दर्शाते हुए दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों हेतु श्रेणी–वार किट्स अर्थात किट–1: कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए, किट–2 कक्षा 6 से 8 तक में प्राथमिक स्कूल से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिये, किट–3: कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले बच्चों के लिये, किट–4: कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले बच्चों के लिये, जिसके दो उप–भाग अर्थात किट–4 (क) दृष्टिहीन छात्रों के लिये और किट–4 (ख) कम दृष्टि के छात्रों के लिये हैं, किट–5: कालेज के छात्रों के लिये है, जिसके 2 उप–भाग हैं अर्थात किट–5: (क) दृष्टिहीन छात्रों के लिए और किट–5: (ख) कम दृष्टि के छात्रों के लिये हैं और किट–6: एडीएल किट व्यस्कों के लिये इसमें दृष्टि बाधितों हेतु सामान्य कम दृष्टि उपकरणों की सूची और अत्याधुनिक (हाई एंड) और अन्य सामान्य उपकरणों की सूची भी दी गई है।

(ख) स्मार्ट केन

स्मार्ट केन एक इलैक्ट्रानिक उपकरण है, जो उपयोगकर्त्ता की घुटने की ऊँचाई से लेकर सिर की ऊँचाई तक की बाधाओं का पता लगा सकता है। स्मार्ट केन के स्थानिक जागरूकता उपकरण जैसे अन्य लाभ भी हैं चूंकि यह उपस्थिति और दूरी का पता लगा सकती है।

(ii) कुष्ठरोग प्रभावित

कुष्ठ प्रभावितों हेतु उपकरणों की सूची अर्थात (i) कॉमन सहायक दैनिक रहन–सहन किट (एडीएल) की एलिम्को द्वारा खरीद की जाएगी और वितरित की जाएगी और (ii) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, शारीरिक दिव्यांग संस्थान, राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांगजन संस्थान और सहभागी गैर–सरकारी संगठनों द्वारा वितरण किये जाने हेतु आवश्यकता अनुसार 34 वैयक्तिक वैकल्पिक उपकरणों की सूची।

(iii) बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगताएं

बौद्धिक तथा विकासात्मक दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों हेतु वित्तीय सहायता के लिए किट अर्थात (क) बौद्धिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिये 4 किट, किट–1(क): आयु समूह 0–3 वर्ष: शीघ्र उपाय समूह (कोड: ईआई) और किट–1(ख): आयु समूह 0–3 वर्ष में बहु–दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों हेतु टीएलएम किट, (ii) किट–2: आयु समूह 3–6 वर्ष प्राथमिक पूर्व समूह (कोड: पीपी) (iii) किट–3: आयु समूह 7–11 वर्ष: प्राथमिक समूह (कोड: पीआर) और (iv) किट–4: आयु समूह 12–15 और 16–18 वर्ष: माध्यमिक और प्री–व्यावसायिक (कोड: एसईसी/पीवी)। देश भर के विशेष स्कूलों में इन किटों का उपलब्ध कराने की शुरूआत करना। (ख) बहु–दिव्यांगताओं से ग्रस्त बच्चों के लिये 3 टीएलएम किट–अर्थात (i) किट–1 आयु समूह 3–6 वर्ष (ii) किट–2: आयु समूह 6–10 वर्ष और (iii) किट–3: आयु समूह 10 वर्ष और उससे ऊपर और (ग) एलिम्को मॉडल सैंसरी किट: बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों हेतु मल्टी सैंसरी समावेशी शिक्षा विकास (एमएसआईईडी) किट।

(iv) श्रवण बाधित

सहायक यंत्र जैसे बाडी लेवल हियरिंग ऐडस, एनालोग/नॉन प्रोग्रामेबल डिजिटल–बिहाइंड दी ईयर (बीटीई), इन दा ईयर (आईटीई), इन दा केनाल (आईटीसी), कंप्लीट्ली इन दी केनाल (सीआईसी), डिजिटल/प्रोग्रामेबल–बिहाइंड दी ईयर (बीटीई), इन दी ईयर (आईटीई), इन दी केनाल (आईटीसी), कंप्लीट्ली इन दी केनाल (सीआईसी), पर्सनल एफ एम हियरिंग एडस, ब्लुटूथ नेक लूप फॉर हियरिंग ऐड्स, वाईब्रेटरी अलार्म, बेबी–क्रांइग एलर्टिंग वायरलेस डिवाइस, डोर बेल सिग्नलर, फायर स्मोक अलार्म, टेलीफोन सिग्नलर, एंपलिफाइड टेलीफोन, टेलीफोन एंपलिफायर आडियो इंडक्शन लूप, इन्फ्रारेड सिस्टम, हियरिंग एड्स विद बोन वाइब्रेटर, एजुकेशनल किट (2 से 5 वर्ष के, प्री–स्कूल गोइंग चिल्ड्रन), कंटेनिंग लेंगुएज (वोकेबलरी) बुक, आर्टिकुलेशन ड्रिल बुक, स्टोरी बुक, अन्य मैटिरियल (फेमिली हैंड पप्पट्स, 5 पजल्स, मोनटेशरी इक्विपमैंट्स/टॉयस, शेप सॉर्टर क्लाक, वन सैट आफ नायस मेकर्स, ब्लाक सॉर्टर बाक्सिस, सैट आफ वर्ब कार्ड्स और 5 सॉफ्ट टॉयस)।

(v) अस्थि बाधित

सहायक उपकरण : जैसे लोअर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेसिस, अपर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेसिस, हाई एंड अपर एक्सट्रीमिटी प्रोस्थेसिस, लोअर एक्सट्रीमिटी आर्थोटिक्स, स्पाईनल आर्थोटिक्स और मोटराइजड व्हील चेयर क्वाड्रिप्लेजिक चिन और हैंडकंट्रोल के साथ, क्वाड्रिप्लेजिक व्हील चेयर जॉय स्टिक के साथ व्हील चेयर और मोटरयुक्त व्हील चेयर (हैंडल ड्राइवन)।

(vi) कोकलियर इंप्लांट

संशोधित एडिप योजना में प्रतिवर्ष 500 बच्चों को कोकलियर इंप्लांट प्रदान करने का प्रावधान है जिसके लिए 6.00 लाख रूपए प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा सरकार द्वारा वहन की जाएगी। लाभार्थियों की आय सीमा अन्य सहायक यंत्रों एवं सहायक उपकरणों के लिए बताए अनुसार वही होगी। अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान (एवाईजेएनआईएसएचडी), मुंबई कोकलियर इंप्लांट सर्जरी के लिए नोडल एजेंसी है। संस्थान समाचार पत्रों (अखिल भारतीय संसकरणों) में विज्ञापन जारी करने के द्वारा और अपनी वेबसाईटः www.ayjnihh.nic.in. पर भी आवेदन आमंत्रित करता है। कोकलियर इंप्लांट भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर द्वारा खरीदे जाते है और नामित अस्पतालों को उपलब्ध कराए जाते हैं। कोकलियर इंप्लांट सर्जरी कराने के लिए मंत्रालय ने सरकारी और निजी अस्पतालों को पैनलबद्ध किया है।

(vii) मोटरयुक्त ट्राइसाईकिल्स एवं व्हीलचेयर्स

शरीर के तीन/चार अंगों अथवा शरीर के आधे भाग के गंभीर रूप से बाधित होने वाले गंभीर दिव्यांगों और क्वड्रिप्लिजिक (एससीआई), मस्कुलर डाइस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सैरेबल पालसी, हैमिपेलिजिया से पीड़ित अथवा ऐसी हालातों से पीड़ितों के लिए मोटरयुक्त ट्राईसाईकिल और व्हील चेयर प्रदान की जाती हैं। सब्सिडी की मात्रा 25,000/– रूपये तक सीमित होगी। यह 16 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को 10 वर्ष में एक बार प्रदान की जायेगी। तथापि, 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के मानसिक मंदता ग्रस्त गंभीर दिव्यांग व्यक्ति मोटरयुक्त ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर के पात्र नहीं होंगे, चूंकि इससे उनको गंभीर दुर्घटना/शारीरिक नुकसान का खतरा हो सकता है।

(viii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में शामिल की गई नई दिव्यांगताओं के लिए कोई उपयुक्त सहायक यंत्र एवं उपकरण निर्धारित किए जा सकते हैं।

4.2.3 योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता की प्रमात्रा

वे यंत्र/उपकरण, जिनकी लागत 10,000/– रूपये से अधिक नहीं होती है, एकल दिव्यांगता की योजना के अंतर्गत कवर किये जाते हैं। तथापि, बौद्धिक दिव्यांगता (आईडी) श्रेणी से बाहर के दिव्यांग छात्रों के मामले में, सीमा को बढ़ाकर 12,000/–रूपये कर दिया जाएगा। बहु–दिव्यांगताओं के मामले में एक से अधिक यंत्र/उपकरण की आवश्यकता होने पर यह सीमा पृथक रूप से अकेली वस्तुओं हेतु लागू होगी। कार्यान्वयन एजेंसियाँ जागरूकता, मूल्यांकन और शिविरों की निरंतरता संचालन के लिए सहायता–अनुदान का 5 प्रतिशत प्रशासनिक/ऊपरी खर्च के रूप में उपयोग करेंगी।

कुल आय	सहायता की मात्रा
(i) 15,000/– रूपये प्रति मास	(i) यंत्र/उपकरण की पूर्ण लागत
(ii) 15,001/– रूपये से 20,000/– रूपये प्रति मास	(ii) यंत्र/उपकरण की 50% लागत

प्रत्येक दिव्यांगता हेतु दिव्यांग छात्रों के लिए वित्तीय सहायता 10,000/– रूपये होगी और 20,000/– रूपये की लागत वाले उपकरणों के संबंध में वित्तीय सहायता की सीमा 12,000/– रूपये होगी। 20,000/– रूपये से ऊपर की लागत के सभी कीमती उपकरणों हेतु, लागत का 50% सरकार वहन करेगी और शेष राशि का या तो राज्य सरकारों अथवा गैर–सरकारी संगठनों अथवा अन्य किसी एजेंसी अथवा संबंधित लाभार्थी द्वारा अंशदान किया जायेगा। यह मामला दर मामला आधार पर मंत्रालय के अनुमोदन से योजना के अंतर्गत बजट के 20% तक सीमित होगा।

दिव्यांगजनों को केन्द्र में आने के दिनों के लिये, यात्रा की संख्या चाहे जो भी हो, अलग से यात्रा व्यय देय होगा तथा एक एस्कोर्ट को 250 रूपये प्रति व्यक्ति तक बस अथवा रेल किराया देय होगा।

इसके अतिरिक्त, केवल उन रोगियों को, जिनकी कुल आय 15,000/–रूपये प्रतिमाह तक है, 15 दिन की अधिकतम अवधि के लिए 100 रूपये प्रतिदिन की दर से आवास तथा भोजन खर्च अनुमत होगा और यही दर एटैंडैट/एस्कोर्ट के लिये अनुमत होगी।

4.2.4 कैसे आवेदन करे

संगठन अपने आवेदन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से विभाग को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करेंगे। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की अनुशंसा के साथ केवल ऑन–लाइन प्राप्त हुए एनजीओ के प्रस्तावों पर योजना के तहत कार्रवाई की जाती है। एडिप योजना के तहत सहायता अनुदान के लिए आवेदन करने हेतु, एनजीओ को एनजीओ पोर्टल www.grants-msje.gov.in पर ऑन–लाईन आवेदन करना होता है।

संबंधित जानकारी विभाग की वेबसाइट अर्थात www.disabilityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

एनजीओ दर्पण पोर्टल में नीति आयोग के पास एनजीओ का पंजीकरण और ई–अनुदान पोर्टल पर एनजीओ द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने अनिवार्य हैं। इसके अलावा, गैर–सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन के न्यासियों/ सदस्यों के पैन और आधार नंबर–विवरण अनिवार्य हैं।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/सूचना (विधिवत अनुप्रमाणित) संलग्न की जानी चाहिये :–

(i) निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम (पीडब्ल्यूडी एक्ट), 1995/आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 51/52 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति।

(ii) समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 तथा उनकी संस्थाएं, यदि कोई हो, पृथक रूप से अथवा चैरीटेबल ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत प्रमाणपत्र की एक प्रति।

(iii) संगठन की प्रबंधन समिति के सदस्यों के नाम तथा विवरण।

(v) संगठन के नियमों, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की एक प्रति।

(v) पूर्व के वर्षों की प्रमाणित लेखा–परीक्षित लेखों तथा वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति (संगठन की वित्तीय स्थिति को दर्शाते हुए)।

(vi) योजना के अंतर्गत पहले से ही सहायता अनुदान प्राप्त कर रही कार्यान्वयन एजेसिंयों को भी विगत वर्ष में जारी किए गए सहायता अनुदान और उसे प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की सूची को एक्सेल प्रोग्राम में सीडी में और हार्ड कॉपी में शामिल लाभार्थियों की सूची, जो दो पृष्ठ से अधिक नहीं होगी, के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(vii) अनुशंसा प्राधिकारी कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता अनुदान के उपयोग के बारे में लाभार्थियों की नमूना जांच करेगा। कम से कम 15 प्रतिशत (10 लाख रुपये तक की सहायता अनुदान के मामले में) और 10 प्रतिशत (10 लाख रुपये से अधिक सहायता अनुदान के मामले में) लाभार्थियों के संबंध में जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।

(viii) जी.एफ.आर. के तहत निर्धारित प्रपत्र में उपयोग प्रमाणपत्र।

(ix) कार्यान्वयन एजेंसियां उनके द्वारा आपूर्ति किए गए सहायक यंत्रों और उपकरणों का एक वर्ष निःशुल्क रखरखाव करेगी।

(x) यदि इसके कर्मचारी नियमित आधार पर 20 से अधिक व्यक्ति हैं तो संगठन भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एससी / एसटी / ओबीसी और दिव्यांग व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान करेगा।

(xi) कार्यान्वयन एजेंसी को एक वेबसाईट भी बनाए रखना चाहिए और प्राप्त, उपयोग अनुदान के ब्यौरे और लाभार्थियों की सूची के साथ–साथ फोटो एवं राशन कार्ड नंबर/ मतदाता पहचान संख्या / आधार कार्ड नंबर, जैसा भी मामला हो, अपलोड करना चाहिए।

(xii) आधार अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में, मंत्रालय ने 3 मार्च 2017 को एक अधिसूचना जारी की है जिसके तहत एडिप योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसी पात्र व्यक्ति को आधार संख्या धारण का प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4.2.5 अनुदान/सहायता मंजूरी की प्रक्रिया

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

↓

कार्यान्वयन एजेसियां

↓

लाभार्थी

पात्र लाभार्थियों को शिविर गतिविधियों/मुख्यालय गतिविधियों/विशेष शिविरों/एडिप–एस.एस.ए के माध्यम से कार्यान्वयन एजेसिंयों द्वारा सहायक यंत्रों तथा उपकरण वितरित किए जाते हैं।

4.3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)

योजना का उद्देश्य

(i) यह मंत्रालय दिव्यांगजन अधिनियम में उल्लिखित विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा) कार्यान्वित कर रहा है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार, सार्वजनिक परिवहन, निर्मित वातावरण, सूचना और संचार की पहुंच के लिए दिव्यांगजनों के अधिकारों हेतु प्रयास करता है और उनकी स्वतंत्रता और गरिमा को बढ़ाता है। मंत्रालय, निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के लागू होने के बाद 1999 से इस योजना के तहत निधियां जारी कर रहा है। निधियां वर्ष दर वर्ष आधार पर मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया/दिशानिर्देशों के आधार पर जारी की जा रही थी। योजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान, स्टेकहोल्डर के साथ बातचीत के बाद, इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न स्टेकहोल्डर से प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना के प्रारूप को मंजूरी दी गई और इसे 28.1.2016 से निम्नलिखित घटकों के साथ लागू किया गयाः

(क) एआईसी के तहत शामिल किए गए क्षेत्र के अलावा बाधामुक्त वातावरण का सृजन

(ख) कौशल प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)

(ग) सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)

(घ) जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र (डीडीआरसी)

(ङ) समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी)

(च) विशिष्ट दिव्यांगता आईडी परियोजना (यूडीआईडी)

(ii) इसके बाद, वर्ष 2017 में, जिसने 14 वें वित्त आयोग की अवधि अर्थात 2019–2020 के दौरान सिपडा योजना को एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया।

(iii) इस विभाग द्वारा चलाई जा रही निम्नलिखित चार अलग–अलग योजनाओं को 2019–20 से संशोधित सिपडा योजना के साथ मिला दिया गया है :

(क) जागरूकता सृजन और प्रचार योजना।

(ख) दिव्यांगता संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दे योजना पर शोध।

(ग) निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजना।

(घ) केंद्र और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य प्रदाताओं के प्रमुख पदाधिकारियों के सेवाकालीन (इन–सर्विस) प्रशिक्षण और संवेदीकरण की योजना।

योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियां :

निम्नलिखित एजेंसियों को सहायता अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है :

(i) राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों के विभाग।

(ii) केंद्रीय /राज्य विश्वविद्यालयों सहित केंद्रीय/राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।

(iii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/डीडीआरसी/आर सी/आउटरीच केन्द्र।

(iv) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत संगठन जिन्हें केंद्रीय/राज्य सरकार के विभागों या अधीनस्थ निकायों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त है।

(v) केंद्रीय/राज्य मान्यता प्राप्त खेल निकाय और परिसंघ।

योजना के तहत कवर की गई गतिविधियाँ/घटक :–

(i) दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण प्रदान करना, जिसमें स्कूल, कालेज, शैक्षणिक तथा प्रशिक्षण संस्थान, कार्यालय तथा सरकारी भवन, मनोरंजनात्मक क्षेत्र, स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल आदि शामिल हैं। इसमें रैंप्स, रेल्स, लिफ्टस, शौचालयों का व्हीलचेअर प्रयोगकर्त्ताओं के लिए अनुकूलन, ब्रैल संकेतक (साइनेज़िज) तथा आडिटरी सिग्नल, टेक्टाइल फ्लोरिंग, कर्ब कट्स, तथा व्हील चेअर प्रयोगकर्ताओं की सुगम पहुँच हेतु, पेवमेंट पर ढलान बनाना, दृष्टिहीन अथवा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों हेतु जेबरा क्रासिंग की सतह पर उत्कीर्णन करना, दृष्टिहीनों अथवा अल्प दृष्टि वाले व्यक्तियों हेतु रेलवे प्लेटफार्मों पर उत्कीर्णन करना तथा दिव्यांगता के उचित चिह्नों की डिवाइसिंग करना शामिल है।

(ii) भारतीय सरकारी वैबसाइट हेतु एनआईसी तथा प्रशासनिक सुधार तथा जन शिकायत विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए केन्द्रीय/राज्य तथा जिला स्तर पर सरकारी वेबसाइटों को सुगम्य बनाना, जो उनकी वेबसाइट "http:// darpg.nic.in" पर उपलब्ध है।

(iii) दिव्यांगजनों हेतु कौशल विकास कार्यक्रम।

(iv) निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली एवं सूचना तथा संचार पारिस्थितिकी प्रणाली की सुगम्यता बढ़ाना। विभाग ने सर्वसुलभ सुगम्यता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अग्रणी अभियान के रूप में ''सुगम्य भारत अभियान'' की अवधारणा प्रारंभ की, जो दिव्यांगजनों को समान अवसर और स्वतंत्र जीवन और एक समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूर्ण भागीदारी के लिए पहुँच का लाभ लेने के लिए समर्थ बनाएगा। अभियान में सुगम्यता लेखा परीक्षा का संचालन और निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली एवं सूचना तथा संचार पारिस्थितिकी प्रणाली तथा आईसीटी पारिस्थितिकी प्रणाली में सार्वजनिक स्थानों/अवसंरचना को पूर्ण सुगम्य बनाना शामिल होगा।

(v) समेकित पुनर्वास केन्द्रों/क्षेत्रीय केन्द्रों/आऊटरीच केन्द्रों तथा जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों की सहायता करना तथा आवश्यकतानुसार नये समेकित विकास केन्द्र और जिला विकास केन्द्र स्थापित करना।

(vi) दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाणपत्रों, पहचान–पत्र और सर्वेक्षण, और सर्वसुलभ (यूनिवर्सल) आईडी जारी करने हेतु शिविरों के आयोजनों में राज्य सरकारों की सहायता करना।

(vii) विभिन्न स्टेकहोल्डरों और अन्य सूचना शिक्षा समुदाय हेतु जागरूकता अभियान और सुग्राहीकरण कार्यक्रम सृजित करना। जागरूकता सृजन और प्रचार योजना का कार्यान्वयन।

(viii) दिव्यांगता मुद्दों एवं काउंसिलिंग पर सूचना का प्रसार करने और सहायक सेवायें प्रदान करने हेतु संसाधन केन्द्र स्थापित करना/सहायता प्रदान करना

(ix) सुगम्य पुस्तकालयों का, भौतिक और डिजिटल दोनों, और अन्य ज्ञान केन्द्र (नालेज सैंटरों) का संवर्धन करना।

(x) दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। दिव्यांगता संबंधित प्रौद्योगिकी, उत्पाद और मुद्दे योजना पर अनुसंधान का कार्यान्वयन।

(xi) श्रवण बाधित नवजात शिशुओं की सहायता करने और नियमित स्कूलिंग हेतु तैयार करने के लिये और आवश्यक कौशल प्राप्त करने हेतु युवा बच्चों की सहायता करने हेतु जिला मुख्यालयों/अन्य और जिला चिकित्सा कालेजों वाले अन्य स्थानों पर प्रारंभिक नैदानिक और सहायता केन्द्र स्थापित करना

(xii) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को संरचनात्मक सुविधाओं हेतु दिव्यांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्तों के कार्यालयों हेतु अनुदान प्रदान करना।

(xiii) जहां उपयुक्त सरकारों/स्थानीय अधिकारियों की अपनी जमीन हो, वहां दिव्यांगजनों के लिए विशेष मनोरंजन केंद्रों का निर्माण/पार्कों का विकास और मौजूदा पार्कों और अन्य शहरी बुनियादी ढाँचों में बाधामुक्त मानक प्रदान करना।

(xiv) राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर खेलकूद आयोजनों हेतु सहायता करना।

(xv) नई योजनाओं या परियोजनाओं के तैयार करने के लिए आवश्यक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु सलाहकार नियुक्त करने संबंधित व्यय को पूरा करने हेतु सहायता।

(xvi) केन्द्रीय/राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के मुख्य पदाधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण।

(xvii) दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन।

(xviii) अधिनियम में निर्दिष्ट किसी ऐसे अन्य कार्यकलाप के लिए वित्तीय सहायता, जिसके लिये विभाग की मौजूदा योजनाओं द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध/कवर नहीं कराई जा रही हैं।

4.3.1 दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण का सृजन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा) के अंतर्गत बाधामुक्त वातावरण के सृजन के लिए देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। निधियां मुख्य रूप से दिव्यांगजनों के लाभ के लिए लिफ्टों के निर्माण, रैंप,सुगम्य शौचालय, टेक्टाइल टाइल्स और सुगम्य वेबसाइटों इत्यादि के लिए जारी की जाती हैं।

4.3.2 कौशल विकास के घटक :

2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) हैं (1.50 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिला पीडब्ल्यूडी)। यद्यपि, भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दिव्यांगजनों का

है, दिव्यांगजन अधिनियम,1995 के कार्यान्वयन के बावजूद, उनकी सार्थक रोजगार की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाई है। सामान्य गरीबी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कम होने के कारण कुल जनसंख्या में, दिव्यांगजनों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक अनुपात में है। ग्रामीण दिव्यांगजन कौशल और बाजारों से काफी हद तक अछूते हैं।

दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों में सुधार करना, दिव्यांग व्यक्तियों, उनके परिवारों के जीवन स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु एक महत्वपूर्ण तत्व है, परन्तु व्यापक अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त लाभ भी हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ख़राब रोजगार परिणामों से जुड़े व्यक्तियों और समाज के लिए यह महंगा पड़ रहा है। विश्व बैंक के अनुसार दिव्यांगजनों को अर्थव्यवस्था के बाहर रखना, जीडीपी का लगभग 5% से 7% छोड़ने के बराबर है। व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभों के अतिरिक्त, श्रम बल की भागीदारी में वृद्धि एक मजबूत आर्थिक अनिवार्यता भी है, जो देश में कुशल श्रम बल की कमी को हल करने में मदद करेगी , साथ ही साथ कल्याण निर्भरता से जुड़े राजकोषीय दबावों को कम करेगी।

4.3.2.1 दिव्यांगजनों के लिए विद्यमान कौशल प्रशिक्षण और रोजगार परिदृश्य नीचे दिए अनुसार हैं : –

- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी)।
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थानों तथा इसके संबद्ध संगठन यथा नेशनल हैंडिकेप्ड फाईनेन्स एंड डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन (एनएचएफडीसी), राष्ट्रीय न्यास इत्यादि द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
- पीएमकेवीवाई के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय दिव्यांगों के 24 व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों (वीआरसीएच) की देखरेख करता है जिसे अब राष्ट्रीय केरियर सेवा केंद्र (एनसीएससी) कहा जाता है,
- 10,000 से अधिक आईटीआई और लगभग 1000 रोजगार एक्सचेंज।
- तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबद्ध सामुदायिक कॉलेजों, आईआईटी और विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
- आवास एवं शहरी मंत्रालय का राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन।
- अन्य केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और राज्य सरकारों के व्यावसायिक प्रशिक्षण / आजीविका कार्यक्रम।
- व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान देने वाले एनजीओ निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संगठनः सीएसआर पहल के तहत, ऐसे कई संगठनों ने अनुकरणीय कार्य किया है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भी दिव्यांगजनों के व्यावसायिक प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

4.3.2.2 सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) :

विभाग द्वारा 21 मार्च, 2015 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के सहयोग से सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई थी।

योजना निम्नलिखित घटकों के साथ विभाग में एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (पीएमयू) के प्रावधानों के साथ प्रारंभ की गई थी :

- प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन इकाई
- सामग्री जनरेशन इकाई
- प्रशिक्षण निगरानी और प्रमाणन इकाई
- नियोक्ता कनेक्ट इकाई
- ई–लर्निंग मॉड्यूल, प्रशिक्षण की निगरानी, ई–प्रमाणीकरण और प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करने के लिए/ नौकरी पोर्टल के निर्माण और रखरखाव के लिए आईटी यूनिट।

(i) उद्देश्य और कवरेज:

(क) दिशानिर्देश, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) और जिनके पास इस आशय के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो, उनको कवर करेंगे।

(ख) महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रयास के रूप में, प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 30% प्रवेश महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया गया है।

(ग) कौशल प्रशिक्षण इस विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से, निहित पात्रता शर्तों के अनुसार प्रदान किया जाता है।

(ii) पात्रता की शर्तें/प्रशिक्षुओं की पात्रता :

(क) भारतीय नागरिकता,

(ख) 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) एवं जिनके पास इस आशय हेतु सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र हो,

दिव्यांगता को पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 1992 की धारा 2(द) जिसे, स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 और/ या किसी भी प्रासंगिक कानून, जो लागू हो, उसके तहत लोगों के कल्याण के लिए नेशनल ट्रस्ट की धारा 2 (ञ) के साथ पढ़ा जाए, के तहत परिभाषित किया गया है।

(ग) पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को आयु कम से कम 15 वर्ष और 59 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(घ) आवेदक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पहले दो वर्ष की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसी भी अन्य कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हुआ हो।

(iii) कार्यान्वयन एजेंसियों (प्रशिक्षण प्रदाताओं) की योग्यता:

(क) इस योजना को कार्यान्वित संगठनों/ संस्थानों के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिन्हें इसके बाद से "प्रशिक्षण भागीदारों" के नाम से संदर्भित किया जाएगा। निम्नलिखित वर्गों के संगठनों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सहायता–अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभाग, या
- केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों सहित केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा स्थापित स्वायत्त निकायों/वैधानिक निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, या
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान/सीआरसी/डीडीआरसी/आरसी/आउटरीच केंद्र, या
- केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों या अधीनस्थ निकायों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त संगठन, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत हैं ।

(ख) संगठन के पास कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का कम से कम तीन साल का अनुभव हो।

(ग) गैर–सरकारी संगठनों के मामले में, वे नीति आयोग की एनजीओ–भागीदारी (एनजीओ–पीएस) के साथ पंजीकृत होंगे और उन्हें एक यूनीक आईडी प्राप्त होनी चाहिए। गैर–सरकारी संगठन द्वारा अनुदान के लिए आवेदन के समय यूनीक आईडी अनिवार्य रूप से उद्धृत की जानी चाहिए।

(iv) आवेदन और चयन की प्रक्रिया :

चरण – I

इस योजना के तहत दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु "प्रशिक्षण भागीदार" के रूप में पंजीकृत होने के लिए अग्रणी समाचार पत्रों में और वेबसाइटों और अन्य मीडिया संगठनों के माध्यम से एक विज्ञापन जारी करके पात्र संगठनों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाएगी। प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में पैनलबद्ध होने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा जो पिछले अनुभव, विशेषज्ञता, अवसंरचना और उपलब्ध जनशक्ति और अन्य समान प्रासंगिक विचारों के मानदंडों के आधार पर चयन करेंगे। प्रशिक्षण भागीदारों का चयन एक निरंतर प्रक्रिया होगी।

(क) चयन समिति का गठन: प्रशिक्षण भागीदारों का चयन करने के लिए समिति निम्न प्रकार से गठित होगी:

1)	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में संबंधित संयुक्त सचिव ,	अध्यक्ष
2)	संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार (डीईपीडब्ल्यूडी के प्रभारी) या उनकी अनुपस्थिति में निदेशक (आईएफडी),	सदस्य
3)	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में संबंधित संयुक्त सचिव या उसके द्वारा नियुक्त कोई भी कम से कम निदेशक /उप सचिव स्तर के अधिकारी।	सदस्य

4)	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, नेशनल हैंडिकेप्ड फाईनेन्स एंड डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन (एनएचएफडीसी)	सदस्य
5)	डीईपीडब्ल्यूडी में संबंधित निदेशक /उप सचिव	सदस्य–संयोजक
6)	निम्न में से प्रत्येक संगठन का एक प्रतिनिधि– (i) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम निगम (एनएसडीसी), (ii) भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), (iii) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफआईसीसीआई)	सदस्य
7)	पीडब्ल्यूडी के लिए सेक्टर स्किल काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
8)	दिव्यांगजनों के पुनर्वास और प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे विभिन्न एनजीओ के तीन प्रतिनिधि(विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं का प्रतिनिधित्व) चयन समिति की हर बैठक के लिए विभाग द्वारा इन सदस्यों का सह–चयन किया जा सकता है।	सदस्य

(ख) समिति जब कभी आवश्यक समझे, विशिष्ट अतिथि के रूप में एक विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकती है।

(ग) संगठनों, जिन्होंने प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में नामित किए जाने हेतु प्रस्ताव भेजा है, के चयन के लिए समिति समय–समय पर (प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक) बैठक आयोजित करेगी।

(घ) सैक्टर स्किल काउंसिल के गठन और इसके पूर्ण संचालन तक समिति विभिन्न कौशल प्रशिक्षण के प्रस्तुत पाठ्यक्रमों को तय/अनुमोदित करेगी और व्यक्तिगत दौरे और अन्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रदान किये गए प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी करेगी।

(ङ) चयन समिति के गैर–सरकारी सदस्य, भारत सरकार के निदेशक के समकक्ष अधिकारी को स्वीकृत दरों पर, टीए/डीए के हकदार होंगे।

(च) चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए गए संगठनों को इस योजना के तहत दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु तीन साल की अवधि के लिए "प्रशिक्षण भागीदारों" के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा।

चरण – II

जो संगठन प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में सूचीबद्ध हैं, वे उपयुक्त प्रशिक्षण हेतु उनके द्वारा प्रस्तावित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विधिवत अनुशंसित नया विशिष्ट परियोजना आवेदन (दोनों तकनीकी और वित्तीय) सौंपेंगे। आवेदनों की जाँच की जाएगी और चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें सहायता–अनुदान के रूप में वित्तीय अनुदान दिया जायेगा।

(v) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमः

(क) एमएसडीई ने दिव्यांगजनों के लिए सैक्टर स्किल काउंसिल का गठन किया है ।

(ख) जैसे ही सैक्टर स्किल काउंसिल पूरी तरह प्रारंभ हो जायेगी, यह उद्योग और अन्य क्षेत्र की कौशल परिषदों के साथ बातचीत के माध्यम से, दिव्यांगजनों के लिए कार्य भूमिकाएं और ओक्यूपेशनल मानक तय करेगी, जो विभिन्न कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तय करने के लिए एक आधार बन जाएगा।

(ग) जब तक क्षेत्र कौशल परिषद पूरी तरह से चालू होगी, उपर्युक्त संदर्भित समिति, प्रशिक्षण भागीदारों को स्वीकृति देते हुए, दिव्यांगजनों के कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अपनाए जाने वाले पाठ्यक्रम पर भी निर्णय लेगी।

(घ) दिव्यांगजनों से संबंधित भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) और राष्ट्रीय संस्थान (एनआई), विभिन्न नौकरियों के लिए समरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बनाने में समिति के साथ सहयोग करेंगे।

(vi) निधियन मानदंड :

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित अधिसूचना सं. एच–22011/2/2014–एसडीई–आई दिनांक 15 जुलाई, 2015, समय–समय पर संशोधित रूप में, कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंड के रूप में प्रशिक्षण लागत, भोजन और आवास लागत, परिवहन/ वाहन लागत, तीसरे पक्ष की प्रमाणन लागत, पोस्ट प्लेसमेंट सहयोग आदि सहित पूरा वित्तपोषण मानदंडों के संबंध में यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगा।

(vii) प्रशिक्षण की गुणवत्ता निगरानी:

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करेगा जो सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं पर बाध्यकारी होंगे।

(viii) अन्य शर्तें:

(क) कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात प्रशिक्षण प्रदाताओं को, सहायता–अनुदान के लिए योजना में दी गई शर्तों का पालन करना होगा।

(ख) कार्यान्वयन एजेंसी एक वेबसाइट रखेगा और प्राप्त सहायता–अनुदान, उसके उद्देश्य, कार्यक्रमों का आयोजन और लाभार्थियों की सूची तथा उनकी नौकरी नियुक्तियों के विवरण को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा।

(ग) विशेष ट्रेडों/ नौकरी भूमिकाओं के लिए लागत मानदंड कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. एच–22011/2/2014–एसडीई–आई दिनांक 15 जुलाई 2015, समय–समय पर संशोधित, की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित लागत श्रेणी के अनुसार तय किए जाएंगे।

(घ) प्रशिक्षण भागीदारों के रूप में चयनित एनजीओ, नीति आयोग के का.ज्ञा. सं एम–11/16(2)/2015–वीएसी दिनांक 10 सितंबर 2015 द्वारा समय–समय पर संशोधित रूप में अधिसूचित केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सामान्य दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगे।

(ix) अन्य कौशल विकास योजनाओं के साथ अभिसरण :

कौशल विकास के घटकों का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों/ विभागों द्वारा संचालित अन्य कौशल विकास योजनाओं के साथ अभिसरण होगा, जो कौशल विकास के लिए सामान्य मानदंडों का पालन करेंगे। यदि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय सभी कौशल विकास योजनाओं को निधि देने का निर्णय करता है, तो सिपडा योजना के इस घटक को बंद कर दिया

जाएगा। विभाग, कौशल विकास पर प्रशिक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में ईआरएनईटी इंडिया द्वारा स्थापित केंद्रों का उपयोग करेगा । एसआईपीडीए के तहत कौशल विकास का कार्यक्रम प्रारंभ होते ही दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत इस विभाग द्वारा वित्तपोषित कौशल विकास का घटक बंद कर दिया जाएगा।

(x) समीक्षा और निगरानी:

दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा एक चयन समिति द्वारा की जाएगी। कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी के लिए एमआईएस आधारित निगरानी तंत्र रखा जाएगा।

(xi) योजना का अधिकार क्षेत्र :

दिशानिर्देशों का अधिकार क्षेत्र, दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण भागीदारों को, निर्धारित वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(xii) गलत सूचना का प्रस्तुतीकरण :

यदि किसी प्रशिक्षु या प्रशिक्षण सहयोगी ने कोई गलत सूचना/ दस्तावेज प्रस्तुत किया है और इसे झूठा पाया गया है, तो उसे लाभ नहीं दिया जाएगा और उस पर व्यय की गई राशि पर 10 प्रतिशत दंडस्वरूप ब्याज के साथ वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के प्रशिक्षु या प्रशिक्षण संगठन को भी भविष्य के लिए ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

(xiii) मुकदमा:

इन दिशानिर्देशों से उत्पन्न मामलों पर किसी भी मुक़दमे पर केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित न्यायालयों का एकमात्र अधिकार क्षेत्र होगा।

(xiv) दिशानिर्देशों के प्रावधानों में परिवर्तन:

इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों को किसी भी समय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार के विवेकानुसार बदला जा सकता है।

(xv) दिशानिर्देशों की समीक्षा:

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, जब आवश्यक हो, अपने विवेक पर, इन दिशानिर्देशों की समीक्षा कर सकता है।

4.3.2.3 राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति:

(i) परियोजना मॉनिटरिंग इकाई:

कौशल विकास के लिए पीएमयू योजना के अनुसार स्थापित किया गया है और यह वर्तमान में विभाग के एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की देखरेख में कार्य कर रहा है, जिसमें उप सचिव/ निदेशक और अवर सचिव के साथ एएसओ, सलाहकारों (आईटी सम्बंधित कार्यों सहित) और उसके नीचे सहायता के लिए डीइओ की टीम है। शुरुआत से ही, कौशल पीएमयू दिव्यांगजनों के गुणवत्ता

कौशल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और उनके रोजगार स्वयं या नौकरी रोजगार या उद्यमिता को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।

(ii) प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) :

योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, एमआईएस भी विकसित किया जा रहा है और यह शीघ्र ही कार्यात्मक होगा। यह एम आई एस पोर्टल को एमएसडीई (एसडीएमएस), नीति आयोग के (पीएस) पोर्टल तथा पीएफएमएस पर एकीकृत करने की योजना है। निगरानी उद्देश्य के लिए आधार सक्षम बायो–मेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी अनिवार्य किया गया है।

(iii) केंद्र दिशानिर्देश:

गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए केंद्रों पर पर्याप्त बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने हाल ही में सीसीटीवी, वीसी, एईबीएएस, नौकरी की भूमिका की विशिष्ट प्रयोगशालाओं, उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षक, प्रशिक्षण केंद्र की अनिवार्य विशेषताओं के रूप में केंद्रीय दिशानिर्देश पेश किए हैं। केंद्र के दिशानिर्देशों के अनुसार भौतिक निरीक्षण द्वारा केंद्र का ऑडिट–किसी भी केंद्र में प्रशिक्षण की अनुमति देने से पहले या तो विभाग के अधिकारियों या तृतीय पार्टी एजेंसी द्वारा अनिवार्य किया गया है। चल रहे प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण भी शुरू किया गया है।

(iv) ई–प्रशिक्षण/ई–लर्निंग:

विभाग ई–लर्निंग/प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास पर भी काम कर रहा है और इसके विभिन्न पहलुओं की जांच करने और इसके कार्यान्वयन के लिए तौर–तरीकों का सुझाव देने के लिए अक्टूबर, 2019 में एक समिति का गठन किया गया है।

4.3.2.4 एनएपी के तहत प्रशिक्षण भागीदार:

योजना दिशा–निर्देशों के अनुसार, गैर–सरकारी संगठनों, निजी प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र के संगठनों में से विभाग द्वारा पैनलबद्ध कौशल प्रशिक्षण भागीदारों के नेटवर्क द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण भागीदारों की पैनलबद्धता चयन समिति द्वारा की जाती है और यह एक सतत प्रक्रिया है। चयन समिति, एनएपी के तहत प्रशिक्षण साझेदार (ईटीपी) के रूप में अब तक आयोजित 15 बैठकों में 28 सरकारी संगठनों और 247 गैर–सरकारी संगठनों सहित 275 संगठनों को पैनलबद्ध किया है, जो देश भर में फैले हुए हैं। चूँकि पैनलबद्धता की वैधता तीन वर्षों की अवधि के लिए है, अब तक टीपीएस के रूप में पैनलबद्ध 275 में से 105 संगठनों की (13 सरकारी और 92 गैर–सरकारी) दिनांक 20.08.2019 की स्थिति के अनुसार अर्थात चयन समिति की 15वीं बैठक तक पैनलबद्ध रहने की वैधता है।

इटीपी के अतिरिक्त विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन विविध संस्थानों अर्थात नेशनल हैंडिकेप्ड फाईनेन्स एंड डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन (एनएचएफडीसी), राष्ट्रीय संस्थान (एनआई) एवं विभिन्न राज्यों में स्थापित उनके समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों (सीआरसी) के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। श्रम मंत्रालय से 24 वीआरसी का हस्तांतरण अभी प्रक्रियाधीन है जो क्वालिटी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए विभाग की क्षमता को बढ़ाएगा।

4.3.2.5 एनएपी के अन्तर्गत वित्तीय सहायता:

प्रशिक्षण सहयोगियों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा वित्तीय सहायता के आधार पर परिणाम उपलब्ध करवाएं गए हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या एच–22014/2/2014–एसडीई–I दिनांक 15 जुलाई, 2015 द्वारा यथा अधिसूचित, समय–समय पर संशोधित अनुसार प्रशिक्षण लागत, भोजन और आवास लागत, परिवहन/यात्रा लागत, तृतीय पक्ष की प्रमाणिकता लागत, पद प्रतिस्थापन सहायता आदि सहित सम्पूर्ण वित्त–पोषण मानकों के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

वर्तमान में प्रशिक्षण सहयोगियों को वित्तीय सहायता तीन किस्तों में जारी की गयी है जो निम्न प्रकार है:

प्रथम किस्त – 30 प्रतिशत प्रशिक्षण आरम्भ होने पर,

दूसरी किस्त – 50 प्रतिशत मूल्यांकन तथा प्रमाणीकरण के पूर्ण होने पर तथा

तीसरी किस्त – 20 प्रतिशत सफल प्रशिक्षुओं के प्लेसमेंट पर।

एनएपी के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के दिव्यांग प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण लागत की दर से अतिरिक्त 10 से 25 प्रतिशत तथा रोजगार आउटरीच गतिविधियों के लिए प्रति दिव्यांगजन 5000/रू. उपलब्ध कराये जाते हैं।

दिव्यांग प्रशिक्षुओं को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है, जो निम्नानुसार है:

निजी सहायक यन्त्र की लागत: रु. 5000 प्रति दिव्यांग प्रशिक्षु को दो किश्तों में अर्थात सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण आरम्भ होने पर 4,000 रूपये तथा 1000 रूपये प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात सफल प्रशिक्षुओं को।

प्रशिक्षण के दौरान उनके यात्रा व्यय को पूरा करने के लिए उसी जिले में दिव्यांग प्रशिक्षु को 1000 रूपये मासिक तथा 1500 रूपये बाहरी जिले के प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के लिए मासिक वाहन लागत।

4.3.2.6 दिव्यांगजनों के लिए कौशल परिषद (एससीपीडब्ल्यूडी):

दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक अलग क्रॉस कटिंग सैक्टर कौशल परिषद बनायी गयी है, जिसका निजी क्षेत्र से एक अध्यक्ष एवं एक पूर्णकालिक सीईओ है। परिषद में दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने वाले सरकारी, निजी क्षेत्र तथा एनजीओ के स्टेकहोल्डरों का प्रतिनिधित्व करने वाले विविध सदस्य हैं। विभाग, क्षेत्रक कौशल परिषद तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के परामर्श से समरूप पाठ्यक्रम, प्रमाणीकरण तन्त्र, दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त रोजगार की पहचान, अतिरिक्त प्रशिक्षण घण्टों की अपेक्षा आदि के सृजन के लिए कार्य कर रहा है।

4.3.2.7 रोजगार सम्बद्ध गतिविधियां:

विभाग, रोजगार सम्बद्ध अवसर उपलब्ध कराने तथा सीएसआर सहायता प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र के विविध संगठनों तथा पीएसयू के साथ उनसे सम्बंध स्थापित करके प्रशिक्षण प्रदाताओं की सहायता भी करता है। विभाग स्वयं अथवा एनएचएफडीसी अथवा इसके प्रशासनिक नियन्त्रण में अन्य अधीनस्थ संगठनों के माध्यम से नियमित रूप से कार्यशालाओं, सम्मेलनों तथा रोजगार मेलों का आयोजन करता है।

4.3.3 सुगम्य भारत अभियान

सरकार ने एक समावेशी समाज की परिकल्पना की है, जिसमें उपयोगी, सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीने के लिए दिव्यांगजनों की प्रगति और विकास हेतु समान अवसर और सुगम्यता प्रदान की जाती है। इस विजन को आगे बढ़ाने के क्रम में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर 3 दिसम्बर, 2015 को सुगम्य भारत अभियान का शुभारम्भ किया। सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांगजनों के लिए तीन घटकों, निर्मित वातावरण, सार्वजनिक परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देते हुए, सर्वसुलभ सुगम्यता सृजित करने के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी अभियान है। विभिन्न हितधारकों के परामर्श के साथ मुख्य लक्ष्यों और उनकी सीमा निर्धारित करते हुए सुगम्य भारत अभियान का कार्यनीति दस्तावेज तैयार किया गया है जो प्रमुख लक्ष्यों और उनकी समयरेखा को परिभाषित करते हैं। अभियान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i) निर्मित वातावरण में सुगम्यता:

लक्ष्य:

(क) 50 शहरों में कम से कम 25–50 सर्वाधिक महत्वपूर्ण सरकारी भवनों को अगस्त, 2019 तक पूर्णतः सुगम्य बनाना

(ख) राष्ट्रीय राजधानी और समस्त राज्य राजधानियों के 50 प्रतिशत सरकारी भवनों को अगस्त, 2019 तक पूर्णतः सुगम्य बनाना।

(ग) 50 प्रतिशत सरकारी भवनों की सुगम्य लेखा–परीक्षा पूरी करना और उपरोक्त लक्ष्य (क) और (ख) में शामिल नहीं किए गए राज्यों के 10 सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहरों/नगरों को दिसम्बर, 2019 तक पूर्णतः सुगम्य बनाना।

इन लक्ष्यों के लिए स्थिति निम्नानुसार है:

- राज्य सरकारों द्वारा अभिज्ञात किए गए 1662 भवनों की सुगम्य लेखा परीक्षा पूरी कर ली गई है।
- राज्य नोडल अधिकारियों को 1662 सुगम्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट जमा करा दी गई है।
- निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के आरम्भ होने से योजना (सिपडा) के तहत सहायता–अनुदान जारी करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 1353 भवनों का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है।
- 1058 भवनों के लिए 354.46 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृति हो चुकी है।
- नवम्बर 2019 तक, सुगम्य लेखा परीक्षा संचालित करने के लिए लेखापरीक्षकों को 283 लाख रूपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है।
- राज्यों/संघ राज्यों को अपनी निजी निधियों से सरकारी भवनों को सुगम्य बनाने के लिए रेट्रोफिटमेंट के कार्य को चरण II और चरण III में शुरू किया जाना है।
- अभिज्ञात किए गए केंद्रीय सरकार के 1108 भवनों में से, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने दिसम्बर, 2019 तक 998 भवनों को सुगम्य बना दिया है।

(ii) परिवहन प्रणाली सुगम्यताः

(क) हवाई अड्डे

लक्ष्य: समस्त अन्तरराष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों को पूर्णतः सुगम्य बनाया जाना।

- नवम्बर 2019 तक 104 संचालित हवाई अड्डों में से, समस्त 35 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और 69 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 पर सुगम्यता विशेषताएं (रैम्प, सुगम्य शौचालय, सहायता केन्द्र और ब्रेल चिह्नों और श्रवण सूचना प्रणाली सहित लिफ्टें) प्रदान की गई हैं। इसके अलावा समस्त अन्तर्राष्ट्रीय/सीमा शुल्क हवाई अड्डों पर एयरोब्रिज प्रदान किए गए हैं।
- केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा दिव्यांगजनों की निर्बाध सुरक्षा जाँच के लिए मानक संचालन प्रक्रिया परिचालित की गई है।

(ख) रेलवे

लक्ष्य: ए1, ए और बी श्रेणी के रेलवे स्टेशनों और समस्त रेलवे स्टेशनों के 50 प्रतिशत रेलवे स्टेशनों को पूर्णतः सुगम्य बनाया जाना।

- ए1,ए और बी श्रेणी के 709 रेलवे स्टेशनों में से, रेल मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात किए गए समस्त स्टेशनों पर सात (07) अल्प कालीन सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
- 682 अन्य श्रेणी के रेलवे स्टेशनों में भी सात (07) अल्प कालीन सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
- इसके अतिरिक्त रेल मंत्रालय द्वारा 31.10.2019 तक 205 रेलवे स्टेशनों पर 705 एस्केलेटर्स एवं 226 रेलवे स्टेशनों पर 521 लिफ्ट प्रदान की गई है।

(ग) बसें

लक्ष्य: सरकारी स्वामित्व वाले 25 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन वाहनों (कैरियरों) को पूर्णतः सुगम्य बनानाः

- उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, 5244 बसों (1,45,287 चालू बस बेड़े का 3.6 प्रतिशत) को पूर्णतः सुगम्य बनाया गया है जबकि व्हीलचेयर सुगम्यता के बिना 30,476 (20 प्रतिशत) बसों (चालू बसों के बेड़े का 27.8 प्रतिशत) को सुगम्य बनाया गया है। सभी नई शहरी बसों को दिव्यांगजन अनुकूल बनाना सुनिश्चित करने के लिए बस ढाँचा संहिता को अनिवार्य कर दिया गया है।

(iii) जानकारी और आईसीटी पारिस्थितिकी तंत्र (आईसीटी इकोसिस्टम) की सुगम्यताः

वेबसाइटें

लक्ष्य: केंद्रीय और राज्य सरकार की कम से कम 50 प्रतिशत वेबसाईटों के सुगम्यता मानकों को पूरा करना है:

- 917 वेबसाइटों को सुगम्य बनाने के लिए 26.19 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से प्रथम किस्त के रूप में 10.48 करोड़ रू. संवितरित किए गए हैं। राज्य सरकार की 348 वेबसाइटों को सुगम्य बनाया जा चुका है।
- केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की 95 वेबसाइटों को विषयवस्तु प्रबंधन फ्रेमवर्क के अन्तर्गत एमईआईटीवाई द्वारा सुगम्य बनाया गया है।

4.3.4 जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी)

4.3.4.1 उद्देश्य

अवसंरचना के सृजन तथा जिला स्तर पर जागरूकता सृजन, पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास व्यवसायिकों को सलाह देने हेतु क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग दिव्यांगजनों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने हेतु देश के सभी गैर–सेवित जिलों में जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता करता है। राज्य सरकारों की सक्रिय सहायता से जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की योजना नौवी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गयी थी तथा बारहवी पंचवर्षीय योजना के दौरान भी चल रही है। कुल 325 जिलों की पहचान की गयी है तथा जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना हेतु अनुमोदन दिया गया है। जिनमें से 264 जिलों में अब तक जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वित्तीय, संरचनात्मक, प्रशासनिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे संबंधित जिलों में दिव्यांगजनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर सकें। दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:–

- शिविर आयोजित कर दिव्यांगजनों का पता लगाना तथा सर्वेक्षण करना;
- दिव्यांगता की रोकथाम, शीघ्र पहचान और सहायता हेतु प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता सृजित करना;
- प्रारंभिक उपाय;
- सहायक उपकरणों की जरूरत का मूल्यांकन, सहायक उपकरणों का प्रावधान/फिटमेंट, सहायक उपकरणों का फोलोअप/मरम्मत;
- चिकित्सीय सेवाएं अर्थात फिजियोथरेपी, व्यावसायिक चिकित्सा, वाक चिकित्सा आदि;
- दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रदान करने में सुविधा, बस पास और अन्य छूट तथा सुविधाएं;

4.3.4.2 कार्यान्वयन में राज्य सरकार की भूमिका

राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों के प्रभावी कार्यान्वयन में सकारात्मक भूमिका अदा करें। स्थानीय प्रशासन की सहभागिता में वृद्धि करने के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों द्वारा विभिन्न गतिविधियों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए मानदेयों तथा अन्य अपेक्षाओं की उपयुक्त ढंग से अनुपूर्ति करें।

राज्य सरकारें जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्रों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जमीनी वास्तविकताओं के मद्देनजर योजना में व्यापक प्रावधान के अन्दर संसाधन करने हेतु जिला प्रबंधन टीम के अध्यक्ष के तौर पर जिला कलेक्टरों को उनकी क्षमता में अधिकृत कर सकती हैं। राज्य सरकारें जिला कलेक्टरों को कठिनाइयों को कम करने हेतु, जिससे केन्द्रीय निधि से धन जारी करने में देरी होती है, अपनी ओर से स्थानीय निधि से अंतरिम अग्रिम जारी करने हेतु भी अधिकृत कर सकती हैं।

4.3.4.3 अनुदान हेतु स्वीकार्य कार्यकलाप/घटक

(i) स्वीकार्य सहायता अनुदान

प्रत्येक जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र को दिव्यांगजनों को व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने हेतु

सहायता–अनुदान दी जाती है। आवर्ती और गैर–आवर्ती अनुदान घटकों के विवरण निम्न प्रकार से हैं :–

(लाख रूपये में)

घटक	सामान्य राज्य (प्रतिवर्ष)	*विशेष राज्यों के लिये (पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र) (20% की वृद्धि)
कुल मानदेय	23.40	28.08
कार्यालय व्यय/आकस्मिक व्यय	5.25	5.25
उपकरण (केवल प्रथम वर्ष के लिये)	20.00	20.00

*विशेष क्षेत्रों में – पूर्वोत्तर राज्य, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एवं दीव, जम्मू एवं कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के साथ–साथ देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे राज्यों के जिले शामिल हैं।

(ii) प्रत्येक पद हेतु निर्धारित जन शक्ति तथा अनुमत मानदेय नीचे दिया गया है :–

क्र. सं.	पद	प्रतिमाह अधिकतम मानदेय (रूपये में)	योग्यता
1.	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ मनोवैज्ञानिक	20500.00	क्लिनिकल मनोविज्ञान में एम.फिल./मनोविज्ञान में एम.ए, दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में 2 वर्ष के अनुभव को वरीयता
2.	वरिष्ठ फिजियोथिरेपिस्ट/ आकोपेशनल थेरेपिस्ट	20500.00	5 वर्ष के अनुभव के साथ संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर
3.	शारीरिक दिव्यांग वरिष्ठ प्रोस्थेटिस्ट/आर्थोटिस्ट	20500.00	प्रोस्थेटिक तथा आर्थोटिक की डिग्री किसी राष्ट्रीय संस्थान को वरीयता, 5 वर्ष के अनुभव सहित अथवा 6 वर्ष के अनुभव के साथ प्रोस्थेटिक तथा आर्थोटिक में डिप्लोमा
4.	प्रोस्थेटिस्ट आर्थोटिस्ट तथा तकनीशियन	14500.00	2/3 वर्ष के अनुभव के साथ आईटीआई प्रशिक्षित
5.	वरिष्ठ वाक थेरेपिस्ट ऑडियोलोजिस्ट	20500.00	संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर/बी.एस.सी. (वाक एवं श्रवण)
6.	श्रवण सहायक/कनिष्ठ वाक थेरेपिस्ट	14500.00	श्रवण यंत्र मरम्मत/ईयर माऊल्ड मेकिंग के ज्ञान के साथ वाक एवं श्रवण में डिप्लोमा
7.	गतिशीलता अनुदेशक	14500.00	गतिशीलता में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा के साथ मैट्रिकुलेशन
8.	बहुद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्त्ता	14500.00	सीबीआर/एमआरडब्ल्यु कोर्स में डिप्लोमा के साथ 10+2 पास अथवा 2 वर्ष के अनुभव के साथ प्रारंभिक बाल्यकाल विशेष शिक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स

क्र. सं.	पद	प्रतिमाह अधिकतम मानदेय (रूपये में)	योग्यता
9.	लेखाकार–सह–लिपिक सह भंडारपाल	14500.00	बी.कॉम/एसएएस के साथ 2 वर्ष का अनुभव
10.	परिचर–सह–चपरासी सह संदेशवाहक	9500.00	8वीं कक्षा उत्तीर्ण
11	क्षेत्र और प्रचार सहायक	14500.00	स्नातक
12	व्यावसायिक सलाहकार कम कंप्यूटर सहायक	14500.00	स्नातक

*उपरोक्त पैरा 4.3.4.3 (i) में परिभाषित विशेष क्षेत्रों में अवस्थित डीडीआरसी में 20 प्रतिशत अतिरिक्त मानदेय स्वीकार्य है।

4.3.4.4 आवेदन कैसे करें:

चिह्नित जिलों में जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना है:–

(i) संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता जिला प्रबंधन टीम (डीएमटी) के गठन करने संबंधी आदेश की प्रति, तथा इसमें समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पंचायती राज, महिला तथा कल्याण विभाग के कर्मचारीगण तथा अन्य कोई विशेषज्ञ, जिसका डीएम/डीसी सहयोग लेना चाहते है, शामिल होंगे।

(ii) जिला प्रबंधन टीम द्वारा चिह्नित/अनुशंसित कार्यान्वयन एजेंसी वरीयता के तौर पर जिला रेडक्रास सोसायटी अथवा राज्य की स्वायत्त निकाय हो सकता है अथवा उनकी अनुपस्थिति में दिव्यांगजनों के पुनर्वास में संलग्न प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठन हो सकता है।

(iii) जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के नाम से संयुक्त बैंक खाता खोलने के लिए बैंक का अधिकार पत्र (इसमें एक प्रतिनिधि जिला प्रबंधन टीम से तथा दूसरा कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अधिकृत व्यक्ति)।

(iv) समितियां अधिनियम/ट्रस्ट अधिनियम/कंपनीज अधिनियम (धारा 25) के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।

(v) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन पंजीकरण प्रमाण–पत्र।

(vi) कार्यान्वयन एजेंसी की पिछले दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों तथा लेखा परीक्षित लेखों (चाटर्ड अकाउंटेंट से विधिवत् स्याही से हस्ताक्षर तथा चार्टर्ड लेखाकार की मोहर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रति) की प्रतियां।

4.3.4.5 जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र को स्वीकृति की प्रक्रिया

निर्धारित दस्तावेजों के साथ पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर उन पर कार्रवाई की जाती है और उन्हें एकीकृत वित्त प्रभाग से वित्तीय सहमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उनकी सहमति के बाद सक्षम प्राधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है तथा बिल तैयार करके उसे जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र के संयुक्त खाते में स्वीकृत राशि के हस्तांतरण के लिये वेतन एवं लेखा कार्यालय को प्रस्तुत किया जाता है।

4.3.5 जागरूकता सृजन और प्रचार के लिए योजनाः

4.3.5.1 उद्देश्य:

(i) दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण सहित उनके कल्याण के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, कार्यक्रमों के इलेक्ट्रोनिक, प्रिंट, फिल्म मीडिया के माध्यम से, कार्यक्रम आधारित प्रचार आदि सहित, व्यापक प्रचार करना।

(ii) दिव्यांगजनों में विश्वास सृजित करने हेतु समान अवसर, समानता एवं सामाजिक न्याय प्रदान करके जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग व्यक्तियों के सामाजिक समावेशन के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करना ताकि वे अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकें।

(iii) संविधान, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 1995 और अधीनस्थ विधान (नों) में यथा निहित दिव्यांगजनों के विधिक अधिकारों के संबंध में दिव्यांगजनों एवं सिविल समाज सहित सभी हितधारकों के ध्यान में लाना।

(iv) नियोक्ताओं और अन्य ऐसे समूहों को विशेषतः भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में सुग्राही बनाना।

(v) दिव्यांगता के लिए जिम्मेदार कारणों और उनका शीघ्र पता लगाकर इसकी रोकथाम आदि के बारे में दूरस्थ एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष जोर देते हुए जागरूकता बढ़ाना और समाज को सुग्राही बनाना।

(vi) दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित विधिक उपबंधों एवं कल्याणकारी योजनाओं का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करना।

(vii) विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के पुनर्वास के लिए विषय वस्तु तैयार करना।

(viii) हेल्पलाइन्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(ix) प्रभावी शिकायत निवारण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(x) दिव्यांगताओं के बारे में प्रतिष्ठित संगठनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(xi) दिव्यांगजनों के मनोरंजन के लिए उपयुक्त सुविधाओं का सृजन करना या सृजन को सरल बनाना जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ पर्यटन, शैक्षिक, चिकित्सीय, धार्मिक पर्यटन, खेलकूद आदि शामिल हो सकते हैं।

(xii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सामुदायिक रेडियो कार्यक्रमों/योजनाओं में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(xiii) दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नौकरी संबंधी मेलों, अभियानों, कौशल विकास के बारे में जागरूकता आदि जैसे क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

(xiv) अनुकूल एवं बाधामुक्त वातावरण, जिसमें सुगम्य भवन, सुगम्य परिवहन, सुगम्य वैबसाइट और सुगम्य लेखा परीक्षा करना शामिल हैं, सृजित करके सर्वसुलभ सुगम्यता के बारे में जागरूकता के प्रसार में सहायता करना।

(xv) दिव्यांगता के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

(xvi) दिव्यांगता के क्षेत्र में जागरूकता सृजित करने से संबंधित क्रियाकलाप/क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

4.3.5.2 दृष्टिकोण एवं कार्यनीति

योजना का दृष्टिकोण निम्नलिखित होगाः

(i) सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से जागरूकता का प्रसार करना।

(ii) सुगम्य वेबसाइट आदि का रख–रखाव करना।

(iii) प्रत्यक्ष रूप से या सामाजिक रूप से सक्रिय समूहों/संगठनों के माध्यम से संगोष्ठी (सेमिनारों), कार्यशालाओं, सांस्कृतिक क्रियाकलापों, मेलों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करना।

(iv) दिव्यांगता के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलों में भागीदारी करना।

(v) प्रौद्योगिकी, सहायक सामग्री एवं उपकरणों की उपलब्धता आदि सहित दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन, सर्वेक्षण, गणना एवं मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित करना।

(vi) विभिन्न विभागों, संगठनों द्वारा इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों का समन्वय एवं समेकन करना।

(vii) 'सामाजिक हित' एवं 'सामुदायिक कल्याण' के विकास के लिए कार्यरत स्व–सहायता समूहों, अभिभावक संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(viii) कलाकारों के मानदेय, ठहरने एवं खाने–पीने तथा लाना–ले जाना और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देय भुगतान की लागत का वहन करके, दूरदर्शन पर दिव्यांगजनों द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए एवं प्रदर्षित किए गए कार्यक्रमों के प्रदर्शन को दिखाने जैसे क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करना।

(ix) विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करना, विशेष दिवसों आदि को मनाना।

(x) स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास एवं उपकरणों के क्षेत्र में विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय की कमी उनकी प्रभावकारिता को कम करती है। स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दिव्यांगता के क्षेत्र में थोड़ा–बहुत कार्य कर रहे हैं। ऐसी सभी पहलों के सफल कार्यान्वयन के लिए विभाग के अधीन एक अंतर–मंत्रालयी समिति गठित की जाए जो सेवाओं एवं रेफरल प्रणाली के वितरण में सुधार लाने के लिए संगठनों के बीच समन्वय करे, संयुक्त उद्यमों, संयुक्त समझौता वार्ताओं, ज्ञान एवं विशेषज्ञता को साझा करे और विभाग विशेषज्ञ शिक्षक को साझा करने तथा प्रणाली के प्रसार को बढ़ावा दे।

(xi) जहां कहीं उचित हो, पंचायती राज संस्थानों को शामिल करना।

(xii) नौकरी मेलों सहित दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास एवं रोजगार सृजन हेतु जागरूकता अभियान में सहायता करना।

(xiii) अनुकूल एवं बाधामुक्त वातावरण, जिसमें सुगम्य भवन, सुगम्य परिवहन, सुगम्य वेबसाइट और सुगम्य लेखा परीक्षा शामिल हैं, सृजित करके और सर्वसुलभ सुगम्यता के बारे में जागरूकता के प्रसार में सहायता करना।

(xiv) दिव्यांगता के क्षेत्र में व्यक्तिगत उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

(xv) दिव्यांगता क्षेत्र में जागरूकता सृजित करने से संबंधित सुसंगत गतिविधियों/क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

4.3.5.3 योजना के अंतर्गत सहायता के लिए स्वीकार्य घटक

सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लोगो के अधीन ऐसे क्रियाकलाप करने के लिए स्वयं निम्नलिखित क्रियाकलाप कर सकती है या विभिन्न संगठनों से आवेदन आमंत्रित कर सकती है या उनके द्वारा स्वविवेक से प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार कर सकती है।

(i) हैल्पलाइन

(ii) विषय वस्तु तैयारी, प्रकाशन एवं न्यू मीडिया

(iii) कार्यक्रम

(क) राष्ट्रीय पुरस्कार एवं समर्थ आदि सहित विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम।

(ग) गैर–सरकारी संगठन कार्यक्रम।

इस योजना के अन्तर्गत, अन्तर्वैयक्तिक संवाद, नुक्कड़ नाटको, फिल्म शो, रोड़ शो आदि के द्वारा जागरूकता सृजन के लिए स्व सहायता एवं पक्षधर समूहों, माता–पिता एवं सामुदायिक जुटाव की सहभागिता दिव्यांगता के लाने के लिए दिव्यांगजनों और उनके परिवारों के लिए व्यक्तिगत अथवा समूह आधारित शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सहायता सेवा प्रदान हेतु अनुदान पर विचार किया जा सकता है।

(घ) उपर्युक्त संगठनों द्वारा आयोजित राज्य/जिला स्तरीय कार्यक्रम।

(iv) वाणिज्यिक स्थापनाओं एवं नियोक्तओं को सुग्राही बनाने के लिए स्वैच्छिक सेवा/आउटरीच कार्यक्रम।

(v) मनोरंजन एवं पर्यटन।

(vi) सामुदायिक रेडियो में भागीदारी।

(vii) प्रेस/मीडिया दौरे एवं अन्य मीडिया विशिष्ट क्रियाकलाप

(viii) ब्रांड एंबेसडर

4.3.5.4 अनुदानों/वित्तीय सहायता के लिए पात्र संगठन

(i) स्वयं–सहायता समूह।

(ii) पक्षधर एवं स्व पक्षधर संगठन।

(iii) मोबिलाइजेशन तथा सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए कार्यरत माता–पिता एवं सामुदायिक संगठन।

(iv) मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक सहायता सेवा।

(v) समुदाय आधारित पुनर्वास संगठन।

(vi) श्रम बाजार कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सामाजिक बीमा, सहायता सेवाएं प्रदान करने, तनाव प्रबंधन और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक अलगाव के उन्मूलन सहित दिव्यांगता सेक्टर के क्षेत्र में कार्यरत संगठन।

(vii) विभागों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, महाविद्यालयों आदि सहित केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठन।

4.3.5.5 पात्रता मानदंड

(i) समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन संगठनों या भारतीय न्यास अधिनियम, 1982 या चेरिटेबल एवं धार्मिक एंडोवमेंट अधिनियम, 1920 के अधीन पंजीकृत सार्वजनिक न्यास या कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अधीन पंजीकृत या केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन पंजीकृत निगम आदि सहित 4(क) के अंतर्गत संगठनों के लिए एक पंजीकृत संगठन के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष से अस्तित्व में हो।

(ii) संगठन को गैर–लाभकारी (नॉन–प्रोफिट) तथा 'लाभ के लिए नहीं' संगठन होना चाहिए या वह अपने लाभों का, यदि कोई हो तो, या अन्य आय का उपयोग चेरिटेबल उद्देश्यों को बढ़ावा देने में करता हो।

(iii) विभागों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, महाविद्यालयों आदि सहित केन्द्रीय/राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संगठनों या कंपनी अधिनियम की धारा 8 या केन्द्रीय/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी सुसंगत अधिनियम के अधीन पंजीकृत निगम को निःशक्तजन अधिनियम के अधीन पंजीकरण की शर्तों में छूट दी गई है।

(iv) पिछले तीन वर्षों के विधिवत लेखा परीक्षित एवं समुचित रूप से अनुरक्षित लेखों और आय विवरणी और प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट।

(v) सुसंगत क्रियाकलाप, जिसके लिए अनुदान/वित्तीय सहायता मांगी गई है, को एक क्रियाकलाप के रूप में उनके संघ के ज्ञापन में परिलक्षित किया जाना चाहिए।

(vi) केवल संबंधित क्षेत्र में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाले संगठनों पर ही अनुदानों के लिए विचार किया जा सकता है।

(vii) गैर सरकारी संगठनों के मामले में प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार की सिफारिश अपेक्षित है।

4.3.5.6 राशि स्वीकृत करना एवं जारी करना

इस योजना के अंतर्गत संगठनों से वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन माँगे जाते हैं। सभी स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएँगी और सभी संवितरण विभाग के एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति से किया जाएगा।

(i) अल्पकालिक परियोजनाएं (एक बार का कार्यक्रम या परियोजनाएं जिनकी अवधि 6 माह से अधिक न हों);

संवितरण दो किस्तों में निम्नानुसार किया जाएगा;

(क) 75% – अनुमोदन, स्वीकृति, आवश्यक निष्पादित बंधपत्र (बांड) आदि के बाद।

(ख) 25% – अंतिम रिपोर्ट और प्रथम किस्त के लिए उपयोग प्रमाण पत्र, मदवार व्यय सहित लेखापरीक्षित लेखा विवरण प्राप्त हो जाने के बाद।

(ii) दीर्घकालिक परियोजनाएं (6 माह एवं इससे अधिक की अवधि की परियोजनाएं)

संवितरण तीन किस्तों में निम्नानुसार किया जा सकता है :

(क) 40%– परियोजना के अनुमोदन, स्वीकृति तथा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने/बांड के निष्पादन आदि के बाद।

(ख) 40%– प्रगति समीक्षा, पहली किस्त का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के बाद।

(ग) 20%– अंतिम रिपोर्ट, पूर्ण राशि के लिए उपयोग प्रमाण पत्र तथा मदवार व्यय सहित लेखापरीक्षित लेखा विवरण प्राप्त हो जाने के बाद।

4.3.6 दिव्यांगता संबंधित प्रोद्योगिकी, उत्पाद और विषयों पर अनुसंधान

यह योजना वर्ष 2015–16 में शुरू की गई थी। 12 वीं पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बाद, इस योजना का अम्ब्रेला योजना सिपडा के अन्तर्गत विलय करने हेतु निर्णय लिया गया था। व्यय कार्यकारिणी वित्त समिति ने पहले से ही सिपडा योजना को अनुमोदित कर दिया है जो दिव्यांगता क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के घटकों को कवर करती है। योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

(i) जीवन चक्र की आवश्यकताओं, व्यक्तियों और उनके परिवारों के समग्र विकास के आधार पर सेवा मॉडलों और कार्यक्रमों के अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए एक सक्षम वातावरण का सृजन करना।

(ii) जीवन की समानता में सुधार लाने के लिए अनुप्रयुक्त और कार्यात्मक अनुसंधान को शुरू करना और जारी करना।

(iii) दिव्यांगता की रोकथाम और प्रसार पर अनुसंधान को बढ़ावा देना और स्वदेशी, उपयुक्त सहायक यंत्रों और उपकरणों के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

(iv) अनुसंधान के परिणामों और नीति तथा योजना एवं कार्यप्रणाली के मध्य सुदृढ़ सम्पर्क का विकास करना।

(v) दिव्यांगजनों की दिव्यांगता के क्षेत में अनुप्रयुक्त अनुसंधान और उत्पाद विकास परियोजनाओं में सक्रिय और अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करना।

कार्यान्वयन प्रक्रिया

(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना का संचालन सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यक्षता में एक संचालन समिति द्वारा किया जाता है।

(ii) जांच–सह–तकनीकी समिति प्रत्येक प्रस्ताव की जांच और मूल्यांकन करती है और संचालक समिति को अपनी सिफारिशें भेजती है जो अनुसंधान/सर्वेक्षण शुरू किए जाने वाले अध्ययन की स्वीकृति का फैसला करती है।

4.3.7 विशिष्ट दिव्यांगता पहचान परियोजना (यूडीआईडी)

(i) विभाग दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के विचार से और प्रत्येक दिव्यांगजनों को निर्दिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी करने के उद्देश्य के लिए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है।

(ii) विभाग ने इस उद्देश्य के लिए पहले से ही एप्लीकेशन साफ्टवेयर तैयार किया है और उसे एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया है।

(iii) यूडीआईडी कार्ड देशभर में वैध होगा। इसके अतिरिक्त, यूडीआईडी वेबपोर्टल देशभर में किसी भी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र/यूडीआईडी कार्ड की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए एक आनलाईन मंच प्रदान करेगा।

(iv) 18.12.2019 की स्थिति के अनुसार भारत में सभी 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 646 जिलों में 25 लाख से अधिक ई–यूडीआईडी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

(v) केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित के संबंध में सहायता प्रदान करती है :–

(क) प्रचार गतिविधि (जनसंख्या के आधार पर प्रतिजिला 1.5 लाख रू. से 2.5 लाख रू. तक)।

(ख) कम्प्यूटर, प्रिंटर, बायोमैट्रिक स्कैनर और प्रतिजिला 1 लाख रू. तक की कीमत के वेब–कैमरे के रूप में आईटी आधारभूत सुविधाएं।

(ग) 3.61 रू. प्रति प्रमाण–पत्र की दर से मौजूदा मैन्युअल डाटा का डिजिटाईजेशन।

(घ) राज्य समन्वयक का 50,000 रू. प्रतिमाह की दर से पारिश्रमिक।

4.3.8 निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडीएस) को रोजगार प्रदान करने के लिए संशोधित प्रोत्साहन योजना

पृष्ठभूमिः

दिव्यांगजनों के लिए निजी क्षेत्र को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को दिव्यांगों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहन की एक योजना वर्ष 2008–09 में शुरू की गई थी। इस योजना में सरकार द्वारा ईपीएफ और ईएसआई के लिए नियोक्ता के 3 साल के योगदान के भुगतान की परिकल्पना की गई है।

इस योजना को 1 अप्रैल, 2016 से संशोधित किया गया था, जिसके तहत सरकार द्वारा ईपीएफ और ईएसआई में नियोक्ता के योगदान का भुगतान 10 वर्षों तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा, दिव्यांग कर्मचारियों के लिए वेतन सीमा हटा दी गई है। इसके अलावा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) दिव्यांग कर्मचारियों के लिए देय और स्वीकार्य अनुदान राशि का एक तिहाई वहन करेगा। ईपीएफ/ईएसआई अंशदान (लागू दरों पर) पर लागू होने वाले प्रशासनिक शुल्क वर्तमान में नियोक्ताओं द्वारा जमा किए जा रहे हैं जो डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा वहन किए जाएंगे।

नियोक्ताओं को अपने दिव्यांग कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफ/ईएसआई अंशदान जमा करने की आवश्यकता नहीं है। नियोक्ताओं को केवल उनके द्वारा की गई नियुक्तियों के बारे में ईपीएफओ/ईएसआईसी को सूचित करना होगा और ईपीएफओ/ईएसआईसी में कर्मचारियों के योगदान को प्रस्तुत करना होगा। नियोक्ता अंशदान ईपीएफओ और ईएसआईसी द्वारा उन कर्मचारियों के संबंधित खातों में जमा किया जाएगा, जिनके लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अग्रिम रूप से ईपीएफओ/ईएसआईसी को भुगतान करेगा।

इस योजना में एक प्रावधान यह भी शामिल किया गया है कि यदि कोई निजी नियोक्ता दिव्यांगजनों को किसी विशेष व्यापार में प्रशिक्षु के रूप में संलग्न करता है और उन्हें प्रशिक्षुता अवधि के पूरा होने पर रोजगार प्रदान करता है, दिव्यांगजनों को प्रशिक्षुता अवधि के दौरान देय वजीफा (स्टाईपेंड) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

4.3.9 राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य सेवा प्रदाताओं के मुख्य पदाधिकारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण और संवेदीकरण

इस योजना का उद्देश्य केन्द्रीय/राज्य सरकार, स्थानीय निकाय और अन्य सेवा प्रदाताओं के मुख्य

पदाधिकारियों को, बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में दिव्यांगता क्षेत्र के सामने आने वाले नए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाओं के माध्यम से, प्रशिक्षित और सुग्राही बनाना है।

4.3.10 समेकित क्षेत्रीय केन्द्र (सीआरसी):–

विभाग ने राष्ट्रीय संस्थानों की विस्तारित शाखाओं के रूप में 20 समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) की स्थापना को मंजूरी दे दी है। सीआरसी के मूल उद्देश्य सभी श्रेणी के दिव्यांगजनों, प्रशिक्षण पुनर्वास व्यावसायिकों, कामगारों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम चलाना और दिव्यांगजनों की जरूरतों और अधिकारों के बारे में माता–पिता और समुदाय के बीच जागरूकता सृजन करना है। इन 20 सीआरसी का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी)	राष्ट्रीय संस्थान जिसके अन्तर्गत सीआरसी काम–काज कर रहे हैं	स्थापना का वर्ष
1.	सीआरसी, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)	पीडीयूएनआईपीपीडी	2000
2.	सीआरसी, भोपाल (एमपी)	एवाईजेएनआईएसएचडी	2000
3.	सीआरसी, लखनऊ (यूपी)	पीडीयूएनआईपीपीडी	2000
4.	सीआरसी, गुवाहाटी (असम)	एसवीएनआईआरटीएआर	2001
5.	सीआरसी, सुंदरनगर (हिमाचल प्रदेश)	एनआईईपीवीडी	2001
6.	सीआरसी, पटना (बिहार)	एनआईएलडी	2009
7.	सीआरसी, अहमदाबाद (गुजरात)	एवाईजेएनएसआईएचडी	2011
8.	सीआरसी, कोझीकोड (केरल)	एनआईईपीएमडी	2012
9.	सीआरसी, राजनंदगांव (छत्तीसगढ़)	एसवीएनआईआरटीएआर	2015
10.	सीआरसी, नैल्लोर (एपी)	एनआईईपीआईडी	2015
11.	सीआरसी, देवनगैर (कर्नाटक)	एनआईईपीआईडी	2016
12.	सीआरसी, नागपुर (महाराष्ट्र)	एनआईईपीएमडी	2016
13.	सीआरसी, त्रिपुरा (त्रिपुरा)	एनआईएलडी	2017
14.	सीआरसी, नाहरलागुन (अरुणाचल प्रदेश)	एनआईएलडी	2017
15.	सीआरसी, रांची (झारखंड)	एसवीएनआईआरटीएआर	2017
16.	सीआरसी, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	एनआईईपीएमडी	2018
17.	सीआरसी, बलांगीर (ओडिशा)	एसवीएनआईआरटीएआर	2018
18.	सीआरसी, सिक्किम (सिक्किम)	एनआईईपीएमडी	2018
19.	सीआरसी, अंडमान और निकोबार (अंडमान और निकोबार)	एनआईईपीएमडी	2019
20.	सीआरसी, शिलांग	एनआईईपीएमडी	2019

4.4 छात्रवृत्ति योजनाएं

(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग वर्तमान में एक समग्र 'योजना दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना' लागू कर रहा है। समग्र छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों को अपनी आजीविका उपार्जन के लिए आगे की पढ़ाई करने हेतु और समाज में एक सम्मानजनक स्थान पाने के लिए सशक्त बनाना है, क्योंकि वे अध्ययन कार्य करने और गरिमापूर्ण जीवन जीने में शारीरिक, वित्तीय और मनोवैज्ञानिक बाधाओं का सामना करते हैं।

(ii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की अनुसूची में परिभाषित विनिर्दिष्ट दिव्यांगताओं से ग्रस्त छात्र दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं।

(iii) "दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति" की समग्र योजना के 6 घटक निम्नानुसार हैं:–

(क) प्री–मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए)।

(ख) पोस्ट–मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए)।

(ग) उच्च श्रेणी शिक्षा (शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए)।

(घ) राष्ट्रीय फैलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम0फिल0/पी–एच0डी0 के लिए)।

(ङ) राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री /पी–एच0डी0 के लिए)।

(च) निःशुल्क कोचिंग (समूह क और ख में भर्ती परीक्षा और तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए)।

(iv) 2017–18 तक, इन छह छात्रवृत्ति योजनाओं को अलग–अलग बजट वाली स्टैंड–अलोन योजनाओं के रूप में लागू किया गया था। इन योजनाओं को अलग–अलग वर्षों में शुरू किया गया था। 1 अप्रैल, 2018 से, सभी छह छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक, उच्च श्रेणी शिक्षा, राष्ट्रीय फैलोशिप, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति, निःशुल्क कोचिंग का विलय 'दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना' शीर्षकाधीन योजना में कर दिया गया है। 2018–19 से योजनाओं का विलय/एकीकरण बजट आवंटन की मांग–आपूर्ति असंतुलन को दूर करने और कार्यान्वयन प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए किया गया है। समग्र योजना में, यदि एक भाग में अधिशेष निधि उपलब्ध होती है, तो उस अधिशेष निधि का उपयोग दूसरे भाग में किया जा सकता है।

(v) **पात्रता की शर्तें:**

योजना के सभी घटकों की पात्रता की सामान्य शर्तें नीचे दी गई हैं:

(क) छात्रवृत्तियां केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं।

(ख) सभी छह छात्रवृत्तियां ऐसे दिव्यांग छात्रों के लिए लागू हैं जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगताओं से ग्रस्त हैं अथवा जिनके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियमों के तहत यथा निर्धारित वैध प्रमाणपत्र है। दिव्यांगता, ''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016'' में यथा परिभाषित अनुसार है।

(ग) एक ही माता–पिता के दो से अधिक दिव्यांग बच्चे योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति दोनों जुड़वा बच्चों के लिए स्वीकार्य होगी, बशर्ते कि दूसरा बच्चा जुड़वा हो।

(घ) किसी भी कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी। यदि किसी छात्र को एक कक्षा दोहरानी है, तो उसे उस कक्षा के लिए एक द्वितीय (अनुवर्ती) वर्ष के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

(ङ) इस योजना के तहत एक छात्रवृत्ति धारक कोई भी अन्य छात्रवृत्ति/स्टाईपेंड नहीं रखेगा। यदि उस कोई अन्य छात्रवृत्ति/ स्टाईपेंड दिया जाता है, तो छात्र अपनी दो छात्रवृत्तियों/स्टाईपेंड में से किसी एक, जो उसके लिए अधिक लाभकारी हो, के लिए विकल्प दे सकता है, और उसे विकल्प के मोड के बारे में संस्थान के प्रमुख के माध्यम से पुरस्कार देने वाले प्राधिकरण को सूचित करना चाहिए। इस योजना के तहत छात्रों को किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान उस तारीख से नहीं किया जाएगा जिस तारीख से उसने किसी अन्य छात्रवृत्ति/स्टाईपेंड प्राप्त की है। तथापि, छात्र योजना के अंतर्गत दी गई छात्रवृत्ति के अतिरिक्त पुस्तक, उपकरण की खरीद अथवा भोजन और आवास पर किए गए व्ययों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से निःशुल्क आवास अथवा अनुदान अथवा तदर्थ मौद्रिक सहायता स्वीकार कर सकते हैं।

(च) छात्रवृत्ति धारक जो केंद्र सरकार / राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्रों में से किसी में कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के तहत स्टाईपेंड के लिए पात्र नहीं होंगे।

(vi) **छात्राओं के लिए स्लॉट का आरक्षणः**

प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा में हर वर्ष उपलब्ध कुल छात्रवृत्ति स्लॉट का 50 प्रतिशत और राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति स्लॉट का 30 प्रतिशत महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। तथापि, यदि योजना के निबंधन और शर्तों के अनुसार पर्याप्त संख्या में महिला उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं या योग्य नहीं हैं, तो उपयुक्त पुरुष उम्मीदवारों का चयन करके अनुपयुक्त स्लॉट का उपयोग किया जा रहा है।

(vii) **कार्यान्वयन एजेंसीः**

दिव्यांग छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से लागू की जाती है और छात्रवृत्ति राशि को पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को भेज दिया जाता है।

दिव्यांग छात्रों के लिए यूजीसी पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय फैलोशिप कार्यान्वित की जाती है। यूजीसी और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां होंगी। जबकि, यूजीसी योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए जिम्मेदार होगी और यूजीसी द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को धन के संवितरण के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) जिम्मेदार होगा। फेलोशिप की राशि कैनरा बैंक के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है।

दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति और दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा ऑफलाइन कार्यान्वित किया जाता है और छात्रवृत्ति राशि को पीएफएमएस के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दिया जाता है।

(viii) **योजना का क्षेत्र अधिकारः**

इस योजना का क्षेत्र अधिकार चयनित उम्मीदवारों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। योजना में लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के रोजगार पहलुओं को शामिल नहीं किया गया है और साथ ही इसमें छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के पश्चात लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों (अवार्डीज) को कहीं रोजगार प्राप्त करने में उनकी सहायता करने का प्रावधान नहीं है।

(ix) **मिथ्या सूचना का प्रस्तुतीकरणः**

यदि किसी उम्मीदवार ने झूठी सूचना/दस्तावेज जमा कराया है और वह नकली सिद्ध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह अवार्ड पाने से वंचित हो जाएगा और यदि उसने जो प्राप्त कर लिया है अथवा प्राप्त कर रहा है, और तो उस पर 15 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित खर्च की गई धनराशि की वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ की जाएगी। ऐसे उम्मीदवारों को भविष्य में काली सूची में भी डाला जायेगा एवं उम्मीदवारों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

समग्र छात्रवृत्ति योजना की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैः–

I. प्री–मैट्रिक (कक्षा IX और X के लिए)

(इस योजना के अंतर्गत कक्षा IX और X में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां उपलब्ध होगी)

क) अभिभावक/संरक्षक की अधिकतम आय सीमा : अभिभावक/संरक्षक की अधिकतम आय सीमा सभी स्रोतों से 2.50 लाख रूपए प्रति वर्ष है।

ख) रखरखाव भत्ता : रु. 800/– प्रति माह होस्टलर के लिए और डे स्कॉलर के लिए रु. 500/– प्रति माह। रखरखाव भत्ता एक वर्ष में 12 महीने के लिए भुगतान किया जाता है।

ग) दिव्यांगता भत्ताः दिव्यांगता से संबंधित विभिन्न प्रकार के भत्ते निम्न प्रकार से देय होंगेः

क्र.सं.	दिव्यांगता के प्रकार	राशि (रू. प्रति वर्ष)
1.	दृष्टि बाधित	4000
2.	श्रवण बाधित	2000
3.	शारीरिक दिव्यांग (ओएच)	2000
4.	बौद्धिक दिव्यांगता	4000
5.	अन्य सभी प्रकार की दिव्यांगता जो उपरोक्त के अंतर्गत शामिल नहीं है।	2000

घ) पुस्तक भत्ताः उपरोक्त के अलावा, 1000/– प्रति वर्ष पुस्तक भत्ता का भुगतान किया जाता है।

ङ) स्लॉट्स की संख्याः 25,000 + रिन्युअल छात्र

II. पोस्ट–मैट्रिक (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए)

इस योजना के तहत XI, XII, स्नातकोत्तर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट और भारत में स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा और यूजीसी/एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां उपलब्ध होंगी।

क) अभिभावक/संरक्षक की अधिकतम आय सीमा : अभिभावक/संरक्षक की सभी स्त्रोतों से आय की अधिकतम सीमा 2.50 लाख रूपए प्रति वर्ष है।

ख) रखरखाव भत्ताः विभिन्न समूहों/ समूहों की श्रेणियों के लिए रखरखाव भत्ता नीचे दिया गया हैः

समूह I: मेडिसिन/इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, प्लानिंग/वास्तुकला, फैशन प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, बिजनेस/ वित्त/प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/अनुप्रयोग, कृषि, पशु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान में सभी स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम।

रखरखाव भत्ते की दर रु. 1600/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 750/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

समूह II: फार्मेसी (बी फॉर्मा), एलएलबी, बीएफएस, पुनर्वास, नैदानिक आदि जैसी अन्य पैरा–मेडिकल ब्रांच, जनसंचार, होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग, ट्रैवल/पर्यटन/ होस्पिटैलिटी प्रबंधन, आंतरिक सास–सज्जा, पोषण एवं आहार विद्या, वाणिज्यिक कला, वित्तीय सेवाएं (अर्थात बैंकिंग, बीमा, कराधान आदि) जैसे क्षेत्रों में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम

रखरखाव भत्ते की दर रु. 1100/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 700/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

समूह III: स्नातक डिग्री वाले सभी अन्य पाठ्यक्रम जो समूह I तथा II अर्थात बीए/ बीएससी/ बी.कॉम आदि के अंतर्गत नहीं आते हैं।

रखरखाव भत्ते की दर रु. 950/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 650/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

समूह IV: समस्त पोस्ट–मैट्रिक स्तर के गैर–डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश अर्हता हाईस्कूल (कक्षा X) अर्थात वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाणपत्र (कक्षा XI तथा XII); सामान्य और व्यावसायिक स्ट्रीम, आईटीआई पाठ्यक्रम, पोलिटेक्निक में 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि है।

रखरखाव भत्ते की दर रु. 900/– प्रति माह होस्टलर के लिए और रु. 550/– प्रति माह डे स्कॉलर के लिए।

(ग) दिव्यांगता भत्ता : दिव्यांगता से संबंधित विभिन्न प्रकार के भत्ते निम्न प्रकार से देय होंगेः

क्र.सं.	दिव्यांगता के प्रकार	राशि (रू. प्रति वर्ष)
1.	दृष्टिबाधित	4000
2.	श्रवण बाधित	2000
3.	शारीरिक दिव्यांग (ओएच)	2000
4.	बौद्धिक दिव्यांगता	4000
5.	सभी अन्य प्रकार की दिव्यांगताएं जो ऊपर शामिल नहीं की गई हैं।	2000

घ) पुस्तक भत्ताः उपरोक्त के अलावा, 1500/– प्रति वर्ष पुस्तक भत्ता का भुगतान किया जाता है।

ङ) ट्यूशन शुल्क : चुकाया गया ट्यूशन शुल्क प्रति वर्ष 1.50 लाख रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन है।

च) स्लॉट्स की संख्याः 17,000 + छात्रों का नवीकरण।

III. उच्च श्रेणी शिक्षा (शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए)

(दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए XII वीं योजना कार्य समूह की सिफारिश पर 2015–16 से उच्च श्रेणी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति शुरू की गई थी। 2017–18 तक, शिक्षा में उत्कृष्टता के अधिसूचित संस्थानों में केवल स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को अनुमति दी गई है। तथापि, शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से, 240 अधिसूचित संस्थानों में इस योजना में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम भी शामिल किए गए हैं)।

(क) अभिभावक/संरक्षक की अधिकतम आयः अधिकतम सीमा रू. 6 लाख प्रति वर्ष है।

(ख) रखरखाव भत्ताः 3000/– प्रति माह होस्टलर के लिए और डे स्कॉलर के लिए रु. 1500/– प्रति माह की दर से दिया जाता है।

(ग) दिव्यांगता भत्ताः रू. 2000/– प्रति माह।

(घ) पुस्तक अनुदानः रू. 5000/– प्रति वर्ष।

(ङ) ट्यूशन शुल्क : प्रति वर्ष 2.00 लाख रूपए प्रतिवर्ष (वास्तविक राशि के अध्यधीन)

(च) कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर तथा सहायक यंत्र एवं उपकरणों की खरीद के लिए व्यय की प्रतिपूर्तिः कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए 60,000/–रुपए की दर से पूरे पाठ्यक्रम हेतु एकमुश्त अनुदान।

(ज) स्लॉट्स की संख्याः 300 + छात्रों का नवीकरण

IV. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदेशी विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर डिग्री/पी–एच0डी0 के लिए)

अध्ययन के लिए निम्नलिखित विनिर्दिष्ट अध्ययन क्षेत्रों में विदेश में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम और पीएच.डी करने के लिए चुने गए दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिएः (क) इंजीनियरिंग और प्रबंधन (ख) शुद्ध विज्ञान और अनप्रयुक्त (एप्लाइड) विज्ञान (ग) कृषि विज्ञान और मेडिसिन (घ) वाणिज्य, लेखांकन और वित्त और (ङ) मानविकी, कानून और ललित कला सहित सामाजिक विज्ञान।

न्यूनतम योग्यता :

पीएचडी के लिए : प्रासंगिक स्नातकोत्तर डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा 55 प्रतिशत (पचपन प्रतिशत) अंक अथवा समकक्ष ग्रेड। अनुभवी उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, विशेष रूप से उन लोगों जो अपने मौजूदा पद पर नियोक्ता के साथ पुनः ग्रहणाधिकार (लियन) पर हैं।

स्नातकोत्तर डिग्री के लिए : प्रासंगिक स्नातक डिग्री में 55 प्रतिशत (पचपन प्रतिशत) अंक अथवा समकक्ष ग्रेड। अनुभवी उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, विशेष रूप से उन लोगों जो अपने मौजूदा पद पर नियोक्ता के साथ पुनः ग्रहणाधिकार (लियन) पर हैं।

आयु :

योजना के विज्ञापन के मास के प्रथम दिन की स्थिति के अनुसार 35 (पैंतीस) वर्ष से कम।

क) अभिभावक/संरक्षक की आयः अधिकतम आय सीमा रू. 6 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख) ट्यूशन शुल्कः विदेशी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को चुकाई गई वास्तविक ट्यूशन शुल्क ।

ग) रखरखाव भत्ताः यूनाईटेड किंगडम के अलावा जहां पर यह प्रति वर्ष 9900 रू. जीबीपी है, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों हेतु – 15400/– अमरीकी डालर ।

घ) वार्षिक आकस्मिक व्यय भत्ता : यूनाईटेड किंगडम के अलावा जहां पर यह प्रति वर्ष 1100 रू. जीबीपी है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों में 1500/– अमरीकी डालर।

ङ) प्रासंगिक यात्रा भत्ता : 20/– अमरीकी डालर या भारतीय रूपये में इसके समकक्ष।

च) उपकरण भत्ता : रू. 1500/–

छ) वीज़ा शुल्क : वास्तविक वीज़ा शुल्क भारतीय रूपये में।

झ) चिकित्सा बीमा प्रीमियम : वास्तविक चिकित्सा बीमा प्रीमियम।

ञ) वायु मार्ग की लागत : दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राष्ट्रीय कैरियर में इकॉनोमी क्लास में सबसे छोटे मार्ग के लिए हवाई टिकट की व्यवस्था की जाती है।

ट) स्लॉट्स की संख्या : 20

V. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (भारतीय विश्वविद्यालयों में एम.फिल./पी–एच0डी0 के लिए)।

यह योजना दिव्यांग छात्रों के लिए प्रति वर्ष 200 फैलोशिप (जूनियर रिसर्च फेलो, जेआरएफ) की आवश्यकता को पूरा करती है। इस योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल हैं और इन्हें एम.फिल और पी.एच.डी. कर रहे रिसर्च छात्रों को प्रदान की जा रही यूजीसी फैलोसिप की योजना के स्वयं यूजीसी द्वारा लागू किया जाएगा।

क) अभिभावक की अधिकतम आय : अभिभावक की आय की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

ख) फेलोशिप की अवधि :

पाठ्यक्रम का नाम	अधिकतम अवधि	जेआरएफ और एसआरएफ की स्वीकार्यता	
		जेआरएफ	एसआरएफ
एम.फिल	2 वर्ष	2 वर्ष	शून्य
पीएच.डी	5 वर्ष	2 वर्ष	शेष 3 वर्ष
एम फिल + पीएचडी	5 वर्ष	2 वर्ष	शेष 3 वर्ष

ग) फेलोशिप की दर : जेआरएफ और एसआरएफ के लिए फेलोशिप की दरें यूजीसी फेलोशिप के बराबर होंगी। वर्तमान में ये दरें इस प्रकार हैं:

1	फेलोशिप	रू. 31,000/– प्रतिमाह प्रारंभिक दो वर्षों के लिए (जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ), रु. 35,000/– प्रतिमाह शेष कार्यकाल के लिए (सीनियर रिसर्च फेलोशिप (एसआरएफ)

2	मानविकी और सामाजिक विज्ञान (कला/ ललित कला सहित) के लिए आकस्मिक व्यय	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रू. 10,000/– प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए रू. 20,500/– प्रतिवर्ष
3	विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए आकस्मिक व्यय	प्रारंभिक दो वर्षों के लिए रू. 12,000/– प्रतिवर्ष शेष कार्यकाल के लिए रू. 25,000/– प्रतिवर्ष
4	विभागीय सहायता (सभी विषय)	होस्ट (आयोजनकर्ता) संस्थान को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए रू. 3,000/– प्रति वर्ष प्रति छात्र
5	एस्कॉर्ट/रीडर सहायता (सभी विषय)	शारीरिक और दृश्य दिव्यांग उम्मीदवारों के मामलों में रू. 2,000/– प्रतिमाह

ग) मकान किराया भत्ता (एचआरए) का भुगतान यूजीसी पैटर्न पर किया जाता है और उन छात्रों को देय होता है, जिन्हें हॉस्टल आवास प्रदान नहीं किया जाता है। यदि विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रस्तावित हॉस्टल आवास को लेने से मना कर दिया जाता है, तो छात्र का एचआरए का दावा समाप्त हो जाएगा। उनके फेलोशिप कार्यक्रम के मामले में अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा सुविधा, मातृत्व अवकाश सहित सभी अवकाश यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार अभिशासित होंगी।

घ) स्लॉट्स की संख्याः 200 स्लॉट्स प्रतिवर्ष। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्लॉट्स का वितरण मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिव्यांग विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में किया जाता है। पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित फेलोशिप की संख्या का पूरा उपयोग नहीं होने पर, खाली स्लॉट्स उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए जाते हैं, जहां पात्र उम्मीदवारों की संख्या आवंटित स्लॉट से अधिक है।

VI. दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग

योजना का उददेश्य न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले आर्थिक रूप से लाभ वंचित छात्रों के लिए कोचिंग उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने तथा सरकारी/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में सफल होने के योग्य बनाया जा सके।

(क) कोचिंग के लिए पाठ्यक्रम :

जिनके लिए कोचिंग दी जाएगी, वे पाठ्यक्रम, निम्नानुसार होंगेः–

(i) संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और विभिन्न रेलवे बोर्डों (आरआरबी) द्वारा आयोजित समूह "क'' और "ख'' पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं।

(ii) राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा अपने संबंधित राज्यों में आयोजित समूह "क'' और "ख'' पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं।

(iii) इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिग पर्सोनेल सेलेक्शन (आईबीपीएस), राष्ट्रीयकृत बैंकों सरकारी बीमा कम्पनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा उनके अधीन आयोजित की जाने वाली अधिकारी स्तर के लिए भर्ती परीक्षाएं।

(iv) इनमें प्रवेश के लिए प्रवेश–परीक्षाएं (क) इंजीनियरिंग (अर्थात् आईआईटी–जेईई) (ख) मेडिकल (एनईईटी), (ग) प्रबंधन जैसे व्यावसायिक पाठयक्रम (अर्थात सीएटी) और विधि (अर्थात सीएलएटी) और (घ) ऐसे कोई अन्य विषय जिनके बारे में समय–समय पर मंत्रालय द्वारा निर्णय किए जाते हैं।

(ख) कार्यान्वयन एजेंसियां :

योजना को निम्नलिखित विख्यात कोचिंग संस्थानों/केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगाः–

(i) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा उनके अधीन स्वायत्त निकाय।

(ii) समवत विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय (केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों के अधीन)।

(iii) पंजीकृत निजी संस्थाएं/गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ)।

(ग) कोंचिंग संस्थानों की पैनलबद्वता के आवेदन के लिए पात्रता मानदण्डः

(i) संस्थान एक पंजीकृत निकाय होना चाहिए अथवा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860/कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अन्य किसी प्रासंगिक अधिनियम के तहत किसी पंजीकृत संगठन द्वारा चलाया जा रहा हो।

(ii) संस्थानों द्वारा स्वयं को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 50 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है।

(iii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा पैनलबद्धता के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र /कोचिंग संस्थानों से आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना की तारीख को संस्थान कम से कम 03 वर्षों की अवधि के लिए पंजीकृत रहा हो।

(iv) योजना के अंतर्गत आवेदन करने के समय पर संस्थान न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण रूप से कार्यात्मक रहा हो और जिस वर्ष में पैनलबद्धता प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है, उससे बिल्कुल पहले कम से कम दो वर्ष के लिए प्रति वर्ष पाठ्यक्रमों में न्यूनतम 100 छात्रों का नामांकन होना होना चाहिए।

(v) संस्थान में, जिस कोर्स में कोचिंग देने के लिए आवेदन किया गया है, सभी निर्धारित जरूरतों को पूरा करने हेतु उपयुक्त (बाधामुक्त) आधारभूत संरचना का होना अनिवार्य है।

(घ) संस्थानों का चयन :

(i) कोचिंग संस्थानों के पैनलबद्वता के प्रस्ताव पर, एक चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा और उसके पिछले निष्पादन–रिकार्ड तथा चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर सिफारिश की जाएगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर कोचिंग प्रदान करने के लिए चयन किया जाएगा । चयन संस्थानों का समिति का गठन निम्नानुसार होगाः–

1.	संयुक्त सचिव (डीईपीडब्ल्यूडी)	अध्यक्ष
2.	वित्तीय सलाहकार, (डीईपीडब्ल्यूडी) अथवा नामांकित जो उप सचिव/निदेशक के पद से कम नहीं होगा।	सदस्य

3.	संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
4.	विभाग द्वारा विहित किए जाने वाले प्रासंगिक पृष्ठभूमि के दो प्रतिनिधि	सदस्य
5.	संबंधित निदेशक/उप सचिव, (डीईपीडब्ल्यूडी)	संयोजक

(ii) राज्य/राज्य क्षेत्र पाठ्यक्रमों की कोचिंग देने में, ऊपर के पैरा–3 में अभिज्ञात किए गए, सफलता के प्रमाणित ट्रैक–रिकार्ड वाले विख्यात कोचिंग संस्थानों की सूची (10 से अधिक नहीं) प्रस्तुत करेंगे।

(iii) राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों के अतिरिक्त, ऊपर के उप–पैरा (1) में बताए गए अनुसार चयन समिति भी जिन सस्थानों का अच्छा नाम है और निष्पादन रिकार्ड भी अच्छा है, उन कोचिंग संस्थानों की पैनलबद्धता को प्रस्तावित कर सकती है।

(iv) कोचिंग संस्थानों के नामों की सूची प्राप्त होने पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संस्थानों से अनुरोध किया जाएगा कि वे योजना की जरूरतों के अनुपालन में अपेक्षित प्रपत्र में अपने विस्तृत प्रस्ताव के साथ–साथ निष्पादन रिकार्ड जमा करें।

(v) राज्य के एक जिले से अधिक जिलों में विख्यात संस्थानों की शाखाएं होने की स्थिति में स्टैंडअलोन संस्थानों की तुलना में एक से अधिक शाखाओं वाले संस्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(vi) संबंधित कार्यक्रम प्रभाग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग करेगा और उनका चयन करेगा जो प्रथम दृष्टया पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और जिनके पास सभी विहित सहायक दस्तावेज उपलब्ध हैं। चयन किए गए ऐसे प्रस्तावों को चयन समिति के समक्ष रखा जाएगा।

(vii) संस्थान का एक बार चयन हो जाने पर वह, प्रदान किए जाने वाले पाठयक्रमों के संबंध में, पैनलबद्वता के निबंधन और शर्तों, शुल्क–संरचना, संवितरण की आवृत्ति, स्लॉट्स की संख्या, पाठ्यक्रम की अवधि, उपयोग प्रमाण–पत्र का प्रस्तुत करना आदि के संबंध में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडबल्यूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता हस्ताक्षरित करेगा।

(viii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के साथ हुए उनके समझौतों के अध्यधीन चयनित कोचिंग संस्थानों को तीन वर्षों के लिए पैनलबद्ध किया जाएगा।

नोटः– योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार करने की दृष्टि से कोचिंग संस्थान, पात्र दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) अभ्यर्थियों से योजना के प्रावधानों के अनुसार आवेदन–पत्र आमन्त्रित करने के लिए स्थानीय समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करेंगे।

(ङ) निधियन पैटर्नः–

(i) योजना के निबंधन और शर्तों और नियमों के तहत तथा संबंधित कोचिंग संस्थान के साथ हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडबल्यूडी), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार चयनित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली कोचिंग के समस्त व्यय के लिए धनराशि देगा।

(ii) संबंधित कोचिंग संस्थानों/केन्द्रों को शुल्क की राशि सहायता अनुदान के रूप में सीधे ही जारी की जाएगी।

(iii) प्रतिवर्ष दो समान किस्तों में सहायता अनुदान संबंधित संस्थानों को जारी कर दी जाएगी।

(iv) संस्थान को प्रथम किस्त उसकी पैनलबद्धता के तुरन्त बाद जारी कर दी जाएगी। फिर भी, संस्थान को सहायता अनुदान की दूसरी किस्त (प्रति–पूर्ति के रूप में) उपयोग प्रमाण–पत्र, किए गए व्यय के ब्यौरे, चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षित खाते, संचालित किए गए पाठ्यक्रमों के ब्यौरे और छात्रों की संख्या, जिनको कोचिंग दी गई, के ब्यौरों के प्रस्तुतीकरण पर जारी की जाएगी।

(v) एक वर्ष पूरा होने के उपरान्त, आगामी वर्ष के लिए धनराशि जारी करने से पहले संस्थान के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष के बाद धनराशि का जारी किया जाना पिछले वर्ष के दौरान संस्थान के संतोषजनक प्रदर्शन पर निर्भर होगा।

(vi) पैनलबद्व कोचिंग संस्थानों को दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए देय उपयोग प्रमाण–पत्र, पिछले वर्ष के अनुदान सहित कोचिंग प्राप्त छात्रों की सूची, पिछले वर्ष की धनराशि के संबंध में लेखा परीक्षित खाते और पिछले वर्ष के दौरान कोचिंग प्राप्त छात्रों के प्रदर्शन की प्राप्ति पर सहायता अनुदान जारी होगा।

(vii) पैनलबद्ध संस्थानों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarship.gov.in) (इस योजना के लिए जब कभी पोर्टल का परिचालन किया जाएगा) पर अपने आपको पंजीकृत करना चाहिए।

(viii) अभ्यर्थियों (छात्रों/प्रशिक्षुओं) को ऑन तरीके के माध्यम से आवेदन पत्रों की प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि तक अपने आवेदन जमा कराने चाहिए। सभी अपेक्षित दस्तावेज जैसे फोटोग्राफ, आयु का प्रमाण, दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, अभिभावक की आय का प्रमाण–पत्र आदि निर्धारित प्रारूप में विधिवत रूप में भरे हुए को ऑन लाइन तरीके से अपलोड किया जाना अपेक्षित है (फिर भी, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग की योजना शुरू होने तक अभ्यर्थी अपने आवेदनों को ऑफ लाइन तरीके के माध्यम से अपनी पसंद के पैनलबद्ध संस्थानों को जमा करेंगे।

(ix) पैनलबद्ध संस्थानों द्वारा नामित किया गया नोडल अधिकारी आवेदनों को सत्यापित करेगा और उस पर कार्रवाई करेगा तथा स्टाईपेंड और भत्तों के संवितरण के लिए पीएफएमएस पोर्टल पर अंतिम सूची अग्रेषित करेगा।

(x) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा अभ्यर्थियों को अनुमेय स्टाईपेंड और विशेष भत्ते पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से आधार सक्षम डीबीटी के तहत उनके बैंक खातों में सीधे जारी कर दिए जाऐंगे।

(च) कोचिंग शुल्क की प्रमात्राः

कोचिंग शुल्क की प्रमात्रा का निर्धारण दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और कोचिंग संस्थान के बीच पैनलबद्धता के समय हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार होगा।

पात्रता मानदण्ड और अभ्यर्थियों का चयनः

(i) इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग, निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में शामिल किए गए दिव्यांगजन और ऑटिज्म, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांजनों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अंतर्गत शामिल और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अन्य प्रासंगिक अधिनियम मे शामिल, दिव्यांग छात्रों को उपलब्ध होगी।

(ii) कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रों का चयन स्वयं संस्थान द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मानदंडों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। तथापि, संस्थान करार में निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुरूप दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए इन मानदंडों में छूट दे सकते हैं।

(iii) इस योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी उस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होना/होनी चाहिए, जिसके लिए वह कोचिंग ले रहा/रही है।

(iv) आय की अधिकतम सीमाः इस योजना के अंतर्गत केवल वही दिव्यांग छात्र पात्र होंगे जिनके परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 6.00 लाख या कम है।

(v) इस योजना के अंतर्गत छात्र विशेष द्वारा एक से अधिक बार लाभ नहीं उठाया जा सकता चाहे प्रतियोगी परीक्षा विशेष में सम्मिलित होने के अवसरों की उसकी पात्रता कितनी भी हो। कोचिंग संस्थान छात्रों से इस आशय एक शपथ पत्र लेगा कि उन्होंने इस योजना के अंतर्गत एक से अधिक बार लाभ नहीं उठाया है।

(vi) केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग का लाभ नहीं उठाने वाले उम्मीदवार इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। कोचिंग संस्थान छात्रों से इस आशय का एक शपथ–पत्र लेगा कि उन्होंने केन्द्रीय सरकार की अन्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग का लाभ नहीं उठाया है।

(vii) फिर भी, ऊपर के पैरा (अ) के प्रावधान के होते हुए भी, जहां परीक्षा दो चरणों अर्थात प्रारम्भिक और मुख्य चरणों में आयोजित की जाती है, उम्मीदवार परीक्षा के दोनों चरणों के लिए निःशुल्क कोचिंग लेने का पात्र होगा । वे सभी अपनी सुविधानुसार प्रारम्भिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए अलग–अलग निःशुल्क कोचिंग लेने के पात्र होंगे । तथापि, यदि उम्मीदवार का साक्षात्कार के लिए चयन होता है तो साक्षात्कार के लिए कोचिंग हेतु अवसरों की संख्या का कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

(viii) उपस्थितिः यदि कोई छात्र बिना किसी वैध कारण के 15 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) को सूचित करते हुए, उसको दिया जाने वाला निःशुल्क कोचिंग का लाभ समाप्त कर दिया जाएगा।

(ix) कोचिंग सहायता की अवधिः प्रथम वर्ष के पूरा होने पर, यदि छात्र द्वितीय वर्ष के लिए जारी रखना चाहता है तो उसे कोचिंग सहायता के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

छ. स्टाईपेंड (वजीफा) :

कोचिंग कक्षा में भाग लेने के लिए स्थानीय छात्रों को प्रतिमाह रूपये 2,500/– (दो हजार पांच सौ मात्र) के मासिक स्टाईपेंड (वजीफे) का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार बाहरी छात्रों के लिए प्रति छात्र रूपये 5,000/– (पांच हजार रूपये मात्र) का भुगतान किया जाएगा। प्रति छात्र, प्रति माह

रूपये 2,000/– (दो हजार रूपये मात्र) का रीडर, एस्कॉर्ट सहायक (हेल्पर) आदि के लिए छात्रों को विशेष भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

ज. सामान्य प्रावधानः

(i) संस्थान कोचिंग की प्रगति और उम्मीदवारों के चयन के पूरे रिकार्ड का रख–रखाव करेंगे।

(ii) संस्थान को जारी किए गए सहायता–अनुदान का परिचालन संस्थान द्वारा अलग खाते में किया जाएगा।

(iii) संस्थान, सहायता अनुदान का उपयोग केवल इस योजना के निर्धारित उद्देश्यों के लिए करेगा। अनुदेयी संस्थान द्वारा इन शर्तों के उल्लंघन किए जाने की स्थिति में संस्थान, प्राप्त धनराशि को, 18% पैनल ब्याज सहित लौटाएगा और उस पर अन्य कार्रवाई, जो भी आवश्यक हो, की जा सकेगी।

झ. निष्पादन और मॉनीटरिंग की समीक्षाः

(i) पैनलबद्धता के तीसरे वर्ष के अन्त में कोचिंग संस्थान के निष्पादन की समीक्षा की जाएगी। योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को दी गई कोचिंग के परिणामों के आधार पर और कोचिंग प्राप्त छात्रों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने, जिनके लिए उसने कोचिंग प्राप्त की है, में सफलता की दर के आधार पर मूल्यांकन होगा।

(ii) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के पास पैनलबद्ध संस्थानों का समय–समय पर औचक निरीक्षण/जांच करने का अधिकार सुरक्षित है।

(iii) कोचिंग संस्थान के असंतोषप्रद निष्पादन की स्थिति में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पास किसी भी समय वित्त–पोषण समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

4.5 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि

4.5.1 दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट), 2016 के अनुसार राष्ट्रीय दिव्यांगजन कोष का गठन किया गया है। अगस्त, 1983 में गठित तत्कालीन राष्ट्रीय दिव्यांगजन कोष और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए नवंबर, 2006 में गठित न्यास निधि के अंतर्गत उपलब्ध निधियों को ध्यान में रखते हुए कोष का गठन किया गया है। राष्ट्रीय कोष के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन उद्देश्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है :–

4.5.2 दिव्यांगजनों द्वारा बनाई गई, पेंटिंग, हस्तशिल्प आदि सहित उत्पादों के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनियाँ/कार्यशालाएं।

(i) पात्रता

कोई भी सरकारी संगठन अथवा सोसाइटी अधिनियम/कम्पनी अधिनियम/न्यास अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम तीन वर्ष की अवधि से पंजीकृत संगठन और उत्पादों/पेंटिंग के विपणन में प्रदर्शनी और कार्यशालाएं आयोजित करने का 2 वर्ष का अनुभव रखने वाले संगठन।

(ii) **वित्तीय सहायता की सीमा** – वित्तीय सहायता में निम्नलिखित घटक कवर होंगे:–

(क) कार्यक्रम–स्थल के प्रबंधन की लागत सहित कार्यक्रम आयोजित करने की दिशा में स्थापना लागत, दिव्यांगजनों के उत्पाद/पेंटिंग के प्रदर्शन के लिए उनकी प्रतिभागिता के लिए आमंत्रित दिव्यांगजनों को उनके उत्पाद/पेंटिंग के प्रदर्शन के लिए प्रतिभागिता के लिए आमन्त्रित दिव्यांगजनों का यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता, उनको लाने–ले जाने की लागत आदि।

(ख) एलसीडी स्क्रीन, विद्युत, संगीत आदि जैसे प्रबंध के लिए अतिरिक्त संचालन और कार्यान्वयन की लागत।

(ग) अनुदान का 50 प्रतिशत अग्रिम रूप में जारी किया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत को कार्यक्रम की पूर्णता और उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के बाद जारी किया जाएगा।

(घ) राष्ट्रीय स्तर के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता 20 लाख रू., क्षेत्रीय स्तर के लिए 15 लाख रूपये और राज्य स्तर के लिए 10 लाख रूपये होगी।

4.5.3 बैंचमार्क दिव्यांगजनों, जिन्होंने राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय समारोह में भाग लेने हेतु राज्य स्तर पर ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/नाट्यकला/साहित्य में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, को सहायता।

(i) **पात्रता**

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान में ऐसा कोई भी बैंचमार्क दिव्यांगजन (40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाला) जिसने खेल स्पर्धाओं में पदक जीता है, अथवा कोई भी दिव्यांग कलाकार जिसे उत्कृष्ट अथवा होनहार कलाकार के रूप में आँका गया है।

(ख) राष्ट्रीय स्पर्धाओं में (राष्ट्रीय आईटी चुनौती सहित) भाग लेने के लिए बैंचमार्क दिव्यांगजन के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि अन्तरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए, परिवार की वार्षिक आय 6 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) दिव्यांगजन को निधि से केवल एक बार ही उसी प्रकार की समान स्पर्धाओं के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है (यदि किसी व्यक्तिगत कर्मचारी को निधि के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्पर्धा के लिए सहायता–अनुदान दिया गया है, तो वह उसी प्रकार की समान स्पर्धाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु पात्र नहीं होगा)।

(ii) **वित्तीय सहायता की सीमा** – वित्तीय सहायता में निम्नलिखित घटक कवर होंगे:–

(क) दिव्यांग उम्मीदवार के साथ एक एस्कॉर्ट (जहां कहीं लागू है) को आने–जाने का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित रेल किराया (सबसे छोटा मार्ग)।

(ख) अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धाओं के मामले में, आने–जाने का किफायती हवाई किराया (सबसे छोटा मार्ग) और स्पर्धा की पूरी अवधि के लिए 4000/– रू. प्रतिदिन।

4.5.4 राज्यों द्वारा अलग–अलग मामलों के आधार पर विनिर्दिष्ट संस्तुति पर मूल्यांकन बोर्ड द्वारा यथा संस्तुत उच्च सहायता की जरूरत वाले व्यक्तियों की कुछेक विशेष जरूरतों के लिए सहायता।

(i) **पात्रता**

राज्यों/संघ राज्यों द्वारा गठित मूल्यांकन बोर्ड द्वारा यथा संस्तुत उच्च सहायता की जरूरत वाले

बैंचमार्क दिव्यांगजनों को, जिन्होंने राज्यों से सम्पर्क किया और राज्य अपनी निधि से उन्हें ऐसी सहायता उपलब्ध नहीं करा सका और निधि के अन्तर्गत विचारार्थ सिफारिश की है। दिव्यांगजनों के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रू. से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा जैसा कि शासी निकाय द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(ii) वित्तीय सहायता का विस्तारः

वित्तीय सहायता में निम्नलिखित घटक कवर होंगे :–

(i) दैनिक जीवन की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए अनुकूलित गतिशीलता उपकरण की वास्तविक लागत अथवा 01 लाख रूपया जो भी कम हो।

4.6 "ब्रेल प्रेसों की स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्द्धन हेतु सहायता" की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने ब्रेल प्रेसों की स्थापना, आधुनिकीकरण, क्षमता संवर्धन हेतु सहायता की केन्द्रीय क्षेत्रक योजना नाम वाली योजना को नवम्बर 2014 में अनुमोदित किया था।

4.6.1 नोडल एजेंसीः

राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान (एनआईईपीवीडी), देहरादून, भारतीय ब्रेल परिषद (बीसीआई) के माध्यम से योजना की नोडल एजेंसी होगी, जिसे समाचार–पत्रों के साथ–साथ इसकी वेबसाइटों पर विज्ञापन जारी करने तथा स्थापना/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन, अनुवीक्षण, अनुप्रयोग, तकनीकी मूल्यांकन, सुधारों की सिफारिशें स्थापना प्रक्रिया एवं प्रक्रियाओं के लिए परामर्शदाता की भूमिका के प्रस्ताव आमंत्रित करने तथा योजना के अंतगत अनुदान उपलब्ध कराने के लिए इन आवेदनों को विचारार्थ एवं सिफारिश हेतु निम्नलिखित समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा जायेगाः–

1.	संयुक्त संचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	अध्यक्ष
2.	निदेशक, एनआईईपीवीडी	सदस्य
3.	बीसीआई का प्रतिनिधि	सदस्य
4.	निदेशक (वित्त), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	सदस्य
5.	संबंधित निदेशक/उप सचिव	सदस्य संयोजक

4.6.2 कार्यान्वयन एजेंसीः

योजना की कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एवं 05 वर्ष से अधिक से ब्रेल प्रेसों परिचालन करने वाले स्वैच्छिक संगठनों या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा ब्रेल प्रेसों को चलाने के लिए नामित कोई अन्य संस्थान होगा।

योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा नई ब्रेल प्रेसों को स्थापित करने के 18 प्रस्ताव, आधुनिकीकरण के 12 प्रस्ताव तथा ब्रेल प्रेसों की क्षमता संवर्धन के 03 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। दृष्टि बाधित सभी छात्रों को योजना के अंतर्गत स्थापित/आधुनिकीकरण/क्षमता संवर्धन के अंतर्गत ब्रेल प्रेसों में मुद्रित विशेष पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेंगी।

योजना के माध्यम से सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)/राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में अध्ययन कर रहें दृष्टि बाधित छात्रों को मुद्रित ब्रेल पाठ्य पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति की गई है।

4.7 भारतीय स्पाइनल इंजुरी केन्द्र (आईएसआईसी)

योजना का मुख्य उद्देश्य स्पाइनल कोर्ड की चोट से ग्रस्त गरीब मरीजों को इंडोर उपचार प्रदान करने के लिए और उनके पुनर्वास के लिए 25 निःशुल्क बिस्तरों के लिए विभाग द्वारा सहायता–अनुदान के माध्यम से निधियों की प्रतिपूर्ति करना है, और 5 निःशुल्क बिस्तरों का रखरखाव आईएसआईसी द्वारा किया जाना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 22.03.2007 के आदेश के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के इंडोर उपचार के लिए 10 प्रतिशत निःशुल्क बिस्तर स्थापित किये जाने है तथा आईएसआईसी द्वारा इन्हें मंत्रालय की योजना के साथ नहीं जोडा जाएगा। दिनांक 31.12.2019 के नये दिशानिर्देशों के अनुसार, विभाग द्वारा आईएसआईसी को प्रर्तिपूर्ति की वर्तमान दर वास्तविक उपयोग के आधार पर 7000/–रूपए प्रति बिस्तर प्रतिदिन होगी।

4.8 राज्य स्पाइनल इंजुरी केन्द्र

राज्य स्पाइनल इंजुरी केन्द्र स्थापित करने की योजना 31.02.2015 को अधिसूचित की गयी थी। योजना को 31.03.2020 तक जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। राज्य स्पाइनल इंजुरी केन्द्र मुख्य रूप से स्पाइनल इंजुरी के विषद प्रबंधन के लिए होंगे तथा राज्य राजधानी/संघ राज्य क्षेत्र 12 बिस्तरों वाले जिला अस्पतालों के साथ जुड़े होंगे।

एम.एम.एस मेडिकल कालेज, जयपुर (राजस्थान) में स्पाइनल इंजुरी केन्द्र स्थापित कर दिया गया है।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जम्मू में स्पाइनल इंजुरी केन्द्र स्थापित करने के लिए 2.00 करोड़ रू. और वर्ष 2016–17 में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, श्रीनगर में केन्द्र स्थापित करने के लिए 1.17 करोड़ रू. को सहायता अनुदान जारी किया गया था।

4.9 देश के पांच क्षेत्रों में वर्तमान बधिर कालेजों के लिए वित्तीय सहायता योजना

योजना का उद्देश्य श्रवण बाधित छात्रों द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा उच्च शिक्षा के माध्यम से उनके रोजगार उन्मुखी तथा बेहतर जीवन यापन के उनके अवसरों में सुधार करना है। योजना का मुख्य उद्देश्य देश के निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में स्थित बधिर कॉलेजो को वित्तीय सहायता प्रदान करना है:–

(क) भारत के उत्तरी क्षेत्र में बधिरों के लिए ग्रामीण विकास ओर प्रबंधन कालेज;

(ख) पश्चिमी क्षेत्र में बधिरों के लिए कालेज;

(ग) दक्षिणी क्षेत्र में बधिरों के लिए कालेज;

(घ) केन्द्रीय क्षेत्र में बधिरों के लिए कालेज; और

(ङ) पूर्वी क्षेत्र में बधिरों के लिए कालेज।

योजना के अंतर्गत आधारभूत संरचना के विस्तार तथा फर्नीचर/सहायक यंत्रों की खरीद के लिए अधिकतम सहायता प्रत्येक मामले में 1.50 करोड़ तक सीमित है। यदि व्यय 1.50 करोड़ से कम है तो अनुमत सहायता वास्तविक लागत पर होगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) में अधिकतम सहायता 2 करोड़ रूपए है।

अध्याय-5

विभाग के रिपोर्टिंग कार्यालयों की योजनाएं

व्हीलचेयर सुगम्यता प्रतीक

अध्याय
5

विभाग के रिपोर्टिंग कार्यालयों की योजनाएं

5.1 ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ राष्ट्रीय न्यास

5.1.1 प्रस्तावनाः

राष्ट्रीय न्यास ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगताओं इत्यादि से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याणार्थ संसद के वर्ष 1999 के एक अधिनियम द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय न्यास के उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

(i) दिव्यांगजनों को स्वतंत्रतापूर्वक और यथा संभव पूरी तरह से अपने समुदाय के अंदर और यथा निकट जीवन यापन करने में समर्थ और सशक्त बनाना।

(ii) दिव्यांगजनों को अपने स्वयं के परिवार में ही रहने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सुविधाओं को सुदृढ करना।

(iii) दिव्यांगजनों के परिवार की संकट की अवधि के दौरान उन्हें आवश्यकता आधारित सेवाएं प्रदान करने के लिए पंजीकृत संगठनों को सहायता देना।

(iv) दिव्यांगजन, जिन्हें परिवार की सहायता प्राप्त नहीं है, की समस्याओं का हल ढूंढना।

(v) दिव्यांगजनों के माता–पिता अथवा संरक्षकों की मृत्यु होने पर उनकी देखभाल और संरक्षण के उपायों का संवर्धन करना।

(vi) जिन दिव्यांगजनों को संरक्षकों और न्यासियों की जरुरत है, उनके लिए इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया विकसित करना।

(vii) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की प्राप्ति को सुकर बनाना।

(viii) ऐसा कोई अन्य कार्य जो पूर्वोक्त उद्देश्यों का आनुषंगिक हो।

राष्ट्रीय न्यास की स्थापना दो मूलभूत कर्तव्यों– विधिक और कल्याण को निभाने के लिए की गई है। विधिक कर्तव्य स्थानीय स्तर समिति के माध्यम से और विधिक अभिभावकत्व प्रदान करके निभाए जाते हैं। कल्याण कर्तव्य योजनाओं के माध्यम से निभाएं जाते हैं। राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ–साथ प्रशिक्षण, जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम तथा आश्रय, देख–रेख प्रदान करना एवं सशक्तिकरण शामिल हैं। राष्ट्रीय न्यास, दिव्यांगजन को अधिनियम के अधीन समान अवसर प्रदान करने, अधिकारों का संरक्षण करने और पूर्ण भागीदारी में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

5.1.2 संगठनों का पंजीकरण

राष्ट्रीय न्यास स्वैच्छिक संगठन, दिव्यांगजनों के संघ और दिव्यांगजनों के माता–पिता संघ को पंजीकरण प्रदान करता है। देश में राष्ट्रीय न्यास के लगभग 603 पंजीकृत संगठन हैं।

5.1.3 स्थानीय स्तरीय समिति (एलएलसी)

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 13 के अंतर्गत, एक देश के प्रत्येक जिले में तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक बोर्ड द्वारा इसका पुनर्गठन नहीं किया जाता, स्थानीय स्तरीय समिति गठित की जानी अपेक्षित है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः–

- संघ या राज्य की सिविल सेवा का एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट या किसी जिले के जिला आयुक्त के रैंक से नीचे का नहीं हो।
- राष्ट्रीय न्यास के पास पंजीकृत किसी संगठन का एक प्रतिनिधि और
- निःशक्तजन अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (न) में यथा परिभाषित दिव्यांगजन

स्थानीय स्तर समिति का कार्य विधिक संरक्षकों की जांच, नियुक्ति और निगरानी करना है। स्थानीय स्तरीय समिति जागरूकता सृजन, अभिसरण और दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में शामिल किए जाने जैसी गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करती है। अभी तक, देश के लगभग सभी जिलों (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) को शामिल करते हुए 688 स्थानीय स्तरीय समितियां गठित की जा चुकी हैं।

5.1.4 विधिक संरक्षकों की नियुक्ति

राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 14–17 स्थानीय स्तर समिति द्वारा ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु–दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों को दिए जाने वाले संरक्षण की व्याख्या करती है। संरक्षण एक आवश्यकता आधारित समर्थकारी प्रावधान है। संरक्षण निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रदान किया जाता है–

(i) अनुरक्षण और आवासीय देखभाल

(ii) अचल संपत्ति का प्रबंधन

(iii) चल संपत्ति का प्रबंधन

(iv) कोई अन्य

5.1.5 राज्य् नोडल एजेंसी केन्द्र (एसएनएसी)

राज्य स्तर पर इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन सहित, राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों के कार्यान्वयन और राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने एवं संपर्क बनाने के लिए प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक प्रतिष्ठित एनजीओ को राज्य नोडल अभिकरण केंद्र (एसएनएसी) के रूप में नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में पूरे देश में 28 एसएनएसी हैं। राष्ट्रीय न्यास, संस्थागत गतिवधियां चलाने, यथा ट्रस्ट की स्कीमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए पंजीकृत एनजीओ के साथ बैठक करने, अन्य, एनजीओ के साथ नेटवर्क बनाने और स्थानीय स्तर समितियों और राज्य स्तरीय समन्वय समितियों इत्यादि के साथ बैठक के लिए निधि प्रदान करता है। एसएनएसी को वर्ष 2018–19 के दौरान 67.37 लाख रूपए की राशि जारी की गई है।

5.1.6 राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी)

राष्ट्रीय न्यास स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। दिव्यांगता संबंधी कार्य की देखरेख करने वाले राज्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और संबंधित एसएनएसी इसके संयोजक होते हैं। अब तक 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसएलसीसी का गठन कर दिया गया है।

5.1.7 योजनाओं की विशिष्टताएं तथा नवंबर, 2015 में आरंभ हुई नवीन/संशोधित योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं:–

(i) दिशा (0–10 वर्ष के लिए शीघ्र उपाय तथा स्कूल के लिए तैयार करने की योजना)

यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत कवर होने वाली चार प्रकार की दिव्यांगताओं वाले बच्चों के शीघ्र उपाय एवं उन्हें स्कूल तैयारी की योजना है तथा इसका लक्ष्य थैरेपी, प्रशिक्षण के माध्यम से और परिवार के सदस्यों को सहायता प्रदान करके दिव्यांगजनों के शीघ्र उपाय हेतु दिशा केन्द्रों को स्थापित करना है। 115 दिशा केन्द्र है, जो देश के 2617 लाभार्थियों को लाभांवित करते हैं। इसमें वर्ष 2018–19 के दौरान 317 लाभार्थियों को लाभांवित करने वाले 27 दिशा केन्द्रों की स्वीकृति शामिल हैं। योजना के अंतर्गत, अब तक 868.54 लाख रूपए की राशि जारी की गयी। इसमें वर्ष 2018–19 के दौरान जारी 170.81 लाख रूपए की राशि शामिल है।

(ii) विकास (10+वर्षों के लिए दिवसीय देखभाल (डे केयर) योजना)

यह 10 वर्ष तथा अधिक आयु वाले दिव्यांगजनों के लिए डे–केयर योजना है जो प्रारंभिक रूप में दिव्यांगजनों के अंतर वैयक्तिक और व्यावसायिक कौशल में वृद्धि के लिए उपलब्ध अवसरों की श्रेणी को व्यापक रूप देने की डे–केयर योजना है क्योंकि वे उच्च आयु समूहों की ओर परिगमन की दिशा में हैं। केन्द्र दिव्यांगजनों को उस अवधि के लिए भी केयर गिविंग सहायता प्रदान करता है जब दिव्यांगजन विकास केन्द्र में है। इसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत कवर होने वाले दिव्यांगजनों के परिवार के सदस्यों के अन्य उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए कुछ समय प्रदान करने के लिए समर्थन देने में भी सहायता करता है। 124 विकास केन्द्र हैं जिसमें देश के 4357 लाभार्थियों को लाभांवित करने वाले 35 विकास केन्द्रों की स्वीकृति भी शामिल है। योजना के अंतर्गत अब तक 1439.98 लाख रूपए की राशि जारी की गयी, जिसमें वर्ष 2018–19 के दौरान जारी की गयी 285.53 लाख रूपए की राशि भी शामिल है।

(iii) दिशा–सह विकास योजना (दिवसीय देखभाल (डे–केयर)

पंजीकृत संगठन, जो बहु योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं, उन्हें संविलयन योजना के कार्यान्वयन का विकल्प प्रदान किया गया था। आरओ द्वारा प्रदान की गयी सहमति तथा योजना के दिशा–निर्देशों के आधार पर इन आरओ को दिनांक 01.04.2018 से विलय की गयी दिशा सह विकास योजना (डे–केयर) आवंटित की गयी। वर्ष 2018–19 के दौरान देश के 1052 लाभार्थियों को लाभांवित करने वाले 38 दिशा कम विकास केन्द्र थे, योजना के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान 295.36 लाख रूपए की राशि जारी की गयी।

(iv) समर्थ (राहत आवासीय देखभाल योजना)

समर्थ योजना के उद्देश्य अनाथों, परित्यक्तों, संकट में फंसे परिवारों तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के दायरे में आने वाले निराश्रितों सहित गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) ओर निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के परिवारों

से संबंधित दिव्यांगजनों को राहत गृह प्रदान करना है। इसका उद्देश्य परिवार के सदस्यों के लिए अवसरों का सृजन करना भी है ताकि उन्हें अपने अन्य उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए राहत का समय मिल सके। इस योजना का उद्देश्य सभी आयु वर्गों के व्यावसायिक चिकित्सकों से मूलभूत चिकित्सा प्रावधानों सहित स्वीकार्य जीवन स्तरों वाली उपयुक्त गुणवत्तापूर्ण देखभाल सेवा हेतु सामूहिक आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समर्थ केन्द्रों की स्थापना करना है।

देश में 1461 लाभार्थियों को लाभान्वित करने वाले 45 समर्थ केन्द्र हैं। इसमें वर्ष 2018–19 के दौरान 111 लाभार्थियों को लाभांवित करने वाले 8 समर्थ केन्द्रों की स्वीकृति शामिल है। योजना के अंतर्गत, अब तक 706.20 लाख रूपए की राशि जारी की गयी है। इसमें वर्ष 2018–19 के दौरान जारी 111.83 लाख रूपए की राशि सम्मिलित है।

(v) घरौंदा (वयस्कों के लिए सामूहिक गृह)

घरौंदा योजना का उद्देश्य स्वलीनता, प्रमस्तिक घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को संपूर्ण जीवन काल के लिए सुनिश्चित गृह तथा देखभाल सेवाओं की न्यूनतम गुणवत्ता प्रदान करना है। यह योजना, संपूर्ण देश में सुनिश्चित देखभाल प्रणाली के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना की स्थापना, सहायता प्राप्त स्वतंत्र एवं गरिमामय जीवन यापन के लिए प्रोत्साहित करना तथा स्थायी आधार पर देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।

देश के 1235 लाभार्थियों को लाभांवित करने वाले 50 घरौंदा केन्द्र स्थापित हैं। इनमें वर्ष 2018–19 के दौरान 235 लाभार्थियों को लाभांवित करने वाले 17 घरौंदा केन्द्र शामिल हैं। योजना के अंतर्गत, अब तक 987.86 लाख रूपए की राशि जारी की गई। इसमें वर्ष 2018–19 के दौरान जारी 181.24 लाख रूपए की राशि शामिल है।

(vi) समर्थ सह घरौंदा योजना (आवासीय)

पंजीकृत संगठन, जो बहु योजनाएं क्रियान्वित कर रहे हैं, उन्हें संविलयन योजना के कार्यान्वयन का विकल्प प्रदान किया गया था। आरओ द्वारा प्रदान की गयी सहमति तथा योजना के दिशा–निर्देशों के आधार पर इन आरओ को दिनांक 01.04.2018 से विलय की गयी समर्थ सह घरौंदा योजना (आवासीय) आवंटित की गयी। वर्ष 2018–19 के दौरान देश के 160 लाभार्थियों को लाभांवित करने वाले 12 समर्थ सह घरौंदा केन्द्र थे, योजना के अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान 70.90 लाख रूपए की राशि जारी की गयी।

(vii) सहयोगी (देखभाल संबद्ध प्रशिक्षण योजना)

योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों तथा उनके परिवारों, जिन्हें इनकी आवश्यकता है, उन्हें पर्याप्त एवं पोषण देखभाल उपलब्ध कराने के लिए देखभाल सहयोगियों का कुशल कार्यबल सृजित करने हेतु देखभाल संबद्ध (केयर गिवर) सैल (सीएसी) स्थापित करना है) यह यह अभिभावकों को केयर गिविंग में प्रशिक्षित करने, यदि उनकी इच्छाओं के अनुरूप अवसर प्रदान करने का प्रयत्न भी करती है। यह योजना दिव्यांगजनों के परिवारों तथा दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अन्य संस्थानों (एनजीओ, कार्य केन्द्र आदि) दोनों के साथ कार्य करने के लिए उपयुक्त केयर सहयोगियों का सृजन करने हेतु आरंभिक एवं प्रगामी (एडवांसड) दोनों पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण का विकल्प उपलब्ध कराती है।

सहयोगी योजना के अंतर्गत 56 देखभाल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं, जिनमें 1762 केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया गया। इसके अंतर्गत वर्ष 2018–19 के दौरान 9 सहयोगी केन्द्रों तथा 183 केयर गिवर्स को प्रशिक्षित

किया गया। योजना के अंतर्गत अब तक 179.81 लाख रूपए की राशि जारी की गई। इसमें वर्ष 2018–19 के दौरान जारी की गयी 14.63 लाख रूपए की राशि शामिल है।

(viii) बढ़ते कदम (जागरूकता, सामुदायिक संपर्क तथा अभिनव परियोजना की योजना)

यह योजना राष्ट्रीय न्यास के दिव्यांगजनों की जागरूकता बढाने पर बल देने वाली गतिविधियों को बढाने के लिए राष्ट्रीय न्यास के पंजीकृत संगठनों को सहायता प्रदान करती है। योजना का उद्देश्य सामुदायिक जागरूकता, संवेदीकरण, सामाजिक एकीकरण तथा दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाना है। अब तक 126 पंजीकृत संगठनों (आरओ) को बढते कदम योजना स्वीकृत की गयी है। इसमें वर्ष 2018–19 में 11 आरओ की स्वीकृति शामिल है। योजना के अंतर्गत अब तक 79.20 लाख रूपए की राशि जारी की गयी है। इसमें वर्ष 2018–19 के दौरान जारी 4 लाख रूपए की राशि शामिल है।

(ix) प्रेरणा (विपणन सहायता)

प्रेरणा राष्ट्रीय न्यास की एक विपणन सहायता योजना है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत आने वाले दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों और प्रदान की सेवाओं के विक्रय के लिए व्यवहार्य एवं व्यापक चैनलों का सृजन करना है। इस योजना का उद्देश्य आयोजनों अर्थात प्रदर्शनियों, मेलों आदि में दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पादों के विक्रय के लिए समारोह में भाग लेने हेतु निधियां प्रदान करना है। योजना दिव्यांगजनों द्वारा बनाये गए उत्पादों के विक्रय टर्नओवर के आधार पर पंजीकृत संगठनों (आरओ) को प्रोत्साहन भी प्रदान करती है। राष्ट्रीय न्यास को, दिव्यांगजनों द्वारा तैयार उत्पादों एवं सेवाओं की मार्केटिंग एवं विक्रय के लिए मेलों, प्रदर्शनियों आदि जैसे समारोह में भाग लेने हेतु आरओ को वित्त पोषित करना चाहिए। यद्यपि, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अधीन इन कार्य केन्द्रों में कम से कम 51 प्रतिशत दिव्यांग कर्मचारी होने चाहिए। यह एक नवीन योजना है।

बोर्ड के निर्णय के अनुसार, योजना पुनरीक्षण के अधीन है।

(x) संभव (सहायक यंत्र और उपकरण)

यह 5 मिलियन (2011 की जनगणना के अनुसार) से अधिक जनसंख्या वाले देश के प्रत्येक नगर में सहायक यंत्रों, साफ्टवेयर एवं संयत्र के प्रदर्शन एवं निरूपण के प्रावधानों के साथ सहायक यंत्रों के अन्य स्वरूपों को मिलाने एवं एकत्रित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन केन्द्र स्थापित करने की योजना है। योजना में संभव केन्द्र में उपस्थित सहायक यंत्रों एवं उपकरणों से संबंधित सूचना का रखरखाव राष्ट्रीय न्यास की वेबसाइट पर करना भी शामिल है। इन केन्द्रों का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास की दिव्यांगताओं वाले दिव्यांगजनों के सुधार और सशक्तिकरण के लिए सूचना एवं संयंत्रों, उपकरणों, साफ्टवेयर आदि की सहज सुगम्यता उपलब्ध कराना है। बोर्ड के निर्णय के अनुसार, योजना संशोधित की जा रही है।

बोर्ड के निर्णय के अनुसार, योजना पुनरीक्षण के अधीन है।

(xi) 'निरामय' स्वास्थ्य बीमा योजना

योजना का उद्देश्य स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को किफायती स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। नामांकित लाभार्थी मामूली शुल्क के भुगतान द्वारा 1.00 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करते हैं।

शुल्क चार्ट : 01 अप्रैल, 2016 से लागू निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण एवं नवीकरण का पूर्ण शुल्क चार्ट निम्न प्रकार है:–

नामांकन एवं नवीकरण शुल्कः

दिव्यांगजन श्रेणी	नामांकन शुल्क	नवीकरण शुल्क
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल)	रू. 250/–	रू. 50/–
गैर बीपीएल	रू. 500/–	रू. 250/–
विधिक संरक्षता वाले दिव्यांगजन (वास्तविक (नेचुरल) अभिभावकों से अतिरिक्त)	निःशुल्क	निःशुल्क

वे शीर्ष जिनके अंतर्गत लाभार्थी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, (लाभ चार्ट) निम्नानुसार है :–

'निरामय' स्वास्थ्य बीमा स्कीम संशोधित लाभ चार्ट				
(अप्रैल, 2015 से केवल प्रतिपूर्ति आधार पर)				
खंड	उपखंड	ब्यौरा	उपसीमा	खंड की समग्र सीमा
I	अस्पताल में भर्ती होने की समग्र सीमा			रू. 70,000/–
	क	जन्मजात दिव्यांगता सहित वर्तमान दिव्यांगताओं के लिए सुधारात्मक सर्जरियां	रू. 40,000/–	
	ख	गैर–सर्जिकल/अस्पताल में भर्ती होना	रू. 15,000/–	
	ग	दिव्यांगता को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सर्जरी	रू. 15,000/–	
II	बाह्य रोगी (ओपीडी) विभाग के लिए समग्र सीमा			रू. 14,500/–
	क	औषधियां लैब डायग्नोस्टिक जांच सहित ओपीडी उपचार	रू. 8,000/–	
	ख	स्वस्थ दिव्यांगजनों के लिए नियमित चिकित्सा जांच	रू. 4,000/–	
	ग	दंत निरोधक डेन्टिस्ट्री/दंत चिकित्सा	रू. 2,500/–	
III	दिव्यांगता के प्रभाव, दिव्यांगता संबंधी परेशानियों को कम करने के लिए चल रही थेरेपियां			रू. 10,000/–
IV	वैकल्पिक मेडिसिन			रू. 4,500/–
V	परिवहन लागत			रू. 1,000/–
एक व्यक्ति के लिए कवरेज की समग्र सीमाः रू. 1,00,000/–				

वर्ष 2018–19 के दौरान 96716 लाभार्थी नामांकित किये गए। कुल 9691 दावों का निपटान किया गया। योजना के अंतर्गत कुल व्यय 803.99 लाख रूपए हुआ। वर्तमान में, अप्रैल, 2015 से योजना का कार्यान्वयन मैसर्स ऑरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, के माध्यम से किया जा रहा है।

5.1.8 01 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय न्यास की संशोधित योजना का कार्यान्वयन

दिनांक 20 मार्च, 2018 को राष्ट्रीय न्यास बोर्ड की आयोजित 77वीं बैठक में यथा अनुमोदित राष्ट्रीय न्यास की योजनाओं को 01 अप्रैल, 2018 से संशोधित किया गया। इसका विवरण निम्न प्रकार हैं:–

(i) आरओ द्वारा बहु योजनाओं के कार्यान्वयन के मामले में दिशा तथा विकास नामक दो योजनाओं का विलय दिशा–सह–विकास, नामतः एक ही योजना में कर दिया गया है। इसी प्रकार समर्थ तथा

घरौंदा का विलयन समर्थ–सह–घरौंदा नामतः एक ही योजना में कर दिया गया है। किसी भी स्थिति में, पंजीकृत संगठन (आरओ) को एक समय में एक योजना से अधिक की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

(ii) इन योजनाओं की संरचना का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	वर्तमान योजना	वर्तमान		संशोधित संरचना	संरचना		
		स्थापित लागत (रू.)	मासिक आवर्ती निधि (रू.)		स्थापित लागत (रू.)	मासिक आवर्ती निधि (रू.)	स्टाफ की आवश्यकता
1	दिशा (शीघ्र उपाय और स्कूल के तैयारी की योजना)	1.55 लाख	4,500/–	दिशा–सह विकास योजना (बैच आकार 40)	1.55 लाख	रू. 3500/–; (रू. 3000/– + यात्रा @ रू. 500/– प्रति माह की दर से प्रति योग्य लाभार्थी) अधिकतम 30 उपयुक्त बीपीएल लाभार्थी तक अनुपात शर्तें दिशा–निर्देशों के समान ही रहेंगी।	(1) शीघ्र उपाय थेरेपिस्ट/ ओटी/ पीटी: कोई दो (2) विशेष शिक्षक/ वीओसी ट्रेनर: कोई एक (3) सलाहकार: सप्ताह में तीन बार (4) केयर गिवर: 02 (5) आया: 02
2	विकास (10+वर्ष के लिए दिवसीय देखभाल योजना)	1.95 लाख	4,850/–				
3	समर्थ (राहत देखभाल आवासीय योजना)	2.90 लाख	7,000/–	समर्थ–सह घरौंदा (आवासीय देखभाल योजना)(बैच आकार 30)	1.90 लाख	रू. 5,000/– अधिकतम 20 योग्य बीपीएल लाभार्थियों तक	(1) ओटी : 01 (2) पीटी : 01 (3) विशेष शिक्षक/ वीओसी ट्रेनर: कोई भी (4) केयर गिवर: 03 (5) आया : 02 (6) रसोइयां : 01
4	घरौंदा (वयस्कों के लिए सामुहिक गृह)	2.90 लाख	10,000/–				
5	निरामय (स्वास्थ्य बीमा योजना) जैसा है वैसा ही						
6	ज्ञान प्रभा (शैक्षणिक समर्थन)		ज्ञान प्रभा (शैक्षणिक समर्थन)	योजना बंद कर दी गयी है क्योंकि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समान योजना कार्यान्वित की जा रही है।	ज्ञान प्रभा (शैक्षणिक सहायता)	योजना बंद कर दी गयी है क्योंकि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समान योजना कार्यान्वित की जा रही है।	
7	सहयोगी (देखभालकर्त्ता प्रशिक्षण योजना)	1.00 लाख	1) प्रशिक्षु लागतः –प्रारंभिक– अग्रिम 2) प्रशिक्षु स्टाईपेंड (वजीफा) –प्रारंभिक –अग्रिम	रू. 4200 रू. 8000 रू. 5000 रू. 10000	50,000/–	1) प्रशिक्षु लागतः (प्रारंभिक – 2000 रूपए और अग्रिम–3000 रूपए) 2) प्रशिक्षु स्टाईपेंड (वजीफा) (प्रारंभिक – 3000 रूपए और अग्रिम – 5000 रूपए)	
8	प्रेरणा (विपणन सहायता)			योजना को संशोधित किया जाना है।			
9	संभव (सहायक यंत्र और उपकरण)			योजना को संशोधित किया जाना है।			
10	बढते कदम (जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और अभिनव परियोजना)			एक वित्त वर्ष में प्रत्येक आरओ को केवल 1 कार्यक्रम			

(iii) राष्ट्रीय न्यास की किसी भी योजना के अधीन तब तक नयी स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी जब तक बोर्ड अथवा इसके लिए विशेष रूप से गठित उप समिति इस पर आगे कोई निर्णय नहीं लेती। यद्यपि यह पूर्वोत्तर राज्यों तथा पुरानी घरौंदा योजना का कार्यान्वयन करने वाले आरओ पर लागू नहीं है। संशोधित घरौंदा योजना को बोर्ड द्वारा पहले से ही अनुमोदित योजना के अनुसार संशोधित घरौंदा योजना में समायोजित करने के लिए संशोधित घरौंदा योजना को स्वीकृत किया जायेगा। यह राष्ट्रीय न्यास के निर्देश पर बढते कदम योजना के अंतर्गत आयोजित समावेशी भारत पहल पर जागरूकता कार्यक्रमों पर भी लागू नहीं होगा।

(iv) आरओ को डे केयर (दिशा सह विकास योजना) अथवा आवासीय देखभाल (समर्थ सह घरौंदा योजना) में से केवल एक ही प्रकार की योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति है। यह वर्तमान योजना धारकों पर भी लागू है।

(v) वित्त वर्ष 2018–19 से (आरओ) दिशा, विकास, घरौंदा तथा समर्थ नामतः चार केन्द्र आधारित योजनाओं में से एक योजना का कार्यान्वयन करने वाले वर्तमान योजना धारकों के लिए वित्त–पोषण प्रणाली निम्न प्रकार हैः–

(क) घरौंदा और समर्थ योजना के अंतर्गत मासिक आवर्ती निधि प्रति माह रू. 3000 + 500 रूपए (परिवहन भत्ता) प्रति माह तथा घरौंदा एवं समर्थ योजना के अंतर्गत 5000/– रूपए प्रति लाभार्थी होगी।

(ख) लाभार्थियों की संख्या, योजना के दिशा–निर्देशों अर्थात दिशा–20, विकास–30, घरौंदा–20 तथा समर्थ–30 के समान ही रहेगी।

(ग) राष्ट्रीय न्यास द्वारा वित्त–पोषित बीपीएल लाभार्थियों की अधिकतम संख्या दिशा एवं विकास योजनाओं के लिए 20 तथा समर्थ और घरौंदा योजनाओं के लिए 15 बीपीएल लाभार्थी तक होगी।

(घ) किसी भी स्थिति में आरओ को एक समय में एक योजना से अधिक की स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

(ङ) यह राष्ट्रीय न्यास बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व सहमति से जारी किया गया है।

(vi) दिनांक 27.12.2017 को आयोजित बोर्ड की 76वीं बैठक में ज्ञान प्रभा छात्रवृत्ति योजना को समाप्त करने के बोर्ड ने निर्णय पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने सहमति व्यक्त की। किसी नये नामांकन की अनुमति नहीं है। वर्तमान लाभार्थी जो छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार उन्हें वर्तमान में जारी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक ट्यूशन फीस तथा अन्य लाभों की प्रतिपूर्ति अनुमत होगी।

5.2 नेशनल हैंडिकेप्ड फाईनेन्स एंड डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन (एनएचएफडीसी)

(i) एनएचएफडीसी के बारे में

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1997 में नेशनल हैंडिकेप्ड फाईनेन्स एंड डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन (एनएचएफडीसी) की स्थापना की गई थी। यह कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तद्नुरूप) के अधीन एक लाभ निरपेक्ष कंपनी के रूप में पंजीकृत है। यह पूर्णतया भारत सरकार के स्वामित्व हैं

तथा इसकी 499.50 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी है। कंपनी का प्रबंधन भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

(ii) उद्देश्य

- दिव्यांगजनों के लाभार्थ/आर्थिक पुनर्वास के लिए स्व–रोजगार और अन्य उपक्रमों को प्रोत्साहन देना।
- दिव्यांगजन या दिव्यांगजनों के समूहों के अलग–अलग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से और वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य योजनाओं और परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किए जा सकने वाले आय मानदण्ड के मानकों के ऋण और अग्रिम राशि के माध्यम से आर्थिक सहायता करना।
- दिव्यांगजन को स्नातक और उच्च स्तर पर प्रचलित (सामान्य) /व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा के प्रशिक्षण में अध्ययन जारी रखने के लिए ऋण देना।
- दिव्यांगजनों के तकनीकी और उद्यमी कौशल के सुधार के लिए उत्पादन इकाई के उचित और कुशल प्रबंधन के लिए सहायता देना।
- समाज में दिव्यांगजनों का समावेश और उनके आरामदायक जीवन के लिए मदद करना।
- दिव्यांगजनों के उचित पुनर्वास/उत्थान के लिए प्रशिक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, विकास की प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक सुविधा केंद्रों की स्थापना और अन्य बुनियादी क्रियाकलापों को सहायता देना।
- दिव्यांगजनों के विकास के सरोकार के लिए राज्य स्तर के संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और वाणिज्यिक वित्तपोषण प्राप्त करने अथवा पुनः वित्तपोषण प्राप्त करने के तरीके द्वारा सहायता करना।
- दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए राज्य सरकार (सरकारों) द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेंसियों, भागीदार बैंकों और वित्तीय संस्थानों तथा अन्य राज्य स्तर के संस्थानों, जिनके साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, के माध्यम से निधियों के प्रवाह के लिए एक शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करना।
- स्व–रोजगार करने वाले व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूह अथवा पंजीकृत कारखानों /कंपनियों/ दिव्यांगजनों की सहकारी समितियों को उनके द्वारा तैयार माल के विपणन में सहायता करना और कच्चे माल को उपलब्ध कराने में सहायता करना।

(iii) विषय–क्षेत्र

एनएचएफडीसी के संघ ज्ञापन में निगम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के उत्थान के लिए वैचारिक सामाजिक आर्थिक उपायों के व्यापक पहलुओं को कवर किया गया है। लगातार बदलते समाज के आधार पर निगम की प्रकार्यात्मकता में परिवर्तन होने की संभावना है। वर्तमान में, निगम का विषय क्षेत्र क्रियाकलापों की निम्नलिखित श्रेणियों को कवर करता है:

- दिव्यांगजनों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लाभ पहुंचाने के लिए दिव्यांगजनों हेतु रियायती क्रेडिट देना।

- विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों – राज्यों/संघ राज्यों द्वारा नामित एजेंसियाँ {(राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां (एसीए)}, बैंक/वित्तीय संस्थान राज्य स्तर के संगठनों ने सप आजीविका मिशन आदि, गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) आदि के माध्यम से रियायती क्रेडिट देने के लिए रूपात्मकता।
- विभिन्न चैनल भागीदारों का वर्तमान योजनाओं के साथ–साथ सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण।
- कार्यान्वयन एजेंसियों/विख्यात प्रशिक्षण संस्थानों को उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान उपलब्ध कराना।
- कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रचार और जागरूकता सृजन गतिविधियों के लिए अनुदान उपलब्ध कराना।
- दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के माल और सेवाओं की बिक्री में सहायता करने के लिए विपणन सहायता का विस्तार करना।

(iv) ऋण के लिए व्यापक मापदण्ड

दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) की आर्थिक प्रगति और सामान्य कल्याण के लिए रियायती क्रेडिट का विस्तार, ऋण देने के लिए एनएचएफडीसी द्वारा किया गया प्रमुख उपाय, व्यापक मापदंडों को मजबूती प्रदान करने के लिए जरूरी है। इन दिशा–निर्देशों की विषय–वस्तु को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय–समय पर क्रियान्वित अलग–अलग योजनाओं के साथ पढ़ा जाना होगा।

पात्रता मानदंड

(क) 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांगता वाला कोई भी भारतीय नागरिक (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 या इसके संशोधन में यथा परिभाषित दिव्यांगता)।

(ख) उम्र 18 साल से ऊपर हो। तथापि, मानसिक मंदता ग्रस्त व्यक्तियों के मामले में पात्रता आयु 14 वर्ष से ऊपर होगी। शैक्षिक ऋण के लिए आयु मानदंड की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आयु प्रमाण पत्र अथवा 10 वीं के प्रमाण–पत्र में यथोल्लिखित या सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी आयु प्रमाण–पत्र पर्याप्त रहेगा।

ऋण के लिए ब्याज की दर

एनएचएफडीसी द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता, जहां भी संबंधित ऋण योजना (योजनाओं) में निर्दिष्ट दरें प्रदान नहीं की गई प्रतिवर्ष निम्नलिखित दरों पर साधारण ब्याज लेती हैं:–

क्र. सं.	ऋण की राशि (रूपए करोड़ में)	ब्याज दर (प्रतिशत)	कार्यान्वयन एजेंसी लाभ (प्रतिशत)	दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए ब्याज की दर (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (3 + 4)
i)	0.50 से कम	2	3	5
ii)	0.50–5.0 से अधिक	3	3	6
iii)	5.0–15.0 से अधिक	3	4	7
iv)	15.0–30.0 से अधिक	4	4	8
v)	30.0–50.0 से अधिक	4.5	4.5	9

छूटः दिव्यांग महिलाओं और अस्थि विषयक दिव्यांगजन को छोड़कर व्यक्तियों के लिए 50,000 रू. तक के स्व–रोजगार ऋण में ब्याज पर 1 प्रतिशत छूट दी जाएगी। छूट को एनएचएफडीसी द्वारा वहन किया जाएगा।

ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि

एनएचएफडीसी ऋण के पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि 10 वर्ष रहेगी। प्रत्येक योजना के लिए पुनर्भुगतान की निर्दिष्ट अधिकतम अवधि भी निर्धारित की गई है; जो कम अवधि की हो सकती है।

ऋण की राशि

एनएचएफडीसी की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रति लाभार्थी/इकाई के रियायती ऋण का विस्तार करने के लिए उच्चतर सीमा 50 लाख रू. होगी। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 50 लाख रुपये की उच्चतर सीमा में वास्तविक ऋण धनराशि वित्तपोषित की जा रही गतिविधि/परियोजना की जरूरतों के साथ–साथ पुनर्भुगतान की अधिकतम अवधि में ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

ऋण का प्रकार

ऋण की प्रकृति अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत किए जा रहे ऋणों की दिशा में मियादी ऋण/कार्यशील पूंजी ऋण/प्रवर्तक अंशदान हो सकती है।

कार्यान्वयन एजेंसियां

एनएचएफडीसी की ऋण योजनाएं निम्नलिखित किसी भी चैनल के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगीः

क) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां।

ख) बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान, जिनके साथ एनएचएफडीसी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

ग) एनबीएफसी–एमएफआई और अन्य संस्थान (सरकारी/गैर–सरकारी), जिनके साथ एनएचएफडीसी ने एक समझौता/स्वीकृति के जारी किए गए निर्दिष्ट पत्र पर हस्ताक्षर किया है।

स्वीकृति और ऋण को जारी (रिलीज) करने के लिए प्रक्रिया

(क) लाभार्थी को ऋण स्वीकृत करने का प्राधिकार संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यायोजित किया गया है।

(ख) आवेदक निर्धारित प्रारूप में ऋण का आवेदन कार्यान्वयन एजेंसियों को जमा करेगा।

(ग) कार्यान्वयन एजेंसियाँ जांच करेंगी और एनएचएफडीसी द्वारा ऋण स्वीकृति के लिए समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ऋण स्वीकृत करेंगी।

(ग) एनएचएफडीसी के मौजूदा लाभार्थी को दोबारा ऋण देने की सुविधा को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान किया जा सकता हैः

- लाभार्थी को दोबारा वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने की तारीख के अनुसार एनएचएफडीसी के मानदंडों को पूरा करना चाहिए,

- लाभार्थी का पुनर्भुगतान का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए अर्थात वह पहले के ऋण के संबंध में किसी भी समय 3 महीने या अधिक की अवधि तक देय राशि के पुनर्भुगतान का दोषी नही होना चाहिए।
- वित्तीय सहायता की आवृत्ति उसी लाभार्थी और उसी परियोजना/इकाई को परियोजना/इकाई के विस्तार/परिवर्तन/किसी गतिविधि के संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य के लिए, जो भी मामला हो, उपलब्ध कराई जा सकती है। तथापि, माइक्रोफाइनेंस उस लाभार्थी पर, जो बाद में किसी भी आय बढ़ाने वाली गतिविधि के लिए ऋण प्राप्त कर सकता है, यह शर्त लागू नहीं होगी।
- कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उक्त उद्देश्यों के लिए इतनी राशि तक ऋण स्वीकृत किया जा सकता है, कि स्वीकृत ऋण (ऋणों) का कुल योग, भले ही वित्तीय सहायता की आवृत्ति हो अथवा अन्यथा, एक लाभार्थी हो और/अथवा एक इकाई/परियोजना के संबंध में, अधिक नहीं होना चाहिए :–
  i) संस्वीकृति सीमा, जिसे एनएचएफडीसी द्वारा समय–समय पर कार्यान्वयन एजेंसियों को स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है और
  ii) कंपनी की ऋण–नीति में समय–समय पर निर्धारित/निर्दिष्ट स्वीकृत सीमा (योजना निर्दिष्ट वित्तीय सीमा)
- यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऋण आवृत्ति के विस्तारण के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पहले दिया गया ऋण पूरी तरह से चुकता किया जाना चाहिए। जाँच किए जाने वाले बिन्दु पुनर्भुगतान रिकार्ड, वित्तीय मूल्यांकन और पुनर्भुगतान क्षमता हैं।

परियोजना लागत का हिस्सा (शेयर)

जबकि निर्दिष्ट योजना में दी गई अथवा एनएचएफडीसी द्वारा दी गई एजेंसी निर्दिष्ट छूट के सिवाय, कार्यान्वयन एजेंसियों से अपेक्षा की जाती है कि वे परियोजना लागत के उनके हिस्से के रूप में नीचे दी गई तालिका के विवरणानुसार 50,000 रू./– से ऊपर की परियोजनाओं के लिए स्वीकृत परियोजना लागत के 5 प्रतिशत का योगदान करें :

परियोजना की लागत	एनएचएफडीसी हिस्सा (शेयर)	एससीए हिस्सा (शेयर)	प्रमोटर का हिस्सा (शेयर)
* 50,000/– रू. तक	100%	शून्य	शून्य
* 50000/– रू. से अधिक और 1 लाख रू. तक	95%	5%	शून्य
* 1 लाख रुपये से अधिक और 5.0 लाख रू. तक	90%	5%	5%
* 50 लाख रू. से अधिक	85%	5%	10%

ऋण स्थगन (मॉरटोरियम) अवधिः

कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए उपयोग अवधि समाप्ति के बाद मूल धन के पुनर्भुगतान में तीन माह का ऋण स्थगन प्राप्त है। मूलधन के पुनभुर्गतान में तीन माह ऋण स्थगन उपलब्ध है (कृपया उपयोग अवधि के पैरा 5.2 को देखें) ।

कार्यान्वयन एजेंसियों से अपेक्षा की जाती है वे लाभार्थियों को इसी प्रकार का ऋण स्थगन प्रदान करें। कार्यान्वयन एजेंसियों को तीन माह से और आगे लेकिन परियोजनाओं के संबंध में ऋण स्थगन एक वर्ष (अधिकतम) तक उनको दिए गए स्वीकृति अधिकार पर अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा। तथापि, कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण स्थगन की अवधि एक वर्ष तक बढ़ाने का उपर्युक्त अधिकार यथोपरि शर्त के अधीन उपयोग किया जा सकता है कि अधिकार के इस तरह के प्रयोग इसके लिए सविस्तार कारणों सहित एनएचएफडीसी को सूचना दी जानी चाहिए। इसे उपयोग प्रमाण–पत्र सहित प्रस्तुत विस्तृत सूची में भी दर्शाया जाना चाहिए।

पूर्वभुगतानः

ऋणी पूर्वभुगतान शुरू होने के बाद से किसी भी समय से भुगतान किए बिना पुनर्भुगतान शुल्क अदा किए बिना ऋण को चुकता कर सकता है।

प्रतिभूतिः

(क) राज्य सरकार की गारंटी के प्रति नामित कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अतिरिक्त एनएफएचडीसी उक्त एजेंसी की गारंटी पर बोर्ड के अनुमोदन पर इसके (एनएफएचडीसी) द्वारा नामित कार्यान्वयन एजेंसियों के वित्तपोषण पर विचार कर सकता है। लगातार भुगतान न करने के दोषी होने की स्थिति में एनएचएफडीसी अनुदेयी को बुलाने और वित्तपोषित की जाने वाली संबंधित एजेंसी को आगामी परियोजनाओं से इसकी किस्तों को काटने की स्वतंत्रता होगी।

(ख) कार्यान्वयन एजेंसियों को अपेक्षित प्रतिभूति माँगने के लिए अपनी संबंधित नीतियों के अनुसार भरसक प्रयास करना चाहिए और यथेष्ट प्रतिभूति/आनुषंगिक प्रतिभूति में कवर न किए गए ऋण के किसी भी भाग को कवर करने के लिए केन्द्रीय सरकार गारंटी योजना के माध्यम से भी प्रयास किए जाएँ। ऋण को और आगे सुरक्षित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियाँ, कम्पनी अधिनियम में यथा परिभाषित ऋण हेतु परिवार के सदस्य को सह–आवेदक के रूप में रखने पर भी विचार कर सकती है।

(ग) कार्यान्वयन एजेंसियों को परिसंपत्तियों और लाभार्थियों की पर्याप्त बीमाकृत राशि को सुनिश्चित करना चाहिए। केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा कमजोर वर्ग के लिए बीमाकृत राशि की लागत वहन की जानी चाहिए। परिसम्पत्तियों की बीमा लागत परियोजना लागत का हिस्सा होनी चाहिए और उसी तरह पोषित की जानी चाहिए।

सामाजिक प्राथमिकताएं :

(क) कार्यान्वयन एजेंसियों को लक्ष्य समूहों को इस तरह से कवर करने का प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि पुरूषों और महिलाओं को समान कवरेज प्रदान किया जा सके।

(ख) कार्यान्वयन एजेंसियों से अपेक्षा की जाती है कि लाभार्थियों को इस तरह से कवर करेंगी ताकि दिव्यांगता की प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों को राज्य और जिला स्तर पर उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में कवर किया जा सके।

(ग) स्व–प्रमाणीकरण स्वीकार्य है चाहे लाभार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक अथवा सामान्य श्रेणी से संबंध रखता है। आवेदन पत्र में जहाँ जाति के बारे

में कॉलम मौजूद है, इस कॉलम को भरना और फार्म पर लाभार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान को जाति के बारे में यथा स्व प्रमाणीकरण समझा जाए।

(v) ऋण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अन्य दिशा–निर्देश

एनएचएफडीसी योजनाओं को लागू करते समय कार्यान्वयन एजेंसियाँ निम्नलिखित दिशा–निर्देशों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगी :

एनएचएफडीसी निधियों का अनुमानित (नोशनल) आवंटन और अग्रिम राशि जारी करना :

(क) एनएचएफडीसी, प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारम्भ में, राज्य/संघ राज्य की दिव्यांगजन जनसंख्या के अनुपात में और पूर्ववर्ती तीन वर्षों के संवितरण पर विचार करते हुए, कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुमानित निधियों का आवंटन करेगा। किसी भी एससीए के लिए न्यूनतम आवंटन 20.00 लाख रूपये होगा। एससीए, बारी–बारी से, उसी सिद्धांत के अनुसार जिलेवार आवंटन कर सकती है।

(ख) अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों/चैनेलाईजिंग एजेंसियों के मामले में, अनुमानित आवंटन शाखा नेटवर्क अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्णित आधार पर होगा।

(ग) नियमित मानीटरिंग के अतिरिक्त, वास्तविक उपयोग/निधियों को जारी किए जाने की तुलना में निधि के अनुमानित आवंटन की स्थिति की एनएचएफडीसी द्वारा विशेष रूप से नवम्बर माह में समीक्षा की जाएगी। वित्त वर्ष की 31 अक्टूबर की स्थिति के अनुसार, यदि किसी एससीए/एजेंसियों द्वारा आवंटित निधियों का उपयोग नहीं किया गया जहाँ निधि का उपयोग सन्तोषजनक है, तो एससीए/कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए निर्धारित की गई निधियाँ को अन्य राज्यों/संघ राज्यों को पुनः आवंटन किया जा सकता है।

(घ) एनएचएफडीसी द्वारा उनके प्रत्यायोजित अधिकार के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुमानित आवंटन की 50 प्रतिशत तक की निधियां कार्यान्वयन एजेंसियों से जारी करने के अनुरोध प्राप्त होने के बाद परियोजनाएं शुरू करने के लिए, अग्रिम निधि के रूप में जारी की जा सकती हैं।

(ङ) शेष धनराशि पहले जारी किए गए अनुमानित बजट की 50 प्रतिशत धनराशि के 80 प्रतिशत उपयोग की प्राप्ति के अनुरोध पर जारी की जाएगी।

(च) हालांकि, एनएफएचडीसी द्वारा सरकारी गारंटी/उपयुक्त प्रतिभूति, सामान्य ऋण करार निष्पादन, पुनर्भुगतान और उपयोग की स्थिति आदि पर विचार करने के बाद कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी की जाएंगी।

ऋण का उपयोग

कार्यान्वयन एजेंसियों को एनएचएफडीसी द्वारा जारी की गई निधियों को जारी करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर उपयोग किया जाना है। अग्रिम निधियों पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा। तथापि, लाभार्थी को ऋण के संवितरण की तारीख से देय ब्याज दर ली जाएगी। यदि, ऋण की धनराशि का 120 दिनों के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है, तो असंवितरित धनराशि एनएचएफडीसी को तुरन्त वापिस करनी होगी। कार्यान्वयन एजेंसियां निर्धारित प्रारूप में 120 दिनों के अन्दर इन निधियों के उपयोग को प्रस्तुत करेंगी।

अनुप्रयुक्त निधियों पर ब्याज :

(क) जो निधियां उपयोग में नहीं लाई गई हैं और इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को संवितरित किए बिना वापिस कर दी हैं, ऐसी निधियों पर पूरे समय के लिए जब तक निधियां एनएचएफडीसी को वापिस नहीं की जाती हैं, देय ब्याज दर के अलावा 3 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त ब्याज (पैनल ब्याज) लगेगा।

(ख) यदि पिछले वित्त वर्ष के अन्त में 90 प्रतिशत या उससे अधिक उनकी संचयी उपयुक्तता हो तो कार्यान्वयन एजेंसियों को अनुपयुक्तता की निधियों के ब्याज पर छूट दी जाएगी।

भुगतान न करने पर ऋण–मुक्ति (लिक्विडिटी) हानिः

एनएफडीसी की देय राशि (मूल के साथ–साथ ब्याज) के पुनर्भुगतान न करने पर, कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लाभार्थियों को संवितरित की गई, देय राशि पर पुनर्भुगतान की निर्धारित/सहमति तारीख के बाद से लागू ब्याज की सामान्य दर के अलावा 3 प्रतिशत ब्याज लगेगा। तथापि, पुनर्भुगतान न करने पर किसी भी प्रकार के ब्याज को वसूल नहीं किया जाएगा, यदि एनएचएफडी को पुनर्भुगतान पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के अन्त में 90 प्रतिशत अथवा अधिक है।

कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए प्रोत्साहन

निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाली कार्यन्वयन एजेंसियां निम्नलिखित मानकों के अनुसार प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगी :

(क) प्रोत्साहन गणना में वसूली (संचयी) और उपयोग (संचयी) का समान अधिभार होगा।

(ख) कार्यान्वयन एजेंसी का वर्ष के दौरान वसूली (संचयी) उपयोग (संचयी) 90 प्रतिशत होना चाहिए।

(ग) प्रोत्साहन 1 प्रतिशत की दर से होगा और उसकी निम्नानुसार गणना की जाएगी :
[(वर्ष के दौरान वसूली + वर्ष के दौरान निधियों का उपयोग) का 1 प्रतिशत/2 प्रतिशत]

(घ) कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रोत्साहन धनराशि का किसी भी उद्देश्य जो एनएचएफडीसी योजनाओं के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन में सहायता कर सकते हैं, के लिए प्रयोग करने के लिए स्वतंत्रता होगी।

आवेदन–पत्र के मुद्रण के लिए वित्तीय सहायता :

जहां कहीं भी कार्यान्वयन एजेंसी आवेदन–पत्रों को स्वयं मुद्रित कराने का निर्णय लेती है, तो उसे प्रति आवेदन–पत्र 10/– रू. से अधिक राशि चार्ज नहीं करने की अनुमति है। इस प्रकार से चार्ज की गई कीमत आवेदन पत्र के मुख पृष्ठ के ऊपर अंग्रेजी/हिन्दी के साथ–साथ राज्य/स्थान की मातृभाषा में बड़े अक्षरों में अनिवार्य रूप से मुद्रित होनी चाहिए।

एनएचएफडीसी योजनाओं के प्रचार/जागरूकता सृजन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता

एनएचएफडी योजनाओं के प्रचार/जागरूकता सृजन के लिए एनएचएफडीसी प्रतिवर्ष 50,000/रू. (केवल पचास हजार) तक की राशि अथवा कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा संवितरित की गई राशि के 0.10 प्रतिशत पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में तुरन्त, जो भी उच्चतर हो, व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा। कार्यान्वयन

एजेंसियां पूर्व अनुमोदन लेंगी और एनएचएफडीसी को प्रतिपूर्ति के लिए प्रचार सामग्री की विषय वस्तु सहित बिल जमा करेंगी।

निगम की ऋण अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) समिति

ऋण प्रस्तावों/एजेंसी का चयन, जो निगम की किसी भी ऋण योजना में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है, निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक, द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ ऋण अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) समिति द्वारा मूल्यांकन और अनुशंसित किया जाएगा :

(क) निगम के विभागाध्यक्ष (वित्त), (अध्यक्ष)

(ख) निगम के विभागाध्यक्ष (परियोजना)

(ग) निगम के विभागाध्यक्ष (ऋण खाते), (सदस्य सचिव)

(घ) सिडबी/नाबार्ड के प्रतिनिधि

(ङ) किसी भी भागीदार बैंक का प्रतिनिधि

(च) किसी भी राष्ट्रीय दिव्यांगता संस्थान का प्रतिनिधि

(छ) दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी भी प्रख्यात गैर–सरकारी संगठन का प्रतिनिधि

उपर्युक्त ऋण अनुवीक्षण समिति अनुमोदन के लिए अपनी सिफारिशें अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक को जमा करेगी।

विविध मामले:

प्रबंध निदेशक, एनएचएफडीसी द्वारा विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन, प्रस्तुतीकरण (व्याख्या) और इन व्यापक दिशा–निर्देशों/मानदंडों का अनुप्रयोग तथा इसके अतिरिक्त आकस्मिक मामलों में निर्णय लिया जाएगा।

अध्याय-6

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

CC
क्लोज्ड कैपशनिंग (सीसी)

अध्याय
6

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार

6.1 योजना का उद्देश्य

विभाग हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर अर्थात 3 दिसंबर को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों, संस्थानों आदि को उनके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विभिन्न निम्न 14 (चौदह) श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किये जाते हैं :–

I.	सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी/स्व–नियोजित		
संख्या	उप–श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार के घटक
(i)	गतिविषयक दिव्यांगता (गतिविषयक दिव्यांगता, मांसपेशीय दुष्पोषण, बौनापन, अम्ल आक्रमण पीड़ित, कुष्ठ रोग, उपचारित, प्रमस्तिष्क घात)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
(ii)	दृष्टि दिव्यांगता (अंधता, कम दृष्टि)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(iii)	श्रवण दिव्यांगता (बधिर, ऊँचा सुनने वाला)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(iv)	अभिवाक् और भाषा दिव्यांगता (अभिवाक् और भाषा दिव्यांगता)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(v)	विकासात्मक विकार (स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार, विशिष्ट विद्या दिव्यांगता)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(vi)	बौद्धिक दिव्यांगता (पूर्व में मानसिक मंदता के रूप में जानी गई)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–

(vii)	मानसिक व्यवहार (मानसिक रूग्णता)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(viii)	रक्त विकार के कारण हुई दिव्यांगता (हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिक्कल कोशिका रोग)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(ix)	चिरकारी तंत्रिका दशाएं (बहु स्केलैरेसिश, पार्किन्सन रोग)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(x)	बहु–दिव्यांगताएं (उपर्युक्त आठ व्यापक श्रेणियों की कोई दो या अधिक बहु दिव्यांगताओं सहित)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
II.	**सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और प्लेसमैंट आफिसर अथवा एजेंसी हेतु पुरस्कार**		
संख्या	**उप–श्रेणी**	**पुरस्कारों की संख्या**	**पुरस्कार के घटक**
(i)	सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता	तीन– इन प्रत्येक को एक : (i) सरकारी संगठन (ii) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अथवा स्वायत अथवा स्थानीय सरकारी निकाय (iii) निजी अथवा गैर–सरकारी संगठन	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
(ii)	सर्वश्रेष्ठ प्लेसमैंट आफिसर/एजेंसी	दो – इन प्रत्येक को एक : (i) स्वायत सरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (ii) निजी अथवा गैर–सरकारी संगठन अथवा कार्यालय	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक शील्ड
III.	**दिव्यांगजनों के लाभार्थ कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और संस्थान हेतु पुरस्कार**		
संख्या	**उप–श्रेणी**	**पुरस्कारों की संख्या**	**पुरस्कार के घटक**
(i)	सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति	दो – (व्यावसायिक और गैर–व्यावसायिक प्रत्येक के लिये एक)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
(ii)	सर्वश्रेष्ठ संस्थान	दो प्रत्येक के लिये एक : (i) दिव्यांगजनों को समावेशी ढंग से समग्र हालिस्टिक समावेशी सेवाये मुहैया करा रहा कोई संगठन। और (ii) दिव्यांग बच्चों/व्यक्तियों की समावेशी शिक्षा का संवर्धन कर रहा कोई संगठन	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को दो लाख रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र

IV.	रोल मॉडल पुरस्कार		
संख्या	उप–श्रेणी	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार के घटक
(i)	गतिविषयक दिव्यांगता (गतिविषयक दिव्यांगता, मांसपेशीय दुष्पोषण, बौनापन, अम्ल आक्रमण पीड़ित, कुष्ठ रोग, उपचारित, प्रमस्तिष्क घात)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक मेडल
(ii)	दृष्टि दिव्यांगता (अंधता, कम दृष्टि)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(iii)	श्रवण दिव्यांगता (बधिर, ऊँचा सुनने वाला)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(iv)	अभिवाक् और भाषा दिव्यांगता (अभिवाक् और भाषा दिव्यांगता)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(v)	विकासात्मक विकार (स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार, विशिष्ट विद्या दिव्यांगता)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(vi)	बौद्धिक दिव्यांगता (पूर्व में मानसिक मंदता के रूप में जानी गई)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(vii)	मानसिक व्यवहार (मानसिक रूग्णता)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(viii)	रक्त विकार के कारण हुई दिव्यांगता (हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिक्कल कोशिका रोग)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(ix)	चिरकारी तंत्रिका दशाएं (बहु स्केलैरेसिश, पार्किन्सन रोग)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–
(x)	बहु–दिव्यांगताएं (उपर्युक्त आठ व्यापक श्रेणियों की कोई दो या अधिक बहु दिव्यांगताओं सहित)	दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)	–वही–

V.	दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के उद्देश्यार्थ सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान अथवा नवप्रवर्तन अथवा उत्पाद विकास हेतु पुरस्कार		
संख्या	**उप–श्रेणी**	**पुरस्कारों की संख्या**	**पुरस्कार के घटक**
(i)	दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के उद्देश्यार्थ सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान अथवा नवप्रवर्तन अथवा उत्पाद विकास हेतु पुरस्कार	एक	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
(ii)	दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार के उद्देश्यार्थ नव–किफायती लागत उत्पाद का विकास	दो	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
VI.	**दिव्यांगजनों हेतु बाधामुक्त वातावरण सृजन करने में उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार**		
संख्या	**उप–श्रेणी**	**पुरस्कारों की संख्या**	**पुरस्कार के घटक**
(i)	सरकारी विभाग अथवा कार्यालय अथवा सामाजिक क्षेत्र का उपक्रम अथवा स्वायत निकाय	एक	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
(ii)	स्थानीय निकाय	एक	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को दो लाख रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
(iii)	निजी क्षेत्र अथवा गैर सरकारी संगठन	एक	प्रत्येक पुरस्कार विजेता को दो लाख रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र
VII.	**पुनर्वास सेवायें प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ जिले हेतु पुरस्कार**	**एक**	**एक शील्ड, एक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र। कोई नकद पुरस्कार नहीं**
VIII.	**नेशनल हैंडिकेप्ड फाईनेन्स एंड डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन की सर्वश्रेष्ठ चैनेलाइजिंग एजेंसी**	**एक**	**एक शील्ड, एक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।**
IX.	**उत्कृष्ट रचनात्मक वयस्क दिव्यांगजन हेतु पुरस्कार**	**दो (एक पुरूष के लिये और एक महिला के लिये)**	**प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये नकद, एक मेडल एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र**
X.	**सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक दिव्यांग बच्चे हेतु पुरस्कार**	**दो (एक लड़के के लिये और एक लड़की के लिये)**	**प्रत्येक पुरस्कार विजेता को पचास हजार रूपये नकद, एक मेडल एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र**

XI.	**सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रैस**	**एक**	**प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र और एक प्रमाण पत्र**
XII.	**सर्वश्रेष्ठ सुगम्य वैबसाइट**		
संख्या	**उप–श्रेणी**	**पुरस्कारों की संख्या**	**पुरस्कार के घटक**
(i)	सरकारी	एक	एक शील्ड, एवं प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।
(ii)	सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अथवा स्थानीय निकाय	एक	एक शील्ड, एवं प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।
(iii)	निजी क्षेत्र	एक	एक शील्ड, एवं प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।
XIII.	**(i) दिव्यांजन सशक्तिकरण संवर्धन में सर्वश्रेष्ठ राज्य** **(ii) सुगम्य भारत अभियान का कार्यान्वयन**	**एक** **एक**	**एक शील्ड, एवं प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र।** **–वही–**
XIV.	**सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी**	**चार (दो पुरूषों और दो महिलाओं के लिये)**	**प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक लाख रूपये नकद, एक प्रशस्ति पत्र, एकं प्रमाण पत्र और एक शील्ड,**

6.2 आवेदन कैसे करें

(i) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी सिफारिश निर्धारित तारीख तक सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को भेजेंगी।

(ii) पुरस्कार विजेता भी सिफारिश कर सकते है और आवेदन भेज सकते हैं।

इस संबंध में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) के माध्यम से अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होता है जिसे मंत्रालय की वैबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाता है।

(iii) राष्ट्रीय पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार विजेताओं के चयन हेतु स्क्रीनिंग समितियां बनाई जाती हैं। स्क्रीनिंग समिति में अध्यक्ष सहित निम्नलिखित में से चार से पांच सदस्य होते हैं :–

(क) केन्द्रीय सरकार के अथवा प्रतिष्ठित सरकारी संस्थाओं के उससे ऊपर के स्तर के सेवारत अथवा सेवानिवृत अधिकारी;

(ख) दिव्यांगता क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति और विशेषज्ञ अथवा पुरस्कार से संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ;

(ग) गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि;

(घ) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और विभाग के अधीन संगठनों के उप–सचिव के रैंक के अथवा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी स्क्रीनिंग समितियों के संयोजक के तौर पर कार्य करेंगे।

(ङ) स्क्रीनिंग समितियों की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय चयन समिति विभिन्न श्रेणियों हेतु पुरस्कार विजेताओं के नामांकन का निर्णय करेंगी।

(च) स्क्रीनिंग समितियों द्वारा प्राप्त हुये आवेदन पत्रों का आकलन किया जाता है। स्क्रीनिंग समितियों की सिफारिशें माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय चयन समिति के समक्ष रखी जाती हैं।

अध्याय-7

टेलीफोन निर्देशिका (डायरेक्टरी)

कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए सुगम्यता

अध्याय
7

टेलीफोन निर्देशिका (डायरेक्टरी)

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

सामाजिक न्याय और अधिकारिता केन्द्रीय मंत्रिमंडल मंत्री

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	दूरभाष टेलीफोन (कार्यालय)	दूरभाष टेलीफोन (नि./मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
डॉ. थावरचन्द गेहलोत केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री	23381001 23381390 23381902 (फैक्स)	23012175 23012195 (फैक्स)	201 सी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	officesjem@gmail.com
श्री नीरज सेमवाल मंत्री के निजी सचिव	23381001 23381390 23782132	7042912233	201 सी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	
श्री पंकज कुमार मेहता मंत्री के ओ एस डी	23381001 23381390 23782132	9868155144	201 सी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	
श्री योगेश कुमार उपाध्याय अतिरिक्त निजी सचिव	23381001 23381390 23782132		201 सी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	
श्री शंकर लाल मंत्री के सहायक निजी सचिव	23012175 23012195 (फैक्स)	09649265610	4, जनपथ, नई दिल्ली	
मंत्री स्टाफ	23381001 23381390 23782132		201 सी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	दूरभाष टेलीफोन (कार्यालय)	दूरभाष टेलीफोन (नि./मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
श्री रामदास आठवले सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	23381656 23381657 22281669 (फैक्स)		101 सी–विंग	mosathawale@gmail.com
राज्य मंत्री के निजी सचिव	23381656 23381657 22281669 (फैक्स)		101 सी–विंग	
श्री पृथ्वी राज सिंह भाटी राज्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	23381656 23381657 22281669 (फैक्स)	09899345459	101 सी–विंग	pruthiviralsinh b @gov.in
श्री प्रवीन मोरे राज्य मंत्री के सहायक निजी सचिव	23381656 23381657 22281669 (फैक्स)	09819416184	101 सी–विंग	
श्री करमवीर यादव राज्य मंत्री के प्रथम निजी सचिव				
राज्य मंत्री स्टाफ	23381656 23381657 22281669 (फैक्स)		101 सी–विंग	

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	दूरभाष टेलीफोन (कार्यालय)	दूरभाष टेलीफोन (नि./मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
श्री कृष्णपाल गुर्जर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	23072192 23072193 23072194 (फैक्स)	23794728 23794729	301 ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	officemossje@gmail.com
राज्य मंत्री के निजी सचिव	23072192 23072193		301 ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	ps2mossje@gmail.com
श्री किरनपाल खटाना राज्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	23072192 23072193	9910500335	301 ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	khatanakiranpal@gmail.com
राज्य मंत्री स्टाफ	23072192 23072193 23072194 (फैक्स)		301 ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	दूरभाष टेलीफोन (कार्यालय)	दूरभाष टेलीफोन (नि./मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
श्री रतनलाल कटारिया सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री	23383757 23383745 23074097 (फैक्स) 23383757		251, ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	mos.socialjustice@gmail.com
सुश्री धनप्रीत कौर राज्य मंत्री के निजी सचिव	23383745 23383757	9878000580	250, ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	dhanpreet kaur@gmail.com
श्री प्रदीप कुमार धौधाना राज्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव	23383745	9780027943	249, ए–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	pradeepdaudhana@gmail.com
राज्य मंत्री स्टाफ	23383757 23383745 23074097 (फैक्स)		216 बी, डी–विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव एवं अन्य अधिकारीगण

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	दूरभाष टेलीफोन (कार्यालय)	दूरभाष टेलीफोन (नि./मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
सुश्री शकुंताला डौले गामलिन सचिव	24369055 24369067	–	524 (बी–III)	secretaryda-msje@nic.in
डा. प्रबोध सेठ संयुक्त सचिव	24369056	8800415255	527 (बी–III)	jsds-msje@gov.in
सुश्री तारिका रॉय संयुक्त सचिव	24369069 24365014	9899232190	530 (बी–III)	roy.tarika@gov.in
श्री किशोर बी. सुरवाडे उप महानिदेशक	24364394 24364395 ;थंगद्ध	09764339968	514 (बी–II)	ddg-depwd@gov.in
श्री संजय पांडे सयुंक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	23387924	–	610 शास्त्री भवन	s_pandey@gov.in
श्री के.विक्रम सिम्हाराव निदेशक	24369054	9910649868	4 (बी–I)	kvsrao13@nic.in
श्री क्षितिज मोहन निदेशक (आईएफडी)	24369057	9968268487	512	kshity.mohan@nic.in

नाम और पदनाम श्रीमती / श्री / सुश्री	दूरभाष टेलीफोन (कार्यालय)	दूरभाष टेलीफोन (नि. / मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
श्री विकाश प्रसाद निदेशक	24364391	7903918757	5 (बी–I)	vikas.prasad@gov.in
श्री टी.सी. शिवकुमार निदेशक	24369025	9441229519	3 (बी–I)	tc.sivakumar@gov.in thaliadan@rediffmail.com
श्री के.के. झैल उप–सचिव	23389068	9654582113	2 (बी–I)	kkjhell@gmail.com
श्री सीताराम यादव उप–सचिव	24369025	9313062739	1 (बी–I)	yadav.sitaram@nic.in
श्री मृत्युंजय झा उप–सचिव	23233672	9868516469	520	mrityunjay.jha@nic.in
सुश्री बीना ई चक्रवर्ती उप–सचिव	24365053	9868471364	517 ए (बी–II)	beena.elizabeth@gov.in
सुश्री शकुंताला डी गामलिन अध्यक्षा आरसीआई, नई दिल्ली	26532381	–	-	rci-depwd@gov.in
सुश्री शकुंताला डी गामलिन मुख्य दिव्यांगजन आयुक्त (सीसीपीडी), नई दिल्ली	23386054	–	-	ccpd@nic.in
श्री डी.आर. सरीन सीएमडी, एलिम्को कानपुर	0512. 2770614	9999300662 0512.2770617	-	cmdalimco@artlimb.in
श्री निकुन्ज के. संयुक्त सचिव एवं सीएमओ राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली	43187801	9868204707	-	ceo@thenationaltrust.in
श्री राजन सहगल सीएमडी, एनएचएफडीसी, नई दिल्ली	45803730 45088636	8130901251	-	pstocmdnhfdc@gmail.com nhfdc97@gmail.com
डा. एस.पी.दास निदेशक, एसवीएनआईआरटीएआर, कटक	0671.2805552 2805856	09437016874	-	svnirtar@gmail.com
सुश्री स्मिता जयंत निदेशक, पीडीयूआईपीएच, नई दिल्ली	23232403	9967514463	-	diriph@nic.in
डा. एस.पी.दास निदेशक, आई / सी, एनआईएलडी, कोलकाता	033.25311248 25310789	09437016874	-	abhishekpmr@gmail.com
श्री नचिकेता राउत निदेशक, एनआईवीएच, देहरादून	0135.2744491	9940124537	-	director@nivh.org.in anuradhamohit@gmail.com
डॉ. सुन्नी एम. मैथ्यू निदेशक एवाईजेएनआईएसएचडी, मुंबई	022.26422638	9867030815	-	ayjnihhmum@gmail.com

नाम और पदनाम श्रीमती/श्री/सुश्री	दूरभाष टेलीफोन (कार्यालय)	दूरभाष टेलीफोन (नि./मोबाईल)	कमरा संख्या	ई–मेल पता
श्रीमती अनुराधा डालमिया निदेशक एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद	040.27759267	9997300889	-	nimh.director@gmail.com
डा. हिमांग्शु दास निदेशक एनआईईपीआईडी, चेन्नई	044.27472104	07042311774	-	niepmd@gmail.com
डॉ. प्रबोध सेठ निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली	24369056	8800415255	527 (बी–III)	jsds-msje@gov.in
डॉ. प्रबोध सेठ निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एनआईएमएचआर, सीहोर	24369056	8800415255	527 (बी–III)	jsds-msje@gov.in

इन पर हमारा अनुसरण कीजिए **www.facebook.com/DoEPWDs**

@socialpwds

www.diabilityaffairs.gov.in

संकेतक शब्दावली

ब्रेल

यह चिन्ह् संकेत करता है कि मुद्रित सामग्री ब्रेल में उपलब्ध है जिसमें प्रदर्शनी लेबलिंग, प्रकाशन और संकेतक भी शामिल है।

साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन

यह चिन्ह् उल्लेख करता है कि व्याख्यान, दौरा (यात्रा), फिल्म, निष्पादन (प्रदर्शन), सम्मेलन अथवा अन्य कार्यक्रमों के लिए संकेत भाषा प्रस्तुतीकरण उपलब्ध कराया जाता है।

बौद्धिक दिव्यांगताओं के लिए सुगम्यता

यह चिन्ह् संकेत करता है कि बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए सेवाएं उपलब्ध हैं।

टेलीफोन टाइपराईटर (टीटीवाई)

यह चिन्ह् बधिर, ऊँचा सुनने वाले, वाक् बाधित और/अथवा श्रवण बाधिता ग्रस्त लोगों के साथ और उनके बीच में सम्प्रेषण के लिए दूरभाष के साथ उपयोग किए जाने वाले उपकरण की उपस्थिति को इंगित करता है।

व्हीलचेयर सुगम्यता प्रतीक

यह चिन्ह् सीमित गतिशीलता वाले व्यक्तियों जिसमें व्हील चेयर उपयोगकर्त्ता भी शामिल है, उनकी पहुँच को इंगित करता है।

क्लोज्ड कैपशनिंग (सीसी)

सीमित शीर्षक (क्लोजड कैपशनिंग) (सामान्यतः उपशीर्षक के रूप में जाना जाता है) उन लोगों को जो बधिर हैं अथवा ऊँचा सुनने वाले हैं, वीडियो, फिल्म प्रदर्शनी अथवा अन्य प्रस्तुतीकरण के श्रव्य भाग की प्रतिलिपि को पढ़ने में सक्षम बनाता है।

कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के सुगम्यता

यह चिन्ह् उन लोगों के लिए जो नेत्रहीन हैं अथवा कम दृष्टि वाले हैं, निर्देशित (गाईडेड) टूर, जंगल की पगडंडी (नेचर ट्रेल) अथवा पार्क में महक वाला बगीचा अथवा स्पर्शी भ्रमण स्थल अथवा संग्रहालय की प्रदर्शनी – जिसे स्पर्श किया जा सकता है जैसे स्थानों में उनकी सुगम्यता को इंगित करता है।